राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 1] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 35 वां दिवस [संख्या 16

मंगलवार,
दिनांक 6 जून, 1967.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

(उपनिवेशन, राजस्व, सहकारिता, अकाल-सहायता, आबकारी, विकास, कृषि, आबकारी, वित्त, श्रम, पंचायत एवं खाद्य विभाग)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न ! श्री भीमसेन।

राजस्थान नहर क्षेत्र में कृषि-भूमि आवंटन की प्रणाली

249. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र के लिए अलग से कृषि-भूमि आवंटन हेतु नियमों में राजस्थान कॉलोनाइजेशन (टेम्पोरेरी लीजेज) कन्डीशन्स, 1956 का ही उपयोग होता है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नियमों में कृषि भूमि 3 से 5 वर्ष तक एलॉट करने का प्रावधान है ? अगर हां, तो उक्त क्षेत्र में फिलहाल कृषि भूमि एक साला आधार पर क्यों नीलाम की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त शर्तों में एक ही खेत के लिए एक प्रार्थना-पत्र आने पर उक्त खेत को नीलाम करना आवश्यक नहीं है ? अगर हां, तो वर्तमान में उक्त क्षेत्र में कृषि भूमि इस नियम के विपरीत प्रत्येक मामले में नीलाम किस कानून के अन्तर्गत की जाती है ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा):

(1) जी हां

(2) जी हां, मगर क्योंकि इस क्षेत्र में एलॉट करने के नियम अभी लागू नहीं हुए हैं अतः इस क्षेत्र में नीलाम एक साला राजस्थान कॉलोनाइजेशन (टेम्पुरेरी लीजेज) कन्डीशन्स के नियम 6 उप-नियम (3) के तहत की जाती है, ताकि नियम लागू होने पर हटाने में कोई मुश्किल न पेश आए।

(3) जी हां, एक से अधिक दरख्वास्त आने पर ही नीलाम किया जाता है।

श्री भीमसेन: अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार द्वारा जवाब दिया जा रहा है यह बिलकुल असत्य है। जैसा आपने अभी कहा कि नियम (3) के अन्तर्गत एक साल का प्रावधान है तो मैं आपको नियम 6 के उप-

Page No. 2

(श्री भीमसेन)

नियम 3 को पढ़कर सुनाता हूं जिसमें लिखा है:

'If there is one applicant for somplot, land shall be leased out by auction to a highest bidder and will be sanctioned in favour of the highest bidder.'

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जैसा मैंने आपसे कहा कि एक से अधिक दरख्वास्तें आने पर ही नीलामी की जाती है।

श्री **भीमसेन** : मेरा प्रश्न यह है कि तीन साल और पांच साल का एलॉटमेन्ट रूल्स में जब प्रोविजन है तो फिर एक साल के लिए आक्शन क्यों किया जा रहा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राजस्थान नहर के लिए जो नियम बने हैं वे अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं इसलिए राजस्थान नहर की जो भूमि है उसे एक साल के लिए ही नीलाम किया जाता है, ताकि रूल्स फाइनल होने पर वह किसी दूसरे को देनी पड़े तो परमानेंट एलॉटमेन्ट में किसी प्रकार का झंझट न खड़ा हो।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के नियम फाइनल नहीं होने के बावजूद जो राजस्थान कॉलोनाइजेशन (टेम्परेरी लीजेज) कन्डीशन्स के नियम 6 के उप-नियम (3) के तहत जो एलॉटमेन्ट होता है वह पांच साल के लिए एलॉटमेन्ट करना पड़ता है उसका पालन क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा**: तीन साल का, पांच साल का नियम केनाल प्रोजेक्ट एरिया के लिए नहीं है, बारानी के लिए है।

श्री भीमसेन: मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह सारे केनाल प्रोजेक्ट एरिया के लिए हैं, बारानी एरिया के लिए कतई नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें सरकार ने, मेरा खयाल है कि नियमों में यह रद्दोबदल किया है कि राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट की जो जमीन है उसे पांच साल के लिए नीलाम न किया जाय।

श्री **भीमसेन**: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय खयाल से बात कर रहे हैं और मैं नियमों को बता रहा हूं। आप खयाल की बात मत कीजिए, जो नियमों के अन्तर्गत प्रावधान है उनका पालन क्यों नहीं करना चाहते ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर इस प्रकार का नियम है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बदल दिया जाएगा

श्री भीमसेन : आप ऐसा क्यों करते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राजस्थान नहर के नीचे जो जमीन आती है उसके एलॉटमेन्ट के नियम अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं, रूल्स गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के पास गए हुए हैं, उनमें और भी बहुत सी बातें तय करनी हैं, इसीलिए अभी तक एलॉटमेन्ट एक साल के लिए किया जाता है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि जो जमीन एक साल के लिए अलग की जाती है उसमें भी एक ही एप्लीकेंट के होने पर भी सरकारी लैंड का आक्शन किया जाता है, क्या यह सही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक ही एप्लीकेंट

(बृजसुन्दर शर्मा)
होने पर, एक ही टाइप की जमीन होने पर आक्शन नहीं होता है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि अभी कुछ समय पूर्व ही एक ही केटेगरी की लैंड के अन्दर एक ही एप्लीकेंट के होने पर भी लैंड नीलाम की गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक मेरी सूचना है एक ही केटेगरी के लिए एक ही एप्लीकेंट होने पर लैंड का ऑक्शन नहीं होता है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली) : क्या विना आक्शन...

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट क्वेश्चन। श्री विजयसिंह!

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही नहीं है कि राज्य सरकार की एक साला ऑक्शन की नीति के कारण उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट क्वेश्चन, श्री विजयसिंह।

ग्रामीण जनता को राशन

250. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि ग्रामीण जनता को राशन में गेहूं नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : यह आंशिक रूप से सही है क्योंकि अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में कभी-2 गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण जनता को गेहूं उपलब्ध न कराने का मुख्य कारण गेहूं की सीमित उपलब्धि है।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां 12 प्रतिशत जनता शहरों और कस्बों में रहती है वहां 88 प्रतिशत खेतिहर मजदूर और किसान गांवों में रहते हैं, उनको वहां गेहूं क्यों नहीं उपलब्ध करवाया जाता है, प्रश्न मेरा यह है?

श्री **परसराम मदेरणा** : गेहूं की कमी है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था कि भारत सरकार से जो कोटा हर माह हमें एलॉट होता है वह 38 हजार टन का है और इस गेहूं और माईलों की मात्रा का प्रपोर्शन भी बढ़ता-घटता रहता है। इसके अलावा जो रूरल एरिया में आज इम्पोर्टेड व्हीट दे रहे हैं वह सिर्फ स्केयरसिटी एरिया में दे रहे हैं और स्केयरसिटी इफेक्टेड एरिया में माईलो की ज्यादा मांग रहती है, क्योंकि माईलो की प्रति क्विन्टल प्राईसेज में और गेहूं की प्रति क्विन्टल प्राईसेज में 15)-रुपये प्रति क्विन्टल का फर्क है। और चूंकि उनको सस्ता अनाज स्केयरसिटी इफेक्टेड एरिया में उपलब्ध किया जाना चाहिए, इसलिए वे चाहते हैं कि अक्सर गांवों में जो मोटा अनाज खाते हैं और बाजरी और दूसरा मोटा अनाज नहीं मिलने पर ज्वार से पूर्ति करते हैं और ज्वार हमें दूसरे इलाकों को देखते हुए छः किलो पर व्यक्ति तक हम इसलिए देते हैं कि ज्वार सस्ती होती है। भारत सरकार से भी हमें कई महीनों के अन्दर 50 प्रतिशत तक ज्यादा ज्वार मिलती है और इसलिए इसको उपलब्ध

Page No. 4

(श्री परसराम मदेरणा)

कराना, जरूरी है क्योंकि रूरल एरिया के लिए जो आज हमने इण्टरनल कोटा एलॉट किया है वह 38 हजार टन में से 27 हजार टन रूरल एरिया को एलॉट किया है और बाकी रेस्ट आफ दी टोटल फूड अवेलेबल यानि 11 हजार टन और जगहों के लिए है।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा बिल्कुल स्पष्ट है किन्तु मंत्री महोदय ने इतना लम्बा-चौड़ा भाषण कर दिया सिर्फ इसलिये कि प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश न की जाय। मेरा प्रश्न यह है कि गांवों को गेहूं क्यों नहीं दिया जाता है, और किस आधार पर नहीं दिया जाता है ? और शहरों में क्यों दिया जाता है ? और क्या खाद्य मंत्रीजी यह बतायेंगे कि उन्होंने रूरल एरिया के राशन में गेहूं देने का भी कोई प्रोविजन रखा है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : जहां माईलो देते हैं वहां गेहूं भी दे रहे हैं। दोनों ही देते हैं।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, आपको मैं सूचित करना चाहता हूं कि आती अजमेर जिले के अन्दर शादियां हो रही थीं उस वक्त पांच किलो गेहूं के लिए, गांवों के मजदूर और खेतिहर एस० डी० ओ० और कलेक्टर के यहां तरसते रहे। मैं स्वयं उनका डेपुटेशन लेकर गया और कलेक्टर, अजमेर ने कहा कि राज्य सरकार की खाद्य-नीति ऐसी है जिसके अन्दर रूरल एरिया में गेहूं देने का बिल्कुल भी प्रोविजन और प्रावधान नहीं है, और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि माईलो और गेहूं दोनों देने का प्रोविजन है। अगर ऐसा है तो यह क्यों नहीं दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह खाद्य-नीति का प्रश्न नहीं है, प्रश्न अवेलेबिलिटि का है, और अगर हमारे पास गेहूं ज्यादा होता है तो उसे रूरल एरिया में भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन क्योंकि रूरल एरिया में भी स्केयरसिटि इफेक्टेड एरिया के लोगों को ही दे रहे हैं और चूंकि वहां के लोगों की परचेजिंग पॉवर कम है इसलिए माईलो की कम कीमत होने से उनको माईलो ही उपलब्ध कराया जाता है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो गेहूं हमारे पास आता है उसमें पचास प्रतिशत की कमी है। इसके उपरान्त भी जब हमारे पास गेहूं बच जाता है तो उसे माईलो के साथ में वितरित किया जाता है गांवों में भी।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : जो आप गांवों को कभी कभी गेहूं उपलब्ध करा रहे हैं तो खास खास मौकों पर ग्रामीण जनता को गेहूं उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते आप ?

श्री परसराम मदेरणा : शादियों के मौकों पर, त्यौहारों पर गेहूं उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन्स हैं कि इन मौकों पर चीनी की और खाद्यान्नों की जहां पर भी आवश्यकता हो, डाईवर्ट किया जाना चाहिए। अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा मुझे अजमेर की एक्चुअल पोजीशन तो मालूम नहीं है लेकिन शादियों के मौकों पर और त्यौहारों के मौकों पर स्पेशल एलॉटमेंट करते हैं ताकि लोगों की उस वक्त की आवश्यकता को पूरी किया जा सके।

श्री विट्ठल (पीपलखूंट) : जच्चा औरतों के लिए भी गेहूं नहीं मिलता है ऐसी स्थिति है।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि किसी भी रूरल विलेज में आज तक आप जो यह कहते हैं कि जरूरत होती है तो देते हैं और नहीं होती है तो नहीं देते हैं, ऐसी कोई नीति नहीं है कि रूरल एरिया के किसी भी विलेज को गेहूं नहीं दिया जाय या नहीं देने की कोई नीति है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि क्या आप किसी भी गांव के लिए यह बता सकते हैं कि कितना गेहूं एलाट हुआ है और कितने विलेजेज को आपने दिया है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

नेक्स्ट, श्री रघुनाथ !

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि...

श्री अध्यक्ष : (श्री लादूराम मुलानिया के बोलने पर) प्रश्न कर्त्ता, आर्डर !

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा निवेदन यह है कि आप गेहूं केवल शहरों के लिए ही रखना चाहते हैं तो 88 पर्सेन्ट जनता के लिए इतना तो रहम करें कि ऐसा प्रोवीजन बनायें कि जिन महिलाओं के बच्चा हो यानी जो जच्चाएं हैं, होली-दीवाली के त्यौहार आते हैं उस वक्त या बीमारों के लिए खेतीहर लोगों या गावों के लोगों को भी गेहूं की नितान्त आवश्यकता रहती है तो उस वक्त के लिए ऐसा सिस्टम लागू करें कि जिससे उनको गेहूं मिल सके।

श्री परसराम मदेरणा : उनके सजेशन को एग्री करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रघुनाथ विश्नोई !

सांचोर में इंडियन आइरन कम्पनी को पैट्रोल पम्प हेतु भूमि-आवंटन

251. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर में इंडियन आइरन कम्पनी के पेट्रोल पम्प के लिए सांचोर के पूर्व में सांचोर-रानीवाड़ा सड़क एवं डिफेन्स सडक के क्रांसिंग पर कुछ जमीन दी गई है ? अगर हां, तो वह कितनी जमीन है, किस-किस के नाम से दी गई है, और कब दी गई है।

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त आवंटित जमीन गोचर की थी ? अगर हां, तो फिर पैट्रोल पम्प के लिए किस प्रकार दी गई है ? क्या यह जमीन नियमानुसार दी गई है।

(3) क्या पैट्रोल पम्प के लिए नियमानुसार इतनी अधिक जमीन दी जा सकती है ? अगर हां, तो किस नियम के अनुसार ? अगर नहीं, तो ऐसा करने के क्या कारण है ?

(4) उपरोक्त आवंटित गोचर जमीन की क्या कीमत वसूल की गई है ? क्या यह कीमत पैट्रोल पम्प के नियमानुसार है ? अगर हां, तो किस नियम के अनुसार ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(5) क्या उपरोक्त जमीन का पंचायत द्वारा पट्टा दे दिया गया है ? अगर हां, तो कब व कितनी कीमत पर ? क्या उसकी मंजूरी प्राप्त करली गई है ? अगर हां, तो कब ?

(6) क्या यह सत्य है कि इस विषय में कुछ शिकायतें भी जिला कलेक्टर के पास पेश हुई थीं ? अगर हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ।

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) ग्राम पंचायत सांचोर की माह अप्रैल 67 में 10,990 वर्ग गज भूमि रुपये 27,047.50 पैसे में इन्डियन आइरन कम्पनी को पैट्रोल पम्प के लिए सांचोर ऑटोमोबाइल के नाम से सर्व-सम्मति से भूमि बेचना तय किया था ।

(2) जी हां । यह भूमि पहले गोचर थी । गोचर को आबादी में नियमानुसार परिवर्तित करके ही ग्राम पंचायत, सांचोर को नियमानुसार दी गई थी ।

(3) पैट्रोल पम्पों के लिए भूमि किन शर्तों के अनुसार दी जाय, यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(4) अभी इस भूमि-विक्रय की मंजूरी नहीं दी गई है । अतः पूरी कीमत वसूल करने का प्रश्न पैदा नहीं होता । इस संबंध में नियम राज्य सरकार के विचाराधीन है जैसा कि ऊपर भाग (3) के उत्तर में बताया गया है ।

(5) इस भूमि का अभी पट्टा नहीं दिया गया है और न मंजूरी ही दी गई है ।

(6) जी हां । जिलाधीश को इस बारे में जो शिकायत दिनांक 25-3-67 व 17-4-67 को प्राप्त हुई थी उन पर कार्यवाही करने के लिए तहसीलदार, सांचोर को भेजी गई है । तथा ग्राम पंचायत को शीघ्र रिपोर्ट करने हेतु भेजी गई है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, इस तीन बीघा गोचर भूमि को पैट्रोल पम्प के नाम से गलत तरीके से राज्य सरकार को मुगालता लेकर दो शख्सों ने ले ली । पैट्रोल पम्प के नाम से नियमानुसार जो जमीन रेवेन्यू विभाग निकालता है तो वह बहुत कम होती है और नीलाम से दी जाती है, और कमर्शियल रेट्स पर दी जाती लेकिन इस तीन बीघा जमीन में आपके जरिये राज्य सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि 1800) रु. में लेली है और मन्जूरी के लिए भेजा है । उनका मकसद यह है कि इस जमीन के करीब 3 लाख रुपये प्लाट्स बनाकर उन्हें बेचकर वसूल करें । यह सिर्फ धोखा है । पैट्रोल पम्प वगैरह की कोई कार्यवाही नहीं है । राज्य सरकार को इस मामले को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए । कुछ लोग प्लाट्स के लिए पैट्रोल पम्प के नाम से जमीन लेते हैं । वह आबादी से दो मील दूर है और डिफेंस रोड पर है । यह बहुत गम्भीर विषय है और यह मुगालता देकर किया गया है इसलिए वह खारिज होना चाहिए और वह जमीन गोचर भूमि ही रहनी चाहिए ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री): मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

चाहता हूं कि अगर मुगालता देकर कन्वर्जन कराया गया है तो राज्य सरकार कभी उसकी मन्जूरी नहीं देगी।

श्री रघनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, पंचायत के लिए मैं कहना चाहता हूं कि पैट्रोल पम्प के लिए पंचायत को क्या पड़ी है। जमीन राज्य की थी और गोचर भूमि राज्य के अधिकार में है तो पंचायत को देने का क्या अधिकार है? वह पंचायत क्योंकि उनके कन्ट्रोल में है, और इस जमीन का मिसयूज होगा और न पंचायत की आमदनी होगी। नियमानुसार इसको ऑक्शन करके क्यों न पैट्रोल पम्प के लिए दी जाय?

श्री अध्यक्ष : आपने विश्वास दिलाया है कि सारे का एजामिन करा लेंगे। नेक्स्ट, श्री पृथ्वीसिंह!

बाली पंचायत समिति क्षेत्र की सहकारी समितियां

252. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति क्षेत्र बाली में कुल कितनी सहकारी समितियां हैं?

(2) पंचायत समिति की कुल कितनी सहकारी समितियां डिफाल्टर हैं और कुल कितनी सरकारी धनराशि उनमें बकाया है?

(3) कितनी सहकारी समितियां निर्जीव (डिफन्क्ट) हैं और उनमें से कितनी के बारे में जांच कार्य चल रहा है?

(4) कितनी सहकारी समितियों का लिक्वीडेशन करने हेतु पंचायत समिति ने सिफारिश की है? उनमें से कितनी सहकारी समितियों का लिक्वीडेशन किया गया है?

(5) ग्राम बेडा, तहसील बाली की बेडा बृहत् बहुद्देशीय सहकारी समिति लि. के विरुद्ध कितनी सरकारी रकम बकाया है? और उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सहकारी मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) पंचायत समिति, बाली में कुल 133 सहकारी समितियां हैं।

(2) पंचायत समिति बाली में कुल 92 सहकारी समितियां डिफाल्टर हैं जिनमें 84,000/- रु. सरकारी धनराशि बकाया है।

(3) इस पंचायत समिति में 93 सहकारी समितियां निष्क्रिय हैं जिनमें से 15 समितियों में जांच की कार्यवाही चल रही है

(4) पंचायत समिति, बाली की कृषि सिंचाई व सहकारिता स्थायी समिति ने 17 समितियों को अवसायन में लाने की सिफारिश की थी उनमें से किसी को भी अवसायन में नहीं लाया गया।

(5) ग्राम तहसील बाली को बेडा बृहत् बहुद्देशीय सहकारी समिति लि. के विरुद्ध 6000/- रू सरकारी रकम बकाया है वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब डिफाल्टर सोसाइटीज 92 बताई गई हैं तो सिर्फ 15 के खिलाफ ही एन्क्वायरी क्यों चलाई जा रही है, सब के खिलाफ एन्क्वायरी क्यों नहीं चल रही हैं?

श्री परसराम मदेरणा : डिफाल्टर तो कई कारणों से हो जाती हैं। जिनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है उनको या तो लिक्वीडेशन में लाने की कार्यवाही है या उनके खिलाफ जांच चल रही है जिनके खिलाफ गबन की शिकायतें थीं, लेकिन जो 92 डिफाल्टर्स हैं वे अलग अलग तरह से डिफाल्टर्स हैं। डिफाल्टर का मतलब यह कि वे सब का सब लोन रिपे नहीं करवाये हैं लोन ओवरड्यू होगये हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : 93 निष्क्रिय हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि जो सोसाइटीज 40 निष्क्रिय हैं वे ये जो डिफाल्टर्स हैं उनमें शामिल हैं कि नहीं। पूरी इत्तिला मेरे पास नहीं है इसलिए कहने की पोजीशन में मैं नहीं हूं लेकिन यह कह सकता हूं कि जो सोसाइटीज डिफाल्टर्स हैं और निष्क्रिय हैं जो दो प्रकार की सोसाइटीज हैं उनके लिक्वीडेशन की कार्यवाही जल्दी ही शुरू कर दी जायगी। इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

पंचायत समिति ने जिन सोसाइटीज को बिल्कुल निष्क्रिय बताया है और निष्क्रिय बताने पर ए.आर.सी. एस. ने पंचायत समिति के रिजोल्यूशन पर कार्यवाही नहीं की उसके खिलाफ डिसिप्लीनरी एक्शन लेने की तजवीज रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज गवर्नमेन्ट के पास भेज दी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह जो समितियां डिफाल्टर्स घोषित की गई हैं वे नियमों के अनुसार ही डिफाल्टर घोषित की गई हैं?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : जब नियमों के अनुसार डिफाल्टर घोषित की गई तो 15 के खिलाफ ही एक्शन क्यों लिया जा रहा है और बाकी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है?

श्री परसराम मदेरणा : एक्शन और बात है और रिकवरी की कार्यवाही चल रही है। सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक का सबसे ज्यादा लोन 3,50,290/ रु. का लोन है। उसकी रिकवरी की कार्यवाही, उसकी वसूली की कार्यवाही चल रही है। सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक में स्टाफ कम था और उन्होंने एडिशनल स्टाफ मांगा तो उनको स्ट्रेंग्थन्ड कर दिया गया है एडिशनल स्टाफ से ताकि वसूली की कार्यवाही जल्दी से जल्दी की जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या डिफाल्टिंग सोसाइटीज से वसूली के सम्बन्ध में नियम बना रखे हैं? क्या यह माना जाय कि उन नियमों के अनुसार ही रिकवरी की प्रोसीडिंग्स चल रही है?

श्री परसराम मदेरणा : जो कोई भी सोसाइटी डिफाल्टर हैं और डिफाल्टर सोसाइटी ने अगर पेमेन्ट नहीं किया है तो रिकवरी हो रही है। इसके कई कारण हो जाते हैं और कई दफा यह आता है कि एक पर्टिक्यूलर स्कॅर्सिटी एफेक्टेड एरिया में होता है कि वहां पर 5 लाख का अल्पकालीन लोन मांगा था तो उसको दीर्घकालीन लोन में परिवर्तित नहीं किया गया, क्योंकि रिजर्व बैंक आफ इंडिया कई दफा ऐसी कन्डीशन लगाती हैं कि वहां पर काश्त नहीं होती है और काश्तकार इस पोजीशन में नहीं होता है कि वह देसके। तो रिकवरी चलती है। वालो एरिया में रबी की फसल अच्छी होती

(श्री परसराम मदेरणा)
हैं तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक जो रिकवरी की कार्यवाही को स्ट्रेन्थन्ड की है उसके फलस्वरूप हम सोचते हैं कि काफी रिकवरी होगी।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि डिफाल्टर घोषित करने के पहले जो कारण होते हैं उन सब कारणों को ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद में उनको डिफाल्टर घोषित किया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा: कुछ पर्टीक्यूलर लोन्स हैं जिनको कि एक साल में पेमेन्ट करना है अगर एक दिन भी निकल जाता है तो वह डिफाल्टर है क्योंकि ओवर ड्यू हो जाता है और ओवर ड्यू का पेमेन्ट नहीं किया तो वह डिफाल्टर है। इस माने में वह डिफाल्टर है।

श्री पृथ्वीसिंह: क्या यह सही है कि कुछ सहकारी समितियां ऐसी भी हैं जिन्होंने अध्यक्ष महोदय, काफी रकम गबन कर दी है ?

श्री परसराम मदेरणा: जिन 15 सोसाइटी के खिलाफ कार्यवाही चल रही है उनमें जिनके खिलाफ गबन की शिकायतें हैं उनकी जांच हो रही है और जिनके खिलाफ जांच हो चुकी है और ऑडिट रिपोर्ट से पाया गया है कि गबन का मामला है उनको पुलिस को दे दिया गया है।

श्री पृथ्वीसिंह: आपने 84 हजार के लिए बताया कि यह कुल रकम बकाया है। इसके अलावा आपने 9 हजार के लिए **और** बताया है कि उनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है ?

(प्रश्न संख्या 253)

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरलाल !

(अनुपस्थिति) कृपया आगे देखिये

(प्रश्न संख्या 254)

श्री हीरा !

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये)

(प्रश्न संख्या 255)

श्री दिग्विजय सिंह !

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये)

श्री हंसराज !

श्री हंसराज: प्रश्न संख्या 256.

उपनिवेशन मन्त्री (श्री बृज सुन्दर शर्मा): अध्यक्ष महोदय, अभी इसका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: स्थगित किया गया !

श्री नन्दलाल !

शाहबाद में सहरिया परिवारों को काश्त हेतु भूमि आवंटन

257. **श्री नन्द लाल** (किशनगन्ज) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1957 से अब तक तहसील किशनगन्ज, शाहबाद में सहरियों (अनुसूचित जन जाति) को कितनी जमीन काश्त करने के लिए दी गई है ?

(2) यह भूमि जो सहरियों को दी गई है, आवंटन में दी गई है या सहकारी खेती के आधार पर दी गई है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी):(1) सन् 1957 से अब तक तहसील किशनगन्ज में 23071।) 3 बीघा, एवं तहसील शाहबाद में 12369 बीघा जमीन सहरियों (अनुसूचित जन जाति) को काश्त के लिए एलाट की जा चुकी है।

(2) तहसील किशनगन्ज में केवल 3 (तीन) सहकारी कृषि समितियों को 283 एकड़ भूमि सहकारी खेती के आधार पर दी गई है तथा बकाया कुल जमीन आवंटित की गई है। तहसील शाहबाद में सहरियों को काश्त के लिए व्यक्तिगत रूप से एलॉटमेन्ट किया गया है।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या यह सही है कि जिन सहरियों को यह जमीन दी गई है, उन जमीनों पर आज भी सहरिये काश्त कर रहे हैं?

श्री गंगाराम चौधरी: हां वही काश्त कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया: ऐं।

श्री गंगाराम चौधरी: जिनको जमीन दी गई है वही काश्त कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं...

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): क्या यह सही है कि एलॉटमेन्ट के पश्चात् सहरियों को भूमि न तो जाकर कब्जे में दी गई और न सम्बन्धित भूमि उनको बताई गई?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री): इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया: क्या यह सही है कि जिन सहरियों को जमीन एलॉट की गई उन जमीनों पर अन्य जाति के लोग काश्त कर रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: उसके सम्बन्ध में में उचित कार्यवाही की जा सकती है अगर सरकार के सामने शिकायत आवे, तहसील में या एस. डी. ओ. के पास।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी): क्या यह आपकी जानकारी में नहीं है, आपके पास शिकायत नहीं है तो तहसील में भी शिकायत नहीं है?

श्री देवीदत्त गाडिया: मैं एक जानकारी देना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: आर्डर! आर्डर!! एक प्रश्न आपका आ गया है। शिकायत आपके पास नहीं है या तहसील में नहीं है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: तहसील की सूचना नहीं है। राज्य सरकार के पास कम से कम ऐसी शिकायत नहीं आई है।

श्री देवीदत्त गाडिया: क्या यह सही है...

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज! प्रश्न वर्ता!

श्री लादूराम सुलानिया: क्या मन्त्री महोदय यह जानकारी करेंगे कि उन सहरियों की कितनी शिकायतें तहसील में हैं और क्या उन शिकायतों के आधार पर आप आश्वासन देते हैं कि उनके कब्जे में दिला देंगे जिनको जमीन एलाट की गई है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जिनको जमीन एलॉट की गई है उनके कब्जे में जमीन होनी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

चाहिए। अगर उनको बेदखल कर दिया है तो शिकायत आने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री लादूराम सुलानिया: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल: मैं यह और जानना चाहूंगा, यह प्रश्न पहले भी विधान सभा के सामने आया है और बार बार आश्वासन जांच करने के लिए दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जांच करें तो आपको मुश्किल से दस प्रतिशत सहरिये मिलेंगे जिनके कब्जे में जमीन है। बाकी सारे के सारे लोगों की जमीन पर साहूकार, बनिये और बोहरे लोगों ने कब्जा कर लिया है और सहरियों के कब्जे में जमीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट! आप इसकी जांच कर लें।

श्री लादूराम सुलानिया: एक निवेदन और मुझे करना है, अध्यक्ष महोदय, वह बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि प्रश्न यह है, सहरिये अनुसूचित जन जाति में हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को जमीन एलॉट होती है, उसमें से दस प्रतिशत से अधिक ग्यारह प्रतिशत जमीन पर भी कब्जा पूरे राजस्थान में नहीं है। इस ओर माननीय मन्त्री महोदय ध्यान नहीं देते हैं और उत्तर देते हैं। यदि तहसील और ए. डी. एम. कोर्ट से जानकारी ली जाय तो महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। उनको बिल्कुल जमीन से वंचित रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट! श्री रावत राम!

श्री रामसिंह: प्रश्न संख्या 258!

गामीण गृह निर्माण हेतु धन राशि वितरण का आधार

(श्री रामसिंह द्वारा पूछा गया)

258. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में रूरल हाउसिंग स्कीम के लिए चालू वर्ष में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ? धनराशि का किस प्रकार बंटवारा किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त धनराशि को वितरण करने का क्या प्रोसीजर है ?

विकास मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) रूरल हाउसिंग स्कीम के लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। बंटवारे का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह माना जाय कि सरकार ने इस स्कीम को ड्राप कर दिया है ?

श्री परसराम मदेरणा: सरकार ने स्कीम को तो ड्राप नहीं किया है लेकिन अर्थाभाव के कारण इस साल के बजट में रूरल हाउसिंग स्कीम के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो भी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट ने एल. आई. सी. को 18-5-67 को एक पत्र लिख कर यह मांग की है कि रूरल हाउसिंग के लिए 10 लाख रुपये की राशि उन्हें दें। वह राशि उपलब्ध हो जाती है तो ग्रामीण गृह निर्माण योजना

(श्री परसराम मदेरणा)

चालू रहेगी और जो मकान अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने के लिये कार्यवाही की जायगी।

(प्रश्न संख्या 259)

श्री अध्यक्ष: श्री विट्ठल !

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये)

श्री खेतसिंह !

पंचायती राज पर सादिक अली रिपोर्ट का कार्यान्वयन

260. **श्री खेतसिंह** (शरगढ़) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार पंचायती राज में कोई नई योजना लागू करने का सोच रही है ?

(2) क्या सादिक अली रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज कानून व नियमों में संशोधन लाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक इस ओर कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सादिक अली रिपोर्ट तैयार करने में कितना समय लगा व कितना धन राज्य सरकार ने खर्च किया ?

सामुदायिक विकास मंत्री : (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां।

(2) जी हां। कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(3) रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक 14 महीने लगे। समिति के लिए अलग से केवल 16,152) रु. का व्यय हुआ।

श्री खेतसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार तहसील और पंचायत समिति में के जुरिस्डिक्शन को को-टर्मिनस कर रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री खेतसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार, सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं, उन्हें उसी तरह से क्रियान्वित नहीं कर रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : सादिक अली कमेटी की कुछ सिफारिशें जो चुनाव के सम्बन्ध में थीं वह पिछली साल अधिनियम में संशोधन करके उनको कार्यान्वित कर दिया है। कुछ सिफारिशें हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स के जरिये या डिसीजन के जरिये लागू की जा सकती हैं तो वह काफी तादाद में रिकमन्डेशन्स इम्पलीमेन्ट कर दी गई हैं। अब प्रिन्सिपल एक्ट में संशोधन करने की या दूसरी सिफारिशें हैं उनके लिए सरकार ने दो कमेटियां बैठा दी हैं–एक तो डिपार्टमेन्टल आफिसर्स की कमेटी है जो इस पर विचार करेगी कि जो एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनको जिला परिषद् को ट्रान्सफर किया जाय। इसके बाद में जो फाइनेन्सियल इम्प्लीकेशन्स होंगे, लैंड मैनेजमेन्ट के सम्बन्ध में, उसके लिए केबिनेट की एक सब–कमेटी बैठाई थी। वह कई जगह पर गई। उस सब-कमेटी ने भी रिपोर्ट सरकार के पास पेश नहीं की है। वैसे करीब करीब रिपोर्ट तैयार कर ली और फाइनल उसकी रिपोर्ट होने के के बाद वह रिपोर्ट राज्य सरकार के सामने आयेगी तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री खेतसिंह : क्या यह सही है कि यह कमेटी इसलिए बनाई गई है कि सरकार सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट को जल्दी इम्लीमेन्ट नहीं करना चाहती ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य का यह कहना सत्यता से परे है।

श्री खेतसिंह : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने समय के अन्दर यह अपनी रिपोर्ट आपके सम्मुख पेश कर देंगे और कितने समय में सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी हाल ही में अध्यक्ष महोदय, हफ्ते पहले सब-कमेटी को इस बात की इतिला की है कि आपकी रिपोर्ट सरकार के पास में जल्दी से जल्दी पहुंच जानी चाहिए। अभी असेम्बली का सेशन हो रहा है इसलिए मैं नहीं कह सकता कि अलग से वह कमेटी विचार कर सके या नहीं लेकिन सेशन खत्म होने के बाद उसकी रिपोर्ट आ जायगी। साथ ही आफिसर्स कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद प्रिंसिपल एक्ट में क्या संशोधन करने पडेंगे, इसका प्रारूप हमने तैयार किया है और रिकमन्डेशन्स को इम्प्लीमेन्ट करने के लिए राजस्थान पंचायत एक्ट, राजस्थान पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद् एक्ट और उनके अधीन बने रूल्स में क्या क्या संशोधन करने पडेंगे। इसकी हमने स्टडी की है और उसको करने के बाद में जो फाइनल प्रारूप होगा अमेंडमेंट्स का, उसको सदन के सामने लाया जायगा। मैं ऐसा मानता हूं कि सादिक अली कमेटी की जो रिकमन्डेशन्स हैं, उनको इन टोटो स्वीकार करते हैं तो प्रिन्सिपल एक्ट में हम संशोधन नहीं कर सकते। एक काम्प्रीहैंसिव बिल, इन दोनों को अमलगामेट करके, इन्टीग्रेट करके लाना पडेगा। इस प्रकार का इन्टिग्रेटेड बिल का प्रारूप तैयार किया है लेकिन जब तक इन कमेटियों की सिफारिश नहीं आ जाती हैं, तब तक फाइनल तौर पर सरकार जो अमेंडमेन्ट होने चाहिए वह इन्सर्ट नहीं कर सकती है।

श्री खेतसिंह : मैं यह पूछना चाहूंगा (श्री भैरोंसिंह के खडे होने पर) आप विराजो। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इनके जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि अगले आम चुनाव तक, मेरे ख्याल से, यह इम्प्लीमेन्ट नहीं होगी। क्योंकि आपने बड़ा लम्बा प्रोसीजर बता दिया है। मैं आपके द्वारा यह पूछूं कि एक समय की अवधि बता दें तब तक यह रिपोर्ट भी आ जाय और कार्यवाही हो जाय, इम्प्लीमेन्ट भी हो जाय।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट में.....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में कई प्रश्न जुडे हुए हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज का रिआर्गेनाइजेशन, आज रेवेन्यू लाज कमीशन की रिपोर्ट है वह रेवेन्यू बिल और टैनेन्सी बिल के सम्बन्ध में, और सादिक अली कमेटी की रिकमन्डेशन्स--यह तीनों एक साथ में इन्टरवूवन हैं इसलिए समय तो जरूर लगेगा। अब माननीय सदस्य किस जनरल इलेक्शन या आम चुनाव की बात कह रहे हैं, यह मैं समझ नहीं सका। क्या वह पंचायत चुनाव की बात कह रहे हैं या जनरल इलेक्शन की-वह मैं नहीं समझ सका। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की मान्यता है कि जो कुछ भी बिल पंचायत

(श्री परसराम मदेरणा)
राज के सम्बन्ध में लाया जाय वह एक दफा नहीं कई दफा सोच कर लाया जाय । हैपहेजर्ड वे में नहीं लाया जाय उस कमेटी की रिकमंडेशन्स विचाराधीन हैं और जिनको इम्प्लीमेन्ट करना है, वह या तो प्रिन्सिपल एक्ट में कर दिये गये हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से जो हो सकती थीं उनको केबिनेट में डिसीजन लेकर कर दिया गया है । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि जिला परिषद् को ज्यादा पावर मिलें, यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है । मैं समझता हूं जब बिल आयेगा, तो हम क्या रिकमन्डेशन्स इम्प्लीमन्ट करने वाले हैं उसका पता लग जायगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री हरलाल मीणा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों के विरुद्ध बी. डी. ओ. की पोस्टों को आपने एबालिश कर दिया है ।

श्री परसराम मदेरणा : यह बहुत बडी गलत फहमी चल रही है कि बी. डी. ओ. नहीं रहेंगे । बी. डी. ओ. रहेंगे । पंचायतों में और जगहें थीं उनको एबोलिश किया है ।

श्री भैरोंसिंह : कमेटी की रिपोर्ट में यह है कि आर. ए. एस. ओफिसर्स बी. डी. ओ. होने चाहिए ।

श्री खेतसिंह : यह नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह है ।

श्री खेतसिंह : मैं यह समझता हूं कि क्या अगले सत्र में माननीय मंत्री इस प्रकार का . .

श्री अध्यक्ष : आप जैसा चाहें समझें । नैक्स्ट । श्री हरलाल ।

प्रश्न संख्या 261

श्री हरलाल । (अनुपस्थित, कृपया आगे देखें) ।

नैक्स्ट । श्री रामचन्द्र आर्य ।

खानाबदोस व्यक्तियों को कृषि भूमि

262. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या सरकार खानाबदोस लोगों को भूमि देने की कोई योजना बना रही है ?

(2) अगर हां, तो नोहर तहसील में सपेरे व बनजावरियों व अन्य खानाबदोसों को भूमि कब तक आवंटित की जावेगी ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) राज्य सरकार के राजस्व विभाग में इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके लिए कोई सरकार भूमि देने की योजना बना रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कई जगह ऐसी योजनाएं बनी है । यह समाज कल्याण के द्वारा हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार . . . .

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह निवेदन करूंगा कि काफी जमीन पडी है और वहां पर कालबेलिये और बनबावरी पडे हैं ऐसे लोगों को जमीन क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनकी तरफ से या किसी और संस्था की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं आई है। ऐसी योजना आएगी तो उस पर विचार किया जावेगा।

श्री लादूराम सुलानिया : आप यह कहते हैं कि योजना नहीं बनाई जावे . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! बहुत से प्रश्न बाकी हैं।

ट्यूब वैल्स से सिंचाई

263. **श्री ललितसिंह** (बडी सादडी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में जहां बांध या सिंचाई के अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं, वहां ट्यूब वैल्स खोद कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने संबन्धी सरकारी योजना क्या है ?

(2) क्या पहाडी इलाकों में भी अब मशीनों द्वारा ट्यूब वैल लगाये जा सकते हैं। यदि हां, तो सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है कि जिस प्रकार बांध सरकारी तौर पर बांधे जाते हैं उसी प्रकार सरकारी तौर पर ट्यूब वैल्स खोद कर सिंचाई के लिए उपलब्ध किये जाएं ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) :

(1) राजस्थान में ट्यूब वैल्स खोद कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करने के लिए राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा एक सर्वेक्षण और अन्वेषण की योजना इसी साल चालू की गई है। सर्वे हो जाने पर प्राप्त भूजल का ज्यादा उपयोग हो सकेगा।

(2) पहाडी इलाकों में ट्यूब वैल्स केवल उन्हीं जगहों पर बनाये जा सकते हैं जहां पर काफी गहराई तक वाटर-बीअरिंग एकुफर मिल सकें। जो कि सर्वेक्षण के बाद ही मालूम हो सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार सरकार ने पहाडी क्षेत्रों में भी सर्वे कराने का काम हाथ में लिया है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : अब तक यह ट्यूब वैल्स का काम गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के पास था। अब इस वर्ष राजस्थान वाटर बोर्ड के हाथ में दिया गया है। जो वास्तव में जयपुर और नागौर में काम कर रहे हैं और सर्वे और इन्वेस्टिगेशन का काम वहां खत्म हो जावेगा· · · ·

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने पहाडी क्षेत्र का पूछा है आपने जयपुर और नागौर की बात कही है। क्या पहाडी क्षेत्र में भी आपके पास कोई इस प्रकार की सर्वे और इन्वेस्टिगेशन जल्दी कराने की योजना आपके पास है ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मैंने कहा कि सर्वे और इन्वेस्टीगेशन में अगर वहां पर अन्डर ग्राउन्ड वाटर है तो योजना चालू की जावेगी अगर वहां पानी नहीं है तो नहीं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पहाडी इलाकों में ट्यूब वैल्स इतने

Page No. 16

(श्री परसराम मदेरणा)
सक्सेसफुल नहीं होते जितने दूसरी जगह होते हैं। क्योंकि पहाडी इलाकों में वेलीज होती हैं और अगर कहीं उनके बीच में जमीन ऐसी हो जहां कणों के द्वारा पानी आता है तो वहां पर पानी उपलब्ध हो सकता है। अगर कणों के द्वारा पानी उपलब्ध नहीं होता है तो नहीं। तो ऐसी हालत में ट्यूब वेल्स में खर्चा लगता है वह ज्यादा लगेगा और फायदा भी ज्यादा नहीं होगा। यह तो सर्वे और इन्वेस्टीगेशन होने के बाद ही कहा जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पूछा यही गया है कि क्या आपके पास कोई योजना है जिससे अकाल के समय पहाड़ी क्षेत्र में समाधान हो सके ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री बी. एन. जोशी।

दीसा नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि पर मकानों का निर्माण

264. **श्री बी. एन. जोशी** (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दीसा नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि पर पक्के मकानात बराबर बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसे अनधिकृत मकानों को तुडवाने की कोई कार्यवाई करेगी ?

(2) क्या दीसा नगरपालिका क्षेत्र में मंदिर गिरधारीजी के नाम कोई माफी की जमीन थी जो लालसोट रोड पर स्थित थी ? यदि हां, तो उसका क्या रकबा था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर अनधिकृत तौर पर दुकानों व मकानों की तामीर की जा रही है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में उन मकानों को तुडवाने की कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि यह जमीन लाख डेढ लाख रुपये की कीमत की है ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :
(1) दीसा नगरपालिका क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पर काफी मकानात दुकानात बन चुके हैं। यह निर्माण अधिकतर पहले ही हुआ है। अलबत्ता अब भी यत्र तत्र पुराने निर्माण चालू हैं।

(2) दीसा नगरपालिका क्षेत्र में मंदिर श्री गिरधारीजी के नाम से कोई माफी नहीं है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री बी. एन. जोशी : जो नाजायज कब्जे पहले किये गये हैं वे कितनी जमीन पर हैं और उनके लिये सरकार क्या उनको तुडवाने का विचार रखती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री बी. एन. जोशी : जिन लोगों ने नाजायज कार्यवाही की और सरकारी अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया उनके खिलाफ क्या सरकार कोई कार्यवाही की है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह एक दौसा का ही प्रश्न नहीं है। ऐसे दौसा और जयपुर में है। वहां कृषि भूमि पर मकान बनाया है। सरकार इस पर विचार कर रही है कि क्या कार्यवाही की जावे।

श्री बी. एन. जोशी : क्या आप कहने की स्थिति में हैं कि कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी निर्णय लिया जावेगा, एसेम्बली के बाद ही होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जावे कि अभी तक सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि आपने इसके लिये टैक्सों का प्रावधान बजट में रखा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पहले तो यह है कि जहां पर अनधिकृत रूप से मकान बन चुके हैं कृषि भूमि पर उनके लिये क्या किया जाए। जो प्रावधान रखा गया है वह कृषि भूमि को आबादी लैंड में परिवर्तन करने के बारे में रखा है। जो मकान बन चुके हैं उसके बारे में क्या किया जावे उसके लिये प्रावधान नहीं है।

श्री लालूराम : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि ··

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री बी. एन. जोशी : अब तक सरकारी जमीनों पर मकानात और दुकानें बहुत ज्यादा तादाद में बनने लग गई हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह बिल्कुल दुरुस्त है।

श्री अध्यक्ष : दोनों ही दुरुस्त हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लैंड रेवेन्यू एक्ट के दफा 91 की तहत में मुकदमें चलाये गये लेकिन यह धारा डिफेक्टिव साबित हुई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मनोहरसिंह मेहता।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में शराब की गारन्टी रकम

265. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

राज्य में जिन जिन जिलों में अभी अकाल है उनमें सुकाल के मुकाबले में शराब की गारन्टी की रकम बढ़ी है या कम हुई है ?

आबकारी मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : जिलेवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने सूची को देखा है। इसमें 65-66 में 6,64,84,088 की शराब बिकी है। सन् 66-67 में 7,30,13, 530 की शराब बिकी और सन् 67–68 में 7,46,76,527 की शराब बिकी है। अकाल में शराब उत्तरोत्तर ज्यादा बिकी है। मैं कहूंगा कि अकाल में तो इसकी बिक्री कम होनी चाहिये। यह संकट काल है। बाबर ने भी तो जब वह संकट में था तब उसने भी शराब छोड दी थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि शराब की कीमत भी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
दो तीन दफा बढ़ चुकी हैं, अब कीमत बढ़ेगी तो रकम अपने आप बढ़ेगी।

श्री मनोहरसिंह : अगर आप यह मानते हैं कि कीमत बढ़ी है तो क्या आप बतला सकते हैं कि कितनी बोतलें बिकी हैं?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। नेक्स्ट।

(प्रश्न संख्या 266 नहीं पूछा गया)

कोटा में सरकारी कर्मचारियों को सिटी अलाउन्स

267. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकारी कर्मचारियों को सिटी अलाउन्स दिये जाने के लिये कोई नियम बने हुए हैं? अगर हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि कोटा के कर्मचारियों की ओर से लगातार सिटी एलाउन्स के लिये मांग की जा रही है?

(3) क्या यह सही है कि कोटा नगर में औद्योगीकरण के कारण मंहगाई काफी बढ़ गई है?

(4) अगर हां, तो सरकार कोटा के कर्मचारियों को सिटी एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में क्या विचार रखती है?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : नं. 1

श्री भैरोंसिंह : नं. 1 पीछे।

अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब कहां गये। बजट पर बहस चल रही है और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब यहां नहीं हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की तरफ से मैं उत्तर दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप भूतपूर्व फाइनेन्स मिनिस्टर हैं, इस समय राजस्व मंत्री हैं आगे न मालूम क्या होने वाले हैं, पर हाउस में फाइनेन्स मिनिस्टर साहब क्यों नहीं हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वे एक गम्भीर प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं इसका पता लगा रहा हूं कि मिनिस्टर महोदय यहां क्यों नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम तो इस कुर्सी का मान बढ़ाने के लिये कह रहे हैं। कुर्सी ने कई बार आदेश दिये हैं कि मंत्री महोदयों को यहां हाउस में उपस्थित रहना चाहिये, पर कुर्सी के इन आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। यह आदेश दे देने के बाद भी पता लगाने जैसी स्थिति रहती है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है।

राजस्व मंत्री (वित्त मंत्री की ओर से श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) जी हां। सरकारी आदेश संख्या एफ 1:9 एफ. डी. एक्स. पे. रूल्स 65 दिनांक 30–3–64 व 23–9–64 की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) कोटा के कर्मचारियों ने 1966 में सरकार के सामने कई मांगें रखी थीं। उनमें यह मांग भी थी। इस प्रकार की मांग कई स्थानों के कर्मचारियों से आई हैं।

(3) महंगाई का प्रभाव सभी जगह

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
पड़ा है। केवल कोटा ही इससे प्रभावित नहीं है।

(4) ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : राजस्थान के अन्दर सिटी एलाउन्स कौन कौन से शहरों में दिया जा रहा है? व वह कब से दिया जा रहा है!

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सिटी अलाउन्स केवल जयपुर में ही दिया जाता है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कौन से साल से जयपुर में सिटी अलाउन्स दिया जा रहा है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 30 मार्च, 64 का आर्डर है, जिसकी कापी आपको दी है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : 64 में सरकार ने आदेश निकाले पर जयपुर के लिये सिटी अलाउन्स की व्यवस्था की गई थी, उसके पीछे क्या आधार था, इस व्यवस्था में केवल जयपुर शहर ही आया बाकी शहर नहीं आये, इसका क्या कारण है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जयपुर की जनसंख्या 4 लाख से ज्यादा हो जाने से उस वक्त कठिनाइयां थीं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सिटी अलाउन्स और आबादी में क्या सम्बन्ध है? क्या इसका प्राइस इन्डेक्स से सम्बन्ध है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसका सम्बन्ध मकानों की नानअवेलेबिलिटी से है बाहर से जो लोग आते हैं उनको रहने में तकलीफ होती है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि जयपुर की अपेक्षा आज की स्थिति में कोटा के अन्दर मकानों का किराया दुगना है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या राज्य सरकार ने 64 के बाद राजस्थान के अन्य बड़े बड़े शहरों में जिस प्रकार जयपुर शहर में कर्मचारियों को सिटी अलाउन्स दिया है, उसी तरह राजस्थान के दूसरे बड़े बड़े शहरों में भी सिटी अलाउन्स देने का विचार किया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : भारत सरकार ने भी जयपुर को ही इस स्पेशल केटेगरी का सिटी माना है, बी, क्लास सिटी के नियम जयपुर शहर पर ही लागू हैं। मेरे पास सूचना आई है कि मकानों के किराये के लिये कोटा में हाउस रेन्ट देते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि जयपुर सिटी में हाउस रेन्ट के साथ साथ सिटी अलाउन्स नहीं मिलता?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: देते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जब हाउस रेंट और सिटी अलाउन्स दोनों ही जयपुर में देते हैं तो आपका यह उत्तर कोई मायने नहीं रखता कि कोटा में हाउस रेंट देते हैं। क्या सरकार ने कोटा के लिये सिफारिश की है कि वहां कर्मचारियों को सिटी अलाउन्स दिया जाय?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: इस बात पर सरकार

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
सिफारिश कर सकती है जयपुर में सिटी अलाउन्स कम कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह कमी करना आपके अख्त्यार की बात नहीं है कर के देख लें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या 64 के बाद से सरकार ने विचार किया है कि अन्य शहरों में भी सिटी अलाउन्स दिया जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कई जगहों से इस प्रकार के रिप्रेजेन्टेशन्स आये और सरकार ने निर्णय लिया कि जयपुर के अलावा और जगह सिटी अलाउन्स नहीं दिया जा सकता।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या कारण है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : राजस्थान के अन्य शहरों में भी महंगाई की समस्या हाउस की समस्या और अन्य कई मुसीबतों का सामना करना पड रहा है और सरकार कहे कि विचार नहीं किया तो मैं समझता हूं इससे बढ कर शर्म की और बात सरकार के लिये नहीं हो सकती ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

तहसील दूदू में अनधिकृत कब्जों के मुकदमें

238. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील दूदू में 31 मार्च, सन् 67 तक कितने मुकदमें अनधिकृत कब्जा करने सिवाय चक भूमि के दर्ज हुए और इनके फैसले हो चुके या नहीं अगर नहीं, तो कब तक फैसले हो जावेंगे ?

(2) क्या सरकार किसान को सस्ता न्याय दिलाने हेतु ग्राम में सुनवाई का मौका देकर फैसला करा सकती है !

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) तहसील दूदू में 31-3-67 तक मामले सिवाय चक पर अतिक्रमण करने के कुल 872 दायर हुए, इनमें से 101 मुकदमात फैसल हो चुके हैं । और 771 मुकदमात फैसल होने बाकी हैं। इन बाकी मुकदमात को 30-6-67 तक सम्भवतः फैसल कर दिये जावेंगे।

(2) 75 प्रतिशत मुकदमात अनधिकृत कब्जों के किसानों को सस्ता न्याय दिलाने हेतु ही मौके पर फैसल किये गये हैं । और आयन्दा भी जहां तक संभव होगा मौके पर ही फैसल किये जाने का प्रयत्न किया जावेगा।

श्री सुवालाल : मौके पर फैसल करने का जो कहा है वह बिलकुल झूंठ है, करीब छः छः सात सात वर्षों से मुकदमें चल रहे हैं उनमें किसानों को दस दस, बीस बीस माइल दूर से आना पडता है। क्या सरकार इस बारे में स्पष्ट आदेश देगी कि तहसीलदार या नाजिम, अमुक अमुक तारीख को अमुक अमुक समय पर अमुक अमुक मौके पर उपस्थित हो कर मौके पर ही सब मुकदमात का फैसला करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : मौके पर फैसला करने की हिदायतें दी जा चुकी हैं और इस प्रकार मामले फैसल किये जाते हैं।

श्री लादूराम मुलानिया : सात सात वर्ष से मुकदमें चल रहे हैं, अनधिकृत कब्जे

(श्री लादूराम सुलानिया)
थे उनको आपके अधिकारी नहीं छुड़ा सके तो क्या मंत्री महोदय कोई निश्चित अवधि बतायेंगे कि इस अवधि में इनको तय कर दिया जायगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक रेगुलेराइजेशन का सवाल है, आदेश दे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सुकेत सलावर लिंक रोड पर निर्माण व्यय

269. **श्री जुझारसिंह** (रामगंजमंडी): क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सलावर, तहसील रामगंज मन्डी द्वारा विकास विभाग की सलाह पर सुकेत सलावर लिंक रोड के लिये धनराशि तहसील में जमा करवाई गई थी ?

(2) सुकेत सलावर लिंक रोड के लिये सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई थी और यह रकम किसके मारफत कब कब और कितनी कितनी खर्च की जा चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि सुकेत सलावर लिंक रोड पर गांव वालों ने फिर से खर्चा करना शुरू किया है और सरकार से उनके द्वारा पहले जमा की जा चुकी रकम की वापसी के लिये मांग की हुई है ?

(4) सरकार इस सडक को पूरा कराने व अब तक इसके पेटे जमा की जा चुकी रकम का उपयोग करने के लिये क्या कर रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) जी नहीं। जन सहयोग 600) रु. पंचायत विकास समिति के खाते बैंक में सन् 1960 में जमा कराये गये।

(2) 10000) रु. इस रकम के खर्च के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

(3) गांव वालों ने सडक का काम फिर से आरम्भ किया है। रकम वापिसी की कोई मांग पंचायत समिति से नहीं की है।

(4) जब तक पूर्व स्वीकृत रकम ठेकेदारों से वसूल नहीं हो जावे तब तक अर्थाभाव के कारण सडक निर्माण का कार्य पंचायत समिति द्वारा कराया जाना संभव प्रतीत नहीं होता।

श्री जुझारसिंह: गांवों के विकास के काम होते हैं, इसकी एजेंसी क्या है ? किसके मार्फत ये काम किये जाते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : एजेंसी पंचायत होती है।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि यह रकम पंचायतों को नहीं बांट कर पंचायत समिति के आफीसर्स थे उन्होंने ठेकेदारों को रकम दी है ?

श्री परसराम मदेरणा : तहसीलदार की चेअरमैनशिप में एक विकास समिति का गठन किया गया है और उस विकास समिति को यह रकम दी है।

श्री जुझारसिंह : आपने अभी फरमाया

Page No. 22

(श्री जुझारसिंह)
कि पंचायत एजेन्सी है तो दूसरों को यह रकम क्यों दी ?

श्री परसराम मदेरणा : सोचा तो ऐसा ही गया होगा कि तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी तो काम ठीक होगा पर, यहां इसके विपरीत कार्य किया गया। तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि नियमानुसार बने हुए काम को देखने के बाद ही दूसरी किश्त दी जानी चाहिये ?

श्री परसराम मदेरणा : पहली इन्स्टालमेंट का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तभी दूसरा इन्स्टालमेन्ट दिया जाता है पर इसमें दो मुश्त में रकम दे दी गई है, पांच, पांच हजार की, कुल 10 हजार का अनुदान दिया गया।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी एक सवाल पूछना है। यह जो 10 हजार रुपयों का अनुदान पंचायत को मिला है, सब मिलाकर 15-16 हजार की रकम होती है। यह रकम किश्तों में दी है और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं दिए। यह रकम 7 साल से पड़ी हुई है। न तो वसूल की जा रही है और विदाउट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाना गलत चीज है। इसमें जांच नहीं हुई है, इस रकम का दुरुपयोग सर्टिफिकेट दिया जाना गलत चीज है। इसमें जांच नहीं हुई है, इस रकम का दुरुपयोग हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : इस विकास समिति ने दो ठेकेदारों को 8500) रुपये की धनराशि एडवांस कर दी इस सडक बनाने के लिए। उन्होंने उसका यूटिलाइजेशन ठीक तरह से नहीं किया। कुछ काम जरूर किया, लेकिन पूरा नहीं किया इसलिए पी. डी. आर. की कार्यवाही चल रही है। पी. डी. आर. का निर्णय होने के बाद जो मलिकराम ठेकेदार था, जिसको 5500) एडवांस किए गए थे, उसने जिला व सेशन्स कोर्ट में अपील की और वहां से स्टे आर्डर हो गया है और दूसरे ठेकेदार श्री जान को तीन हजार दिए गए थे। उनके खिलाफ पी. डी. आर. की कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री जुझारसिंह : आपने पिछली विधान सभा में आश्वासन दिया था कि शीघ्र दिलवाया जायगा। यह रकम आपकी गलती की वजह से बांटी गई। गांव वालों ने पैसे लगाये, आप पैसा देने के लिये तैयार नहीं हो तो किस तरह से वहां का काम चलेगा ?

(प्रश्न संख्या 270)

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह दांता।
(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री देवीदत्त गाडिया।

शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में पायलेट प्रोजेक्ट स्कीम

271. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र की किन किस ग्राम पंचायत में कुछ वर्ष पूर्व पायलेट प्रोजक्ट स्कीम लागू की गई थी ?

(2) जिन ग्राम पंचायतों में पायलेट

(श्री देवीदत्त गाडिया)

प्रोजेक्ट स्कीम लागू की गई उनमें कितने रुपयों की लागत के क्या क्या विकास के कार्य करवाए गए ? सूची सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि कई ग्राम पंचायतों में पायलेट प्रोजेक्ट स्कीम्स के लिए जो रुपया दिया गया था, उसका सही उपयोग नहीं हुआ, यदि हां तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा):

(1) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(3) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या जिन कार्यों के लिए रुपया दिया गया वे नए थे ? पाइलेट प्रोजेक्ट के लिए ये कार्य नए थे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सूची मैंने आपको बता दी है । जो कार्य पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत किए गए थे वे पूरे के पूरे नए थे यह मैं नहीं कह सकता लेकिन जो मैंने सूची दी है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यादातर नए थे । मैं नहीं कह सकता कि पहले क्या हालत थी लेकिन जहां तक मैं समझता हूं सब के सब कार्य नए थे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिन कार्यों के लिए रुपया दिया गया उनमें 36,500) के अभी तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिले तो फिर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री परसराम मदेरणा : यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इसलिए नहीं मिले कि वहां ओवरसीयर नहीं थे । बहुत से ओवरसीयर राहत कार्यों पर लगे हुए हैं । कई पंचायतों के बीच एक एक ओवरसीयर रखा गया था । अब अकाल का काम अगले दो महीनों तक चलेगा फिर ओवरसीयर्स को पंचायत समितियों में लगावेंगे और यूटिलाइजशन सर्टिफिकेट्स जल्दी इश्यू करेंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह रुपया 1961-62 में दिया गया और उस समय पाइलेट प्रोजेक्ट लागू की गई और अभी तक 36,500 के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स न मिलना और उनके विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : लास्ट इन्सटालमेंट जो इन वर्क्स के लिए दी गई है, अगर उनका यूटिलाइजेशन ठीक तरह से नहीं हुआ है तो यह टेक्निकल हैड ही बता सकता है और अब तक लास्ट किश्त के बारे में लीगल आदमी की राय नहीं आई है । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वस्तुस्थिति क्या है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि कलेक्टर खुराना द्वारा जो जांच की गई, उसके अनुसार पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जो रुपया खर्च किया गया है, उन्होंने लिखा कि धन का दुरुपयोग किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

Page No. 24

पाली जिले के एक भूतपूर्व पटवारी द्वारा गबन

372. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 13-4-67 को कलेक्टर भू-अभिलेखन पाली द्वारा श्री दौलतराम, सदस्य विधान सभा, भूतपूर्व पटवारी को भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत गबन का मुकदमा बनाने का नोटिस दिया था ? यदि हां तो क्यों ?

(2) इस नोटिस के पश्चात् इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा):—(1) जी हां । तारीख 7-4-67 को एक जना खेवरचन्द जोशी ने शिकायत की थी जिसमें श्री दौलतराम, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध सरकारी रकम के गबन की शिकायत की गई थी । श्री दौलतराम जब वे पटवारी थे उस समय निलंबित किये गए थे और जिला रेवेन्यू अकाउन्टेंट ने उन पर 140.14 पैसे के गबन की रिपोर्ट की थी और एडीशनल कलेक्टर ने उनको तीन ग्रेड इन्क्रीमेंट रोकने की सजा दी थी । आडिट नोटिस के पश्चात् पुलिस में मामला दर्ज न करने की कोई आज्ञा राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई । इसलिए कलेक्टर द्वारा इस प्रकार का नोटिस जारी किया गया ।

(2) पत्रावली अंतिम आज्ञा के लिए विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री दौलतराम को सस्पेंड करने के पश्चात् रीइन्सटेट कर दिया गया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो रीइन्सटेटमेन्ट का आर्डर इश्यू हुआ, उसमें उस पर केवल आफिशियल नेग्लीजेंस का ही चार्ज रहा और गबन का कोई चार्ज नहीं था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आडिट नोट्स के बाद 140.14) रु. आडिटर्स ने गबन के कायम रखे ।

श्री भैरोंसिंह : मैं आडिटर्स की बात नहीं करता । जिस समय रीइन्सटेट किया उस समय उन पर क्या गबन का आरोप नहीं एस्टेब्लिश हुआ और केवल आफिशियल नेग्लीजेंस थी जिसके कारण दो इन्क्रीमेंट्स रोके गए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तीन इन्क्रीमेंट्स रोके गए लेकिन यह एडीशनल कलेक्टर ने किया था । कलेक्टर ने उसको न मानकर नोटिस दिया ।

श्री भैरोंसिंह : मैं दूसरी बात पूछता हूं । जो इन्क्रीमेंट्स रोके गए वह गबन के आरोप के कारण या आफिशियल नेग्लीजेंस के कारण ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इनको तीन इन्क्रीमेंट रोकने की सजा दी गई एडीशनल कलेक्टर ने यह मानकर दी कि यह रकम किसानों को लौटानी चाहिए थी वह नहीं लौटाई । लेकिन यह रकम उन्होंने वापिस लौटा दी इसलिए तीन इन्क्रीमेंट्स रोकना पर्याप्त मानकर···

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि जिस रकम का गबन किया गया, वह रकम रीइन्सटेटमेन्ट के पहले लौटा दी गई थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जी हां।

श्री भैरोंसिंह : रकम लौटाने के बाद रीइन्सटेटमेन्ट 4-2-64 को हो गया तो 13-4-67 को इस प्रकार का नोटिस कलेक्टर द्वारा जारी करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फौजदारी गबन के मामले में कोई मियाद नहीं होती। अगर बाद में भी पाया जाय कि गबन हुआ है तो कार्यवाही···

श्री भैरोंसिंह : क्या ऐसे मामलों में कलेक्टर द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं कि अमुक आदमी ने गबन किया है, तुम्हारे खिलाफ···

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सूचना देना ज्यादा अच्छा होता है।

श्री भैरोंसिंह : यह सवाल नहीं है, बताइए कि पोजीशन क्या है ? कलेक्टर इस प्रकार के नोटिस देते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दे सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह: नहीं दे सकते हैं। क्या यह सही है कि सरकार ने लॉ डिपार्टमेन्ट से जब उस सम्बन्ध में राय ली तो सरकार को सूचित किया गया कि कलेक्टर को नोटिस देने का अधिकार नहीं था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मामला विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : कल ओपीनियन ली है, आज कहते हैं कि विचाराधीन है। ओपीनियन आपने ली है : लॉ विभाग ने कहा है कि नोटिस देने का कलेक्टर को अधिकार नहीं था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: ओपीनियन देने से चीज फाइनल नहीं होती। राज्य सरकार अंतिम निर्णय बाद में लेगी।

श्री भैरोंसिंह: प्रश्न यह है कि एक विधायक को कांग्रेस दल में मिलाने के लिए **कलेक्टर के आफिस का दुरुपयोग किया गया है।**

श्री बृजसुन्दर शर्मा: बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह: बिल्कुल सही है। कोई कारण नहीं हो सकता कि कलेक्टर गबन के मामले में इस प्रकार का नोटिस दे। जो मामला डिसाइड हो गया, जिसको आफिशियल नेग्लीजेंस के कारण सजा हो चुकी, दो इन्क्रीमेंट्स रुक गए, रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया और उस आदमी ने राजस्थान के उप-मन्त्री को हरा दिया उसके बाद में नोटिस देकर कांग्रेस में मिलाने के लिये धमकाया, इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं मिल सकता।

श्री अध्यक्ष: श्री मूलचन्द डागा !

श्री लादूराम मुलानिया: यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका स्पष्टीकरण मन्त्री महोदय को देना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जो माननीय सदस्य द्वारा कहा गया है वह गलत है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल सही है। आपको इस तरह की बातें सदन में कहने की आदत पड़ गई है। इस नोटिस देने के बाद सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: कलेक्टर ने नोटिस की जो कुछ कार्यवाही की उस पर अपनी

Page No. 26

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भेजी और उसमें यह निर्णय चाहा गया कि क्या इतने दिनों के बाद गबन का मामला जो बिलकुल साबित है, इस पर मुकदमा चलाया जाय या नहीं। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री शिवचरण सिंह (महुआ): क्या यह सही है कि विरोधी एम. एल. एज. के दबाव के कारण राजस्व मन्त्री सदस्य महोदय के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह: यदि हमारा दबाव मानें तो आपके यहां तीन एम. एल. एज. हैं जिन पर गबन के आरोप हैं उनके खिलाफ भी···

श्री अध्यक्ष: श्री मूलचन्द डागा !

पाली जिले के सरकार और पंचायत समितियों द्वारा प्रबन्धित फार्म्स

273. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में कुल कितने फार्म्स राज्य सरकार और पंचायत समितियों द्वारा प्रबन्धित एवम् संचालित किए जा रहे हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन फार्मों से सन् 1964, 1965 व 1966 में कितना कितना लाभ हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) पाली जिले में तीन कृषि फार्म हैं और वे राज्य सरकार द्वारा ही संचालित हैं। राजकीय सहायता प्राप्त पंचायत समितियों द्वारा संचालित कोई फार्म नहीं है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

(12.00 मध्यान्ह)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कौन से एम. एल. एज.....

श्री अध्यक्ष: शान्तम्।

श्री परसराम मदेरणा: (2) इन फार्मों में निम्न प्रकार से लाभ हुआ :

सुरायता फार्म

	लाभ	हानि
सन् 1964–65	4901.05	—
सन् 1965–66	—	4197.88
सन् 1966–67	3145.73	

हेमावास फार्म

सन् 1964-65	4876.63
सन् 1965-66	9350.88
सन् 1966-67	10520.00

सुमेरपुर फार्म

सन् 1964-65	18,372.17
सन् 1965-66	9,058.57
सन् 1966-67	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री मूलचंद डागा: क्या राज्य सरकार यह बतायगी कि सन् 64–65 में कितनी धनराशि सुरायता और सुमेरपुर फार्म पर लगी?

श्री परसराम मदेरणा: ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। जो इन्वेस्टमेन्ट हुआ है उस पर

Page No. 27

(श्री परसराम मदेरणा) क्या लाभ और हानि हुई और कुल कितना खर्चा एस्टेबिलशमेन्ट के बाद हुआ यह आंकड़े मेरे पास नहीं है। लाभ हानि क्या हुई वह मैंने बता दिया। इन्वेस्टमेन्ट होता है तो डिप्रिशियेशन आदि निकाल कर ही आंकड़े निकाले जाते हैं।

श्री खेतसिंह (शेरगढ) : माननीय मन्त्री महोदय के पास शुद्ध लाभ के आंकड़े हैं। उनको यह मालूम नहीं है कि कुल कितना खर्चा हुआ और कुल कितना लाभ हुआ।

श्री मूलचन्द डागा: क्या राज्य सरकार यह बतायेगी कि सुरायता और सुमेरपुर के फार्म पर आज तक कितनी धनराशि, जब से ये शुरू किये गये हैं, लगायी गई है ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। श्री केसरीसिंह।

कोटा में गत तीन सालों में शराब के ठेके के तरीके

274. **श्री केसरीसिंह** (हिन्डोली): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा नगर में सन् 1965–66, 1966-67 व 1967-68 में शराब के ठेके कितने कितने में दिये गये थे और किस किस को ?

(2) तीनों सालों में ठेका देने के तरीके क्या क्या रहे ?

आबकारी मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) सूची संलग्न है। (कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

(2) सन् 1965-66 व 1966-67 में ठेके टेण्डर प्रणाली द्वारा दिये गये। सन् 1967-68 में ठेके एक्साइज रूल्स के नियम 67 के उप-नियम 2 के अधीन नेगोशियेशन प्रणाली द्वारा दिये गये।

श्री केसरीसिंह: ठका टेण्डर सिस्टम से क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जब गारन्टी की रकम कम होती है और कई लोग बोली लगाने वाले होते हैं तो ठीक तरह से रकम नहीं आती है। नेगोशियेशन के द्वारा जो निर्धारित रकम होती है उस पर ठेके दे दिये जाते हैं।

श्री केसरीसिंह: क्या यह सही है कि 66-67 और 67-68 के अन्दर जो गारन्टी की रकम 23 लाख रुपया आयी द्वारा आक्शन सिस्टम होता तो 5 लाख और आ सकती थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 66-67 में 7 दुकानों के टेन्डर प्राप्त हुए थे जिनमें से एक टेन्डर देने वाले ने हाई कोर्ट में रिट करदी, रिट खारिज भी हो गई 66-67 की कोटा शहर की रकम 23 लाख थी। कोटा शहर की पिछले सालों के ठेके की रकम का औसत निकाला तो 22,35,372 रुपया आयी किन्तु गत वर्ष से रेट कम निर्धारित न करने के कारण राज्य सरकार के इस प्रकार के आदेश होने से 23 लाख रुपया निर्धारित हुआ। इसलिए 67-68 का ठेका भी उन्हीं को देने का तय किया गया।

श्री केसरीसिंह: दो साल तक एक रकम आयी तो पिछले साल आक्शन क्यों नहीं कराया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 22,35,372 रुपये की गारन्टो थी और 23 लाख रुपया इससे मिला इस वजह से नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : श्री माधोसिंह !

ग्राम हरियाली, तहसील आहोर की प्राथमिक पाठशाला

275. **श्री माधोसिंह** (आहोर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) गांव डोडीयाली, तहसील आहोर की प्राथमिक पाठशाला में पिछले एक वर्ष में कितने छात्र थे ?

(2) क्या यह सही है कि डोडीयाली की सीमा में हरियाली नाम के कस्बे में जो पाठशाला है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है जब कि इसमें करीब 20 छात्र अनुसूचित जाति के पढ़ते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस पाठशाला को हटाने के सम्बन्ध में पंचायत समिति आहोर में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) औसतन 20 छात्र प्रति दिन।

(2) पाठशाला हटाने का प्रस्ताव आया है। अनुसूचित जाति के औसतन 10 छात्र पढते हैं।

(3) जी हां।

श्री माधोसिंह : अनुसूचित जाति के अलावा और कितने छात्र हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : हरियाली में अनुसूचित जाति के 8 छात्र हैं जो अप्रेल के महीने में पढ रहे थे। सवर्ण छात्र और छात्रायें 9। परिगणित जाति के 6, पिछडी जाति के 6, कुल 29 छात्र अप्रेल में थे।

श्री माधोसिंह : हरियाली में कब पाठशाला की जावेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : यह समिति के सोचने की बात है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री श्रवणलाल !

तहसील हिन्डौन की जनता के लिये राशन व्यवस्था

276. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि हिन्डौन तहसील की जनता अकाल के कारण अनाज के लिये परेशान है ?

(2) क्या यह भी सच है कि हिन्डौन में सरकारी गल्ला करीब 20 हजार बोरी मौजूद होते हुए भी जनता को नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों नहीं और दिया जायेगा तो कब तक ?

(विराम)

कई माननीय सदस्य : कोई जवाब देने वाला ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : खाद्य मंत्री !

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी नहीं।

(2) जी हां।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर गल्ला मौजूद होते हुए भी जनता को क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री परसराम मदेरणा : हिन्डौन का क्षेत्र अभाव क्षेत्र नहीं है और हिन्डौन राजस्थान में खाद्यान्न की बहुत बडी मंडी है और खाद्यान्न भी वहां पर अच्छी मात्रा में उपलब्ध है इसलिये जो इम्पोर्टेड गेहूं हमारे पास वहां गोडाउन्स में है वह आस पास के अन्दर जरूरत पडे तो सप्लाई किया जा सके इसके लिये है। गेहूं वहां गोडाउन में रख छोडा है और जरूरत पडती है तो सप्लाई किया जावेगा।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि बरसात से ओले पडने के कारण सर्दी से फसल बरबाद हो चुकी और इसके साथ साथ बांध में पानी न होने से जनता को भारी नुकसान पहुंचा है ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसी फसल की खराबी की कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आयी है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत बडा प्रश्न है। पास में गंगापुर एक अच्छी मंडी है। वहां पर इस प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। वहां पर इम्पोर्टेड वीट दिया जा रहा है और हिन्डौन में गेहूं मौजूद होते हुए भी नहीं दिया जा रहा है और त्राहि त्राहि मची हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, दीर्घकाय उत्तर न हो।

श्री परसराम मदेरणा : जनता त्राहि त्राहि मचा रही है यह राज्य सरकार को सूचना नहीं है। गंगापुर में मार्च और अप्रेल में गेहूं सप्लाई किया। वहां गेहूं गोदाम में पडा था उसके खराब होने की संभावना थी। हिन्डौन में पडा है गेहूं वह अच्छी हालत में है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्री श्रवणलाल : जहां गेहूं देना होता है वहां खराब बता कर दे दिया जाता है जहां नहीं दिया जाता है...

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर! और कई प्रश्न हैं। ऑर्डर ! ऑर्डर!!

उदयपुर जिले में अकाल राहत

277. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में जो राहत के कार्य चल रहे हैं उन पर एक परिवार के पीछे केवल दो व्यक्तियों को ही काम पर लगाने की सरकार ने आज्ञा दी है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका हिसाब लगाया है कि दो व्यक्तियों की आय से कितने लोगों का पेट भरा जा सकता है ?

(3) अकाल क्षेत्र में लोगों को राशन में कितना किलो अनाज दिया जाता है और किस भाव से ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) अकाल क्षेत्र में 5 किलो ज्वार प्रति व्यक्ति प्रति माह दी जाती है। इसके

(श्री गंगाराम चौधरी)
अलावा 6 किलो चना भी यदि उपलब्ध होता है तो दिया जाता है । ज्वार व चना क्रमशः 47 पैसे एवं 78 पैसे प्रति किलो के भाव से दिया जाता है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि वहां राशन बराबर पहुंचता नहीं है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अब तक तो ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तार दिये हैं । और क्या चाहिये ।

श्री खेतसिंह (शेरगढ) : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि जो धान आप दे रहे हैं उसमें कंकड और धूल मिली होती है और सड़ा हुआ होता है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

पंचायत अमरपुरा के गठन का आधार

278. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) ग्राम पंचायत अमरपुरा, पंचायत समिति सूरतगढ में कितने ग्राम हैं ?

(2) उपरोक्त पंचायत की कुल आबादी कितनी है और एक दूसरे गांव से बीच का फासला कितना है और कुल कितने ग्राम हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अमरपुरा पंचायत पार्टीबाजी के आधार पर गठित की गई है ?

(4) क्या सरकार इस प्रकार की पंचायतों का पुनर्गठन करने का विचार रखती है जिनका गठन गलत ढंग से हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार पंचायत समिति सूरतगढ की पंचायतों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) :
(1) 10 गांव हैं ।

(2) जन संख्या 6067 है । गांवों के फासलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 6 देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य : यह उत्तर गलत है । उस पंचायत में 18 गांव हैं और प्रश्न के उत्तर में 10 ही बताये हैं । दूसरे, जनसंख्या भी गलत है । 10 हजार के करीब की जनसंख्या है, छ हजार की नहीं । तीसरे, जो गांव अमरपुरा गठान मुख्यालय है वह गैर आबाद गांव है । मनफूलसिंहजी का घर है, और कोई मकान नहीं है वहां । तो इस प्रकार गलत सूचना दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : यह सूचना गलत है क्या ?

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तो सभी गलत ही गलत कहा गया है ।

श्री परसराम मदेरणा : कौनसी बात गलत है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस गांव की आबादी कितनी है ?

श्री परसराम मदेरणा : अमरपुरा राठान की आबादी 1961 की जनसंख्या के अनुसार 25 थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज कितनी हैं !

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : यह घग्घर की बाढ आने के बाद कितनी रह गई ?

श्री परसराम मदेरणा : 1966 में डिलिमिटेशन के समय इस पंचायत के पूरे दस गांवों की आबादी 1312 थी पर आज वह 60-61 हो गई हैं। उस वक्त जो बढ़ी नहीं थी। वैसे डेढ़ दो हजार की आबादी अमूमन होनी चाहिए। इस आधार पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। पर इसकी बाद में आबादी बढ गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में और किसी गांव की जनसंख्या अमरपुरा राठान से अधिक है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: फिर उसको हैड क्वार्टर क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : हैड क्वार्टर सेन्ट्रल प्लेस में होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल यह सेन्ट्रल मनफूलसिहजी पर ही क्यों गिरा ?

श्री परसराम मदेरणा : बहुत सी ऐसी पंचायतें होती हैं जो छोटी होते हुए भी जनता की सुविधा की दृष्टि से अधिक उपयुक्त होती हैं। तो जनता की सुविधा को इसमें देखा गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य: क्या अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसमें बारह गांव हैं और कुछ समय पहले पंचायत विभाग की ओर से एक सरकूलर जारी हुआ था जिसमें यह रखा गया कि एक से अधिक गांव इस पंचायत समिति में होंगे और उनमें दो हजार के आसपास की जनसंख्या से अधिक नहीं होगी और इस पंचायत में 10 हजार से अधिक की जनसंख्या है ?

श्री मनफूलसिंह (उप-मंत्री) : नोहर से आने वाले माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं कि गलत है। मैं निवेदन करूं कि इस समय अमरपुरा राठान की आबादी 150 की है। बाकी घर बाढ़ में डूब गये थे। एक घर हमारा बच गया था। कैसे डूबे कैसे नहीं डूबे यह अलग प्रश्न है। आपके साथी भैरोंसिहजी भी देख आये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय ··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : यह गलत है, इसका उत्तर गलत दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : क्या गलत कहा गया है ? बता तो नहीं रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह सब गलत बात कही गई है।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

Page No. 32

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जैतारण तहसील में पेय जल समस्या का निवारण

253. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैतारण तहसील में पेय जल की समस्या के हल हेतु 60,000 रु. की धनराशि अकालग्रस्त क्षेत्रों में स्वीकृत की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त धनराशि को सरकार ने जैतारण क्षेत्र में खर्च नहीं किया ?

(3) क्या यह सही है कि जैतारण तहसील में अभी तक पेय जल की गम्भीर समस्या बनी हुई है ?

(4) सरकार द्वारा जैतारण तहसील में पेय जल की समस्या के हल हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त 60,000 रु. में से लगभग 5,000 रु. का उपयोग किया जा सका। मार्च के अन्तिम सप्ताह में 54.2 मि. मी. वर्षा होने से शेष राशि का उपयोग नहीं किया गया।

(3) जी नहीं, मार्च के अन्तिम सप्ताह में हुई वर्षा से स्थिति काफी सुधर गई।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

कुशलगढ़ में शराब की दुकानों का ठेका

254. **श्री हीरा** (कुशलगढ) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कुशलगढ (जिला बांसवाडा) में शराब के ठेकेदार को अभी कितनी दुकानों का ठेका दिया हुआ है ? इसे यह ठेका कब दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदार आस पास के क्षेत्र में करीब दस दुकानें लगा कर शराब बेच रहा है ? और क्या यह इकरारनामे के खिलाफ है ? यदि हां, तो सरकार ठेकेदार के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) श्री मूलचन्द पिता मांगू पटेल, ठेकेदार को केवल कुशलगढ शहर की शराब की दुकान का ठेका 31-3-67 को दिया गया था।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील उनियारा का री-सेटलमेंट

255. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल ऐसी कितनी तहसील हैं जिनका दुबारा सैटलमेंट होना बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि जिला टौंक में तहसील उनियारा का री सैटलमेंट होना बाकी है ? यदि हां, तो यह कब होना चाहिए

(श्री दिग्विजयसिंह)

था और अब तक नहीं होने का क्या कारण रहा है ?

(3) क्या सरकार अब इस कार्य को करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान में इस वर्ष अर्थात् सम्वत् 2024 तक कुल 62 तहसीलों के 10957 ग्रामों का रिविजन ड्यू हो जाता है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, तहसील उनियारा के 101 ग्रामों का दुबारा बन्दोबस्त सं0 2009 में एवं 100 ग्रामों का सं0 2020 में ड्यू हो गया। बन्दोबस्त की अवधि 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष को किये जाने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस कारण अब तक तहसील उनियारा के ग्रामों का पुर्नबन्दोबस्त कार्य हाथ में नहीं लिया गया है।

(3) इस काम को कराने के लिए अभी कोई विचार नहीं किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 8 देखिये)

पीपलखूंट क्षेत्र के भूमिहीन काश्तकारों को कृषि भूमि का आवंटन

259. **श्री विट्ठल** (पीपलखूंट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बांसवाडा के पीपलखूंट क्षेत्र में ऐसे कितने भूमिहीन काश्तकार हैं जिनके नाम से कोई जमीन नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में जंगल का एरिया ज्यादा है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार वन विभाग से काबिल काश्त की जमीन रेवेन्यू में स्थानान्तरित कर स्थानीय भूमिहीन काश्तकारों को देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाडा के पीपलखूंट क्षेत्र में 856 भूमिहीन कृषक हैं।

(2) जंगल क्षेत्र पर्याप्त है। पंचायत समिति पीपलखूंट का कुल क्षेत्रफल 1021 वर्ग किलो मीटर है। जिसमें वनों का क्षेत्रफल 362 वर्ग किलो मीटर ही है।

(3) जी नहीं।

अकालग्रस्त क्षेत्र का लगान

261. **श्री हुरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में जहां जहां अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित हुआ है, वहां किसानों से लगान लेना फिलहाल इस साल में बन्द किया गया है ?

(2) क्या यह सत्य है कि यह रकम आने वाले साल में किसानों से मय ब्याज के वसूल की जावेगी ? यदि हां, तो क्यों ? और यदि ब्याज लिया जायगा तो किसानों को क्या राहत मिली है ?

उत्तर

(1) जो क्षेत्र इस वर्ष अकालग्रस्त घोषित हुआ है वहां किसानों से लगान वसूली स्थगित कर दी गई है।

(2) स्थगित की गई लगान की रकम पर स्थगन अवधि का ब्याज वसूल नहीं किया जाता है।

जालोर जिले में कृषि भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

266. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जालौर जिले में गत एक साल में कलेक्टर ने कितनी राजस्व भूमि का आवादी में कन्वर्शन किया है ? तथा किन किन लोगों के नाम से किया गया है ?

उत्तर

जालौर जिले में गत एक साल में कलेक्टर द्वारा जिस राजस्व भूमि को आबादी में परिवर्तन किया है एवं जिन लोगों के नाम यह परिवर्तन किया गया है उसकी सूची संलग्न है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 9 देखिये)

मूंडवा केमीकल लाइम्स फैक्ट्री व खानों के मजदूरों को सुविधाएं

270. **श्री मदनसिंह दांता** (दांता रामगढ़) :—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले के गांव मारवाड मूण्डवा की फर्म, केमीकल लाइम्स में फैक्ट्री व खानें दोनों में मिला कर कुल कितने मजदूर कार्य करते हैं ?

(2) केमीकल लाइम्स पर सरकार द्वारा बनाये गये कानून लागू हैं क्या ? अगर हां, तो उनके तहत मजदूरों को क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जब जब भी कोई इन्सपेक्टर या अन्य अधिकारी मारवाड मूण्डवा में जानकारी करने आता है उसे मजदूरों से नहीं मिलने दिया जाता ?

(4) क्या यह सही है कि मजदूरों की एक यूनियन को रजिस्टर्ड नहीं होने दिया गया जो सही माने में मजदूरों की यूनियन थी और एक बोगस यूनियन को रातों रात रजिस्टर्ड कर दिया गया ?

(5) सरकारी नियमों के अनुसार मिलने वाला बोनस अब तक का उस फर्म के मजदूरों को चुका दिया गया है क्या ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(6) केमीकल लाइम्स के मजदूरों की अब तक दुर्घटनाओं में कितनों की जानें गईं और उनको कम्पन्सेशन वगैरह की रकम कितनी चुकाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या कम्पन्सेशन वगैरह की जो रकमें चुकाई गई हैं वो कानून सम्मत हैं ? नहीं तो क्या बकाया रकम का चुकारा मजदूरों को करवाने का विचार सरकार रखती है ?

उत्तर

(1) केमीकल लाइम्स मूण्डवा में फैक्ट्री व माइन्स में श्रमिकों की संख्या वर्ग

(श्रम मंत्री)

1964-65 में 337 व वर्ष 1965-66 में 366 थी।

(2) इस संस्थान के उस भाग में जो कारखाने की परिभाषा में आता है राज्य सरकार के द्वारा श्रम कानूनों का पालन करवाया जाता है। श्रमिकों को कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत सुविधायें उपलब्ध हैं। जो भाग "खान" की परिभाषा में आता है, वहां श्रम कानूनों का पालन केन्द्रीय सरकार के अधिकार में है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) यह सही नहीं है-इस फर्म से संबंधित श्रमिकों की कोई यूनियन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है।

(5) अब तक के बोनस का भुगतान मजदूरों को कर दिया गया है।

(6) क्षतिपूर्ति आयुक्त जोधपुर की कोर्ट में उक्त फर्म के विरुद्ध केवल एक कम्पेन्सेशन केस आज तक दायर हुआ है जो कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। फैक्ट्री में कोई ऐसी दुर्घटना होने की सूचना नहीं है, जिसमें कोई जानें गई हो। खानों में हुई दुर्घटना की सूचना श्रम विभाग राजस्थान में उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसका सम्बन्ध केन्द्रीय श्रम विभाग से है।

(7) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष: आर्डर! माननीय सदस्य। श्रीमती कान्ता कथूरिया।

(12.16 म. प.)

याचिकाओं की उपस्थापन।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): On a point of order, Sir,

This application cannot be entertained and submitted in the House because the remedies are available under a certain law.

श्री अध्यक्ष: हिन्दी में क्या हुआ?

श्री मूलचन्द डागा: इसके लिये जो याचिका प्रस्तुत की गई है उसके लिये कानून में रास्ता खुला है कि वह कानून के अन्तर्गत जो उनको आपत्ति है उसका निराकरण करने के लिये जा सकते हैं कोर्ट आफ लॉ में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कौनसे नियम के अन्तर्गत?

श्री मूलचन्द डागा: नियम है 96 of the Procedure कानून का दरवाजा खुला है इसके लिये।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कान्ता कथूरिया! आप क्या कहेंगी इस पाइन्ट आफ आर्डर के सम्बन्ध में?

श्री भैरोंसिंह: यह व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। अब इसे एजेण्डे पर रख ही लिया तो मान लेना चाहिये कि आपने एप्रूव कर लिया है।

श्री अध्यक्ष: अगर पोइन्ट आफ आर्डर की लीगल पोजीशन है तो एप्रूवल के बाद में भी देखा जा सकता है। यह यहां की व्यवस्था है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगी कि माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है कि इसकी रेमिडी लॉ कोर्ट में है अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड एक्ट के जो भी फैसले होते हैं उसके खिलाफ कोई भी सिविल कोर्ट में चारा-जोई नहीं हो सकती।

(श्रीमती कान्ता खतूरिया)

साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि यह पिटीशन जब पेश हो गई तो जो रूल 90 के बाद 101 व 102 हैं उनके मुताबिक नोटिस दिया गया है और इसके बाद सदन में रखा गया है व इसको कोई कोर्ट में रेमिडी लाई नहीं करती। इसलिये यह याचिका रूल्स के मुताबिक सदन में पेश की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : उपस्थापन करें।

Ruled out point of order.

श्रीमती कान्ता खतूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर नगर परिषद् वार्ड नं. 30 में आबाद निवासियों को नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा बेदखल करने की कार्यवाही से सम्बन्धित विषय पर एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह हाडा !

श्री केसरीसिंह हाडा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं म्यूनिसिपल बोर्ड, बूंदी के वार्ड नं. 18 देवपुरा में पाइप लाइन डालने सम्बन्धी विषय पर एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उस पर विचार।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है इस सम्बन्ध में ?

मैं मानकर चलता हूं कि सहमति है।

है।

(12.19 म. प.)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय निर्णय

जयपुर में अजमेरी गेट से चांदपोल दरवाजे की तरफ गन्दे नाले के पास की बस्ती की भूमि को अवाप्ति सम्बन्धी विषय पर श्री रामानन्द अग्रवाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का न होने से मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता।

श्री अग्रवाल इस मामले को किसी अन्य तरीके से अर्थात् कटौती प्रस्ताव आदि द्वारा सदन में उठा सकते हैं।

इसी तरह नैनवा में विद्युत् लाइन डालते समय एक कर्मचारी की मृत्यु से सम्बन्धित विषय पर श्री केसरीसिंह हाडा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का न होने से मैं इस पर अनुमति नहीं देता।

राजस्थान में विद्युत् संकट के मामले पर श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री देवीदत्त पाडिया और श्री भैरोंसिंह ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं इस प्रस्ताव पर अपनी

(श्री अध्यक्ष)

अनुमति नहीं देता पर स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु मैं चाहूंगा कि विद्युत मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

श्री देवीदत्त गाडिया ने भी एक स्थगन प्रस्ताव इसी विद्युत् संकट के संबंध में दिया है। इसको भी साथ ही लिया जायेगा ।

सदन के कार्य-विवरण के संबंध में विरोधी दल के नेता की आपत्ति का स्पष्टीकरण

माननीय नेता महोदय, विरोधी दल के, ने 30-5-67 को एक प्रश्न उठाया था कि यहां की प्रोसीडिंग्स के संबंध में । विरोधी दल के माननीय नेता ने 30-5-67 को यह आपत्ति उठाई थी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 5-5-67 को अकाल सहायता जारी रखने के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उनके भाषण के दौरान जो आश्वासन दिया गया था उसको सदन के कार्य विवरण से निकाल दिया गया है। इस संबंध में सदन की जानकारी के लिए मैं यह बतलाना चाहता हूं कि 5-5-67 के कार्य विवरण को देखने से यह मालूम होता है कि उसमें यह आश्वासन मौजूद है। उक्त आश्वासन को इस बारे माननीय नेता के पास भी भेजकर इसकी पुष्टि करा ली गयी है कि वह आश्वासन उक्त दिन के कार्य विवरण में सही रेकार्ड हुआ है । यह कार्य विवरण अब मुद्रित भी हो चुका है . . .

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मेरा उत्तर भी मैं आशा करता हूं कि आपको प्राप्त हो गया होगा ।

श्री अध्यक्ष : मुझे उत्तर प्राप्त हुआ तभी आपको जानकारी दी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जो विद्युत् संकट के संबंध में स्थगन प्रस्ताव के बारे में आपने व्यवस्था दी है मैं इस संबंध में निवेदन करूं कि जहां तक विद्युत संकट का सवाल है कोटा क्षेत्र के अन्दर विद्युत के लिए भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी है . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । मैंने इस संकट की विषमता को देख कर ही वक्तव्य मांगा है । इस मामले में वक्तव्य देने के बाद में ही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । रहा सवाल यह कि माननीय मंत्री महोदय कब दे सकेंगे वक्तव्य विद्युत संकट के संबंध में ? माननीय मंत्री महोदय ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं उनको चेम्बर में बुलाकर इस संबंध में पूछ लूंगा कि कब वक्तव्य देंगे । और जल्दी से जल्दी दिलाने का मतलब होगा कल अथवा दूसरे दिन ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक एडजार्नमेन्ट मोशन मेरा भी है ।

श्री अध्यक्ष : आपका एडजार्नमेन्ट मोशन जब मैं सदन में आ रहा था उस समय मिला था उसको मैं देख लूंगा और कल उस पर मैं व्यवस्था भी दे दूंगा ।

गंगानगर के पुरुषार्थी किसानों की जमीन सम्बन्धी प्रश्न

श्री अध्यक्ष : श्री गंगानगर के पुरुषार्थी किसानों के सम्बन्ध में एक प्रश्न है जिस पर पुनर्वास मन्त्री महोदय एक वक्तव्य देंगे।

Page No. 38

श्री बृजसुन्दर शर्मा (पुनर्वास मन्त्री): इस सम्बन्ध में जैसा मैंने अर्ज किया है कि यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है। यह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है और वह इवेक्यू प्रापर्टी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: सम्बन्धित नहीं है इस राज्य सरकार से।

श्री भैरोंसिंह : सम्बन्धित है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: इवेक्यू प्रापर्टी के ऊपर लोगों को प्रापर्टी दी गई उसकी प्राईस का यह सवाल है और यह उन्होंने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को देनी थी। अब सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को क्योंकि पुरुषार्थी लोगों ने किश्तें नहीं दीं इसलिए गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के एस्टेट आफिसर ने नोटिसेस जारी किये हैं इसलिए इसका हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): अध्यक्ष जी, मैं थोडा सा इस बारे में प्रकाश डाल दूं। अध्यक्ष जी, इस मसले के साथ और भी मसले जुडे हुए हैं और जिसकी जिम्मेदारी हमारी राज्य सरकार पर है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दो शब्द इसके बारे में कह दूं। (अध्यक्ष द्वारा मौन स्वीकृति) गंगानगर जिले में पाकिस्तान से 15 हजार नान क्लेमेंट फैमिलीज बसाई और उनके लिए जमीनों की कीमत तय की गई और इन्सटालमेन्ट की वसूली की बात के बारे में आपस में एग्रीमेन्ट हो गया। प्रश्न यह है कि भारत सरकार ने हजारों को गिनती में जमीनें कैंसिल कर दीं और हमारी राज्य सरकार के रेवेन्यू आफिसर्स जायेंगे, पुलिस आफिशियल्स जायेंगे और वहां लॉ एण्ड आर्डर का बहुत बडा प्रश्न बन जायगा। इरिगेशन चार्जेज आप वसूल करते हैं, लेन्ड रेवेन्यू आप वसूल करते हैं और यह लोग ज्यादातर बोर्डर पर बसे हुए हैं और अधिकतर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। यह बोर्डर की भी एक प्रोबलम है। मैं समझता हूं कि इस मसले को आप हल करें अपनी जिम्मेदारी समझकर और मैं तो इस सम्बन्ध में इतना एश्योरेन्स लेना चाहता हूं कि कम से कम इन्सटालमेन्ट्स और एरियर्स की वसूली नहीं होने के कारण जमीनें कैंसिल नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार भारत सरकार को इस बारे में लिखे और इसकी अर्जेन्सी को एस्टेब्लिश करे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस सम्बन्ध में कानून ही अलग है। हमने तो भारत सरकार के एस्टेट आफिसर को लिखा था। उन्होंने कहा कि हम पोस्टपोन नहीं कर सकते और इनको इन्हीं शर्तों पर जमीन मिली है। इसके अलावा राज्य सरकार के पास विचार करने के लिए कुछ नहीं है।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ग्राम निजामपुर, थाना वाडी, जिला भरतपुर में पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा गृह मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे:—

मुझे सूचना मिली है कि इस सम्बन्ध में मूलचन्द नामक एक व्यक्ति ने इस क्रिमिनल केस को धौलपुर मजिस्ट्रेट के यहां दायर कर दिया है। मजिस्ट्रेट ने इस केस का कोगनीजेन्स लेकर मुलजिम को तलब कर लिया है और केस सब-जुडिस होने पर यह ध्यान आकर्षण प्रश्न नहीं उपस्थित किया जा सकता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में मैंने प्रस्तुत किया था जिसमें कोटा जिले की तहसील दीगोद की एक हजार एकड़ भूमि को अवाप्त करने के सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही कर रही है।

श्री अध्यक्ष : कल है इसका स्टेटमेन्ट.

(12.27 म.प.)

आय-व्ययक 1967-68 पर सामान्य वादविवाद

श्री अध्यक्ष: मैं सिर्फ यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य कई बोलने वाले हैं और आज आखिरी दिन है इसलिए यथाशक्ति प्रयत्न किया जाये कि कम से कम समय लिया जाये।

माननीय विरोधी दल के नेता?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, बजट पर सामान्य वादविवाद तारीख 31 मई से जारी है। इस बहस का आज आखिरी दिन है। मैं यथासमय यह चेष्टा करूंगा कि सदन का अधिक समय नहीं लूं। किन्तु इधर और उधर की ओर से सम्माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनके साथ साथ मैं भी अपने विचार व्यक्त करते हुए बोलूंगा तो कुछ समय तो मुझे दिया जायेगा इसकी मैं आपसे आकांक्षा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री ने अब की साल की बजट की आय 111 करोड 64 लाख आंकी है। इसके मुकाबले में गत वर्ष का बजट 96 करोड़ 27 लाख का जिस हद्द तक की आमदनी हुई यह वाक्य आंकडे बजट के अन्दर उल्लिखित हैं। इन आंकडों केअनुसार गत वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष बजट की आमदनी 14 करोड़ 76 लाख अधिक आंकी गई। मैं समझता हूं कि जिस स्थिति के अन्दर राजस्थान आज गुजर रहा है। जो उत्पादन की हमारी स्थिति है, जो अकाल की हमारी स्थिति है और जो मंहगाई की हमारी स्थिति है उसको देखते हुए मैं यह समझता हूं कि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की आय 14 करोड़ 76 लाख अधिक आंकना सर्वथा अनुचित है, मेरा ख्याल है कि सरकार को निर्दयता की नीति इससे स्पष्ट होती है, क्रूरता और अदूरदर्शिता भी इससे स्पष्ट होती है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। इसके साथ साथ यदि राज्य की कर्ज की स्थिति देखी जाये तो आज राजस्थान पर 374 करोड का कर्जा हो चुका है। वह ऋण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और मैं यदि यह कहूं कि सरकार इस सम्बन्ध में उपेक्षावृत्ति बरत रही है और कर्ज को कम करने के सम्बन्ध में कोई चेष्टा नहीं कर रही है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे ख्याल में इतना अधिक ऋण होना राजस्थान सरकार के लिये एक कलंक की बात है। राज्य को यदि सद्गृहस्थ के नाते देखा जाये तो 111 करोड रुपये की यदि आय है तो उसके ऊपर 374 करोड रुपये कर्जे के हैं। तो मैं निवेदन करूं कि यदि व्यक्ति की आय 12 हजार रुपये सालाना है और उसके ऊपर 36 हजार रुपये का ऋण है तो उस सद्गृहस्थ को सद्गृहस्थ कहेंगे या दिवालिया कहेंगे?

आर्थिक व्यवस्था राजस्थान की असन्तोषजनक है जिसके सम्बन्ध में जितना कहा जाय उतना ही कम है। सरकार इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाती हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। सरकार की जो नीतियां हैं उनमें सरकार कोई आमूल चूल परिवर्तन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करती प्रतीत नहीं होती है। मैं अनुभव करता हूं कि सरकार की गलत नीतियों में, सरकार की योजनाओं में और सरकार की हठधर्मिता में जिस प्रकार का स्टेटिज्म निहित है। स्टेटिज्म उसे कहते हैं जिसमें राज्य ही व्यापार करे, राज्य ही ही उत्पादन को अपने हाथ में रखे, राज्य ही खेती करे, राज्य ही राज करे और राज्य ही व्यापार करे, वह स्टेटिज्म कहलाता है। इस प्रकार के स्टेटिज्म द्वारा सोशलिज्म नहीं आ सकता। कोई भी समाजवाद में विश्वास रखने वाला यह नहीं मानेगा कि स्टेटिज्म की नीति सोशलिज्म के लिए आवश्यक है। स्टेटिज्म से बिल्कुल अलग सोशलिज्म द्वारा जो देश अपने यहां खुशहाली लाये हैं मैं आपको उनका उदाहरण देना चाहता हूं। जापान का उदाहरण हमारे सामने है, इजराइल, वेस्ट जर्मनी के उदाहरण हमारे सामने हैं। यहां पर आप तथा कथित समाजवाद के द्वारा खुशहाली लाना चाहते हैं। आप स्टेटिज्म का अनुसरण करते हैं या दोनों विपरीत सिद्धान्त अपनाकर अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं वह नहीं हो सकता। मेरे दल का यह निश्चित अभिमत है कि अपने यहां तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी, स्टेटिज्म की एकतन्त्रीय व्यवस्था के कारण सफल नहीं हो सके हैं। मेरे ख्याल से तो रूस तक में स्टेटिज्म द्वारा भी जहां योजनायें संचालित हुई हैं रशिया तक में वह पूर्णतया सफल नहीं हुई हैं भारतवर्ष में वह कैसे सफल हो सकती हैं यह मेरे ख्याल में सरकार को विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जहां आपकी योजनायें अत्यन्त महत्वाकांक्षी हैं, जहां अत्यन्त खर्चीली हैं आप केवल अपनी हठधर्मिता से स्टेटिज्म के ऊपर तुले हुए हैं। इसके फलस्वरूप आपसे मैं निवेदन करूं आपके यहां डाइरेक्ट टैक्सेज की क्या व्यवस्था है इसके सम्बन्ध में कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सन् 1951-52 में डाइरेक्ट टैक्सेज से हमको जो आय हुई थी वह 11.63 लाख की थी। आज 67-68 के अन्दर डायरेक्ट टैक्सेज से जो आय हो रही है वह 61.18 लाख तक पहुंच चुकी है। मेरा निवेदन करने का आशय यह है कि केवल पन्द्रह वर्षों में सरकार ने डायरेक्ट टैक्स द्वारा राजस्थान की जनता पर पचास करोड का वजन लादा है मेरे ख्याल से यह सर्वथा असह्य एवं अनुचित है। यह आपकी महत्वाकांक्षी योजनाओं से नीति के अंतर्गत होने के कारण आपने यह शोषण नीति अख्त्यार की है, इसका मैं विरोध करता हूं।

इनडायरेक्ट टैक्सेज के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि सन् 51-52 में जहां इससे चार करोड 82 लाख की आमदनी थी उसकी जगह 67-68 के अन्दर 50 करोड 46 लाख की आमदनी आंकी गई है। अर्थात कुल आमदनी जो सन् 51-52 में 16.5 लाख थी उससे बढ़कर आज 67-68 में 111 करोड 64 लाख तक आमदनी पहुंच चुकी है। पन्द्रह वर्षों में जो आमदनी थी वह सात गुना आमदनी आपने जनता पर टैक्सों का भार बढ़ा कर रखी है। इसका असर क्या हुआ ? इसका असर सभी जगह अभाव है, पानी का अभाव, अन्न का अभाव, अध्यक्ष महोदय, मैं इस हद तक भी कहने को तैयार हूं, हमारे सामाजिक जीवन की बहुमूल्य वस्तु ईमानदारी का अभाव जब हम स्कूल के अन्दर पढ़ते थे, अध्यक्ष महोदय,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तो अध्यापकगण बार बार हम लोगों को यह कहा करते थे कि **Honesty is the best policy**' लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज मैं यह अनुभव करता हूं खास तौर से मेरे सामने बैठने वाले सम्माननीय सदस्यों को यदि मैं कहूं कि **Dishonesty is the best policy** तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मैं यह जानना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आपकी योजनाएं हैं वे प्लान फार दी पीपुल हैं या पीपुल फार दी प्लान हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आता, ये योजनाएं जनता की खुशहाली के लिये हैं या जनता की बर्बादी के लिये हैं। वित्त मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि हम को यह त्याग करना चाहिए, वह त्याग करना चाहिए। किसके लिये ? उस स्वर्णमय दिवस के लिये जब खुशहाली आयेगी। अध्यक्ष महोदय, 17-18 साल हो चुके परन्तु वह स्वर्णमय दिवस जिसकी हम अपेक्षा करते रहे वह नहीं आया। मेरे खयाल से इन योजनाओं से खुशहाली तो नहीं आयेगी पर दिन प्रति दिन बर्बादी आयेगी यह निश्चित अभिमत हम लोगों का है।

मेरा दल विश्वास करता है कि आय और व्यय दोनों संतुलित हों, संतुलित बजट हो। मेरा निश्चित रूप से यह अभिमत है कि टैक्स की नीतियां भी जो अनादि काल की नीतियां हैं, '**Eternal Truths do not change**' के सिद्धान्त से टैक्स की नीति भी मेरे खयाल से ऐसी होनी चाहिए कि किसी हद तक तो आप टैक्स लेंगे तो आपको टैक्स भी लाभप्रद होगा और आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन यदि अनाप शनाप टैक्स लगाये जायेंगे तो 'अति सर्वत्र वर्जयेत' के सिद्धान्त से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटनर्स सेट इन होगा और आपकी टैक्स की नीति भी फेल हो जायेगी। आपकी आय बढ़ने के बजाय घटेगी और अगर बढ़ेगी भी तो उसके साथ साथ इन्फलेशन बढेगा। इन्फलेशन की प्रक्रिया, मैं कहता हूं, जहां माल की कमी हो और मांगकी बहुतायत हो, उन योजनाओं में इन्फलेशन निहित है और इन्फलेशन में जनता को खुशहाली के बजाय जनता का शोषण हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दल इन नीतियों का विरोध करता है और आय और व्यय संतुलित हों ऐसी व्यवस्था में विश्वास करता है। मनुस्मृति का एक उदाहरण मैं आपसे निवेदन करूं तो वह है राज्य रूपी भ्रमर और प्रजा रूपी कमल का। राज्य रूपी भ्रमर प्रजा रूपी कमल का रस इतना ले कि वह भंवर भी तृप्त हो जाय और कमल भी नहीं कुम्हलाये। आज उसकी जगह, अध्यक्ष महोदय, हम क्या देखते हैं कि ऐसे ऐसे टैक्सेज लगाये हैं कि खुशहाली की जगह बर्बादी हुई है। हमारी सरकार की नीयत भी मेरे खयाल से ठीक नहीं है और 'यथा राजा तथा प्रजा' के सिद्धान्त से जब सरकार की नीयत ही ठीक नहीं तो जब नीयत ठीक नहीं तो बरकत कहां ? मैं यह बात चरितार्थ देख रहा हूं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि सरकार को चाहिए कि इन योजनाओं को वे महत्वाकांक्षी नहीं बनायें। योजना ऐसी होनी चाहिए जो हैसियत के अनुसार हो।

प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उस समय भी मैंने मेरे दल की तरफ से बार बार यही कहा था कि डेफिसिट फाइनेन्सिंग नहीं होनी चाहिए। बैलेंस्ड बजट होना चाहिए और प्लानिंग हैसियत के अनुसार

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

होनी चाहिए। मैंने जब यह विचार व्यक्त किये उस समय मेरे पास ही एक विद्वान प्रोफेसर बैठे थे। उन्होंने कहा यह एक्सपेंडिंग इकानामी में कैसे हो सकता है! यह चार साल की बात है। अब एक्सपांडिंग इकानामी तो किधर घुस गई, अब तो एक्सप्लोटिंग इकानामी सामने आ गई है। हमने लोकसभा के अन्दर बार बार यह कहा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग को छोड़िये, आप इन महत्वाकांक्षी, ओवर एम्बीशस प्लानिंग को छोड़िए और out your coat according to cloth साधनों के अनुसार, हैसियत के बराबर हैसियत के मुताबिक इन योजनाओं को बनाइये तो मैं आज यह तो अनुभव करता हूं कि हमने जो बार बार आवाज उठाई उससे सरकार के बहरे कानों पर जूं तो रेंगी है। हमने जो लोकसभा के अन्दर तो इसी सिद्धान्त को बार बार दोहराया है उसका कुछ तो असर मेरे ख्याल से हुआ है और वित्त मन्त्री ने इस सिद्धान्त को माना है और भारत के वित्त मन्त्री ने भी इस सिद्धांत को माना है। डेफिसिट फाइनेंसिंग एक हद तक कारगर हो सकती है, तत्पश्चात् वह अहितकर है और डेफिसिट फाइनेंसिंग की पद्धति छोड़ने के लिए वित्त मन्त्री राजस्थान तथा वित्त मन्त्री केन्द्र के तैयार हुए हैं और उन्होंने लोक सभा तथा इस विधान सभा के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके लिए मन्त्री राजस्थान के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। विरोधी दल के नेता महोदय बोल रहे हैं और वित्त मन्त्रीजी अपने कमरे में बैठे हैं, उनको सदन में रहना चाहिए। उनको सदन में बुलाया जाना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्या ने जो आपत्ति प्रगट की है उसके प्रति मेरी एक हद तक सहानुभूति है, लेकिन हम बार बार इस बात को इस सदन के समक्ष रख चुके हैं लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसलिए मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता। मन्त्री लोग व्यस्त हैं तो खैर मेरे समक्ष एक मन्त्री बैठे हैं वे ही पर्याप्त हैं। मेरे लिए तो इसमें कोई बात नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: मन्त्री महोदय को बुलाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: सम्माननीय मन्त्री महोदय को आना चाहिए था, नेता महोदय का भाषण प्रारम्भ में होना था किन्तु उस वक्त नेता महोदय ने दूसरे माननीय सदस्य को मौका दे दिया, इसलिए माननीय मन्त्रियों को पता नहीं है कि नेता महोदय माननीय सदस्य के रूप में आज बोलेंगे। प्रारम्भ में नेता महोदय के बोलने का जो मौका था उसके चूक जाने से मन्त्रियों को इसकी अनभिज्ञता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : विरोधी दल के नेता महोदय किसी वक्त भी बोलें ....

श्री अध्यक्ष : मैंने आपके प्रश्न पर काफी कह दिया है। फिर भी मंत्री महोदय जहां कहीं हों, सदन में आने का प्रयत्न करें।

श्री **दुर्गालाल बादवार**: अध्यक्ष महोदय, बार-बार आपके द्वारा व्यवस्था देने के बाद भी मंत्री गण सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं

श्री परसराम मदेरणा : I am here.

श्री अध्यक्ष : That it not the question. They should show proper courtesy to the leader of the opposition.

श्री परसराम मदेरणा : बजट भाषण पर जो कुछ भी रचनात्मक सुझाव माननीय नेता महोदय दे रहे हैं, उनकी पार्टी की जो कुछ नीति है और उन नीतियों के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के नेता महोदय जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं उन्हें अत्यन्त ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं और उनकी बातों को मंत्रिमंडल के सदस्यों तक पहुंचा दूंगा। वित्त मंत्रीजी अन्यत्र व्यस्त हैं और उन्होंने इस बात की इत्तला कराई है जिसके अनुसार मैं आपकी बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं और जो कुछ कह रहे हैं उसकी उनको जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं मंत्री महोदय, जो कुछ कह रहे हैं उसे आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कर्टसी टू दी अपोजीशन का। यह प्रश्न है।

श्री देवेन्द्रकुमार (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय..

श्री अध्यक्ष: आप स्थान पर बैठिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की तरफ से मेरे दल की ओर से एक दूसरे सम्माननीय सदस्य ने इस बजट के ऊपर सामान्य वाद विवाद की बहस प्रारम्भ की थी। आज जो मैं बोल रहा हूं। वैसे तो मैं कोई नेता या नेता की दुम भी अपने आपको नहीं समझता। लेकिन सदन के सदस्य के नाते मैं अवश्य बोल रहा हू..

श्री अध्यक्ष: सदन मानता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने जा रहा था कि अगर इस योजना की सफलता, अगर इस योजना की कार्यान्विति ठीक तौर से होती तो मेरे खयाल से अब तक हम स्वावलम्बी होते; स्वावलम्बन के मार्ग को अपनाते और हम स्वावलम्बी होते हुए दिखाई देते। किन्तु यह खेद की बात है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारा परावलम्बन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। इस हद तक हमारा परावलम्बन बढ़ गया है कि सच्चे रूप से आज हमारा अमेरिका अन्नदाता बन गया है। जो भारतवर्ष धन धान्य से युक्त था, दूध दही और घी से परिपूर्ण था उसकी जगह आज दुर्भाग्यवश सैकड़ों नागरिक यहां पर बल्कि हजारों नागरिक इस राजस्थान के अन्दर ऐसे होंगे जिनको 24 घण्टों में एक दफा पेट भर कर रोटी मिलती है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं आपको कहूं कि इस पी.एल 480 के अन्तर्गत जो अमेरिका हमको अन्नदान दे रहा है, अगर वह अन्न हमारे पास नहीं आता तो राजस्थान में किसी प्रकार गरीब तबके के लोग हजारों की तादाद में भूख से मर गए होते। तो यदि अमेरिका को सच्चे रूप में हम अपना अन्नदाता बता रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यह हमारा स्वावलम्बन हुआ? अगर हम उत्पादन की तरफ ध्यान नहीं देते तो मेरे खयाल में अब देश की ऐसी भयंकर स्थिति हो जायेगी कि हमारी अर्थ व्यवस्था भंग हो जाएगी और सरकार का सुचारु ढंग से चलना कठिन हो जाएगा। अराजकता के चिन्ह हमको नजर आयेंगे, सरकार को मैं यह निवेदन करता हूं कि योजना के अन्दर, अगर आप को योजनाएं चलानी हैं तो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उत्पादन के सम्बन्ध में आप गम्भीरता पूर्वक विचार करें।

अध्यक्ष महोदय, अनएम्पलायमेंट की स्थिति यह है कि रजिस्टर्ड शिक्षित लोग 30 हजार आज बेकार हैं राजस्थान में, घर बैठे हुए हैं। और मैं अनुमान करता हूं कि कम से कम अर्ध–बेकार एक लाख होंगे। भारतवर्ष की यह स्थिति है कि एक करोड़ शिक्षित बेकार हैं और होंफ एम्पलायड, अर्ध–बेकार मेरे खयाल में दो करोड़ होंगे। इससे आपकी प्रतिष्ठा, सरकार की प्रतिष्ठा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। आपकी ईमानदारी, मेरे खयाल में, हमेशा के लिए खत्म हो गई है, आपकी योजनाएं सर्वथा असफल हो गई हैं और विशेषज्ञों ने, अर्थशास्त्रियों ने और आपके कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कामराज तक ने इस बात को माना है। आपकी योजनाओं में खामियां हैं, योजना की क्रियान्विति ठीक नहीं है और योजनाओं में भयंकर कमियां हैं। मेरे दल का निश्चित अभिमत है कि आपकी योजनाएं स्ट्रेटिजम के सिद्धान्त की योजनाएं हैं जिसमें परमिट, कोटा लाइसेंसे है और इस परमिट कोटा लाइसेंस के सिस्टम के अन्दर भ्रष्टाचार और महंगाई और जितनी भी हमारी आपत्तियां हैं वह भी निश्चित रूप से निहित हैं।

अध्यक्ष महोदय, डेवलेपमेंट एक्सपेंडीचर के सम्बन्ध में भी मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। विकास पर व्यय सन् 60–61 के अन्दर 58.86 प्रतिशत आय का था वह 67–68 के अन्दर 52.63 प्रतिशत कुल आय का हो गया, अर्थात् छः वर्षों के अन्दर विकास के सम्बन्ध में हमारा व्यय 6 प्रतिशत कम हुआ है। यह एक परसेंट भी कम नहीं होना चाहिए था वहां पर 6 परसेन्ट कम हुआ है। नोनडेवलपमेंट एक्सपेंडीचर के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि 60–61 में जब यह खर्चा 41 प्रतिशत था तो 67–68 में यह 47 प्रतिशत हो गया है, अर्थात् 6 प्रतिशत बढ़ गया है। तो मैं समझता हूं कि नोनडेवलेपमेंट एक्सपेंडीचर छः प्रतिशत की जगह एक भी परसेन्ट नहीं बढ़ना चाहिए था। मेरा निवेदन है कि डेवलपमेंट एक्सपेडिचर छः परसेन्ट घटा है जो नहीं घटना था और नोन डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर छः परसेंट बढ़ा है जो नहीं बढ़ना चाहिए था। मेरे खयाल से निश्चित रूप से इसमें जो बातें बाधक हुई हैं वे हमारी योजनाएं हैं। इस योजना के अन्दर भयंकर रूप से महंगाई बढ़ी है और उसके अनुसार ही नोन डेवलेपमेंट एक्पेंडीचर बढ़ा है। इसको घटाने की चेष्टा करिये। आप घटा नहीं सकते जब तक योजनाओं के अन्दर आप आमूलचूल परिवर्तन न करें।

सामाजिक सेवाओं के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, 51–52 में जब राज्य की डेवलपमेंट आय का 65 परसेंट राज्य खर्च करता था तो उसकी जगह 66–67 में डेवलपमेंट आय का 67 परसेंट ही खर्च किया गया। यह क्यों ? इतने टेक्स लगाये और सेवाओं में कमी मेरे खयाल से, यह दोनों चीजें ठीक नहीं बैठतीं। अगर आपको टेक्स लगाने थे तो सेवाओं में अभिवृद्धि होनी थी। यह आपकी नीति मेरे खयाल में बजट के सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है, और इससे केवलमात्र एक बात स्पष्ट होती है कि जनता का शोषण आप कर रहे हैं और आपकी सरकार

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और आपके बजट की व्यवस्था म खामी बडी भारी ही नहीं, बल्कि वह बिल्कुल निकम्मी है।

अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट हो गया है कि आज आपने त्रिसूत्रीलक्ष्य रखा है: ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहें चाहे उसको, चाहे उसको त्रिसूत्री योजना कहें। इनसे तीनों सिद्धान्तों के ऊपर आप बल देना चाहते हैं। एक तो जल कष्ट निवारण, दूसरा अन्न उत्पादन और तीसरा परिवार नियोजन। अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक चीज के सम्बन्ध में इन तीनों बातों के सम्बन्ध में अलग अलग कुछ विवेचन आपके समक्ष करूंगा।

जल कष्ट निवारण के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कुएं और तालाब, खास तौर से छोटे तालाबों पर आप विशेष ध्यान दीजिये। कुए जिनके अन्दर पानी नहीं है उनको खुदवाइये, आप बोरिंग मशीन और मंगवाइये। अभी सदन के अन्दर चर्चा हुई भरतपुर के वाटर वर्क्स के अन्दर 15 लाख खर्च हुए। सम्माननीय सदस्य मेरे पास बिराजनाम हैं उन्होंने भी अजमेर की जल व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए यह कहा कि 35 लाख रुपये खर्च करने के उपरान्त भी अजमेर के अन्दर जल का हाहाकार होरहा है, लोग एक दूसरे को मारते हैं और बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं और तड़फते हैं। इसके विपरीत, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा और वह उदाहरण खास मेरे डूंगरपुर का है जहां का मैं निवासी हूं। डूंगरपुर में आज से 35 वर्ष पहले एक तालाब बनाया गया जिसका नाम एडवर्ड समन्द है। वह डूंगरपुर से 7 मील दूर है। वह ऐसा तालाब है कि जो जून या जुलाई के अन्दर अगर दो इंच ही पानी पड़ जाय तो वह भर जाता है और उसमें इतना पानी है कि डूंगरपुर की आबादी अगर आज के मुकाबले में दुगनी भी हो जाय तब भी दो साल तक वह पर्याप्त है। प्रभारी मंत्री महोदय जब डूंगरपुर पधारे तो वहां की म्युनिसिपैलिटी और अन्य नागरिकों के द्वारा और मैंने भी उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि सन् 30 से सन् 52 तक एडवर्ड समन्द के जरिए सीधा पेय जल डूंगरपुर की जनता को मिलता आ रहा था। 52 से यह व्यवस्था बन्द कर दी और सिंचाई के लिए वह पानी दे दिया गया। खैर, लम्बी चौडी बातें मैं नहीं कहता, लेकिन वह सिंचाई की योजना भी कार्यान्वित नहीं हुई। जिस कैनाल के जरिये डूंगरपुर की जनता को पानी मिलता था, वह कैनाल भी जाम हो गई। उसमें कुत्ते और गधे गिर गिर कर मरने लगे। यह व्यवस्था हुई! मैंने प्रभारी मंत्रीजी से यह निवेदन किया आग्रह करते हुए कि एडवर्ड समन्द से पानी की व्यवस्था की जाय। अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले नल भी आये, चुनाव से पहले सीमेंट भी आया और कहते हैं, मैं टेक्नीकल एक्सपर्ट तो नहीं हूं किन्तु कुछ लेड और जिन्क को मिलाकर सीमेंट में उन पाइप्स को जोड़ने की व्यवस्था भी सरकार की ओर से हुई। पाइप्स भी जोडे गये लेकिन दुर्भाग्यवश इम्पलीमन्टेशन में जब खामी हो तो पाइप्स के अन्दर से पानी टपकने लगा, लीकेज शुरू होगया, और जितनी भी योजना थी वह कार्यान्वित नहीं हुई। उसके फल स्वरूप आज एडवर्ड समन्द पूरा भरा हुआ है और स्वच्छ जल–कांच जैसा पानी डूंगरपुर से 7 मील के फासले पर मौजूद है और पर्याप्त है डूंगरपुर को जनता के लिए 12 महीने के लिए ही नहीं किन्तु 15 से 18 महीनों

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के लिए, मगर दुर्भाग्यवश डूंगरपुर की जनता को क्या मिलता है गैपसागर का गोबर और कीचड मिला हुआ पानी। गैपसागर में 3–4 फीट से अधिक पानी नहीं है। सारे किंकर्तव्यविमूढ हैं। कुएं सब सूखे हुए हैं। गैपसागर के किनारे 5–6 हजार मवेशी रोजाना आते हैं और वहां गोबर करते हैं, उसका पानी पीते हैं और वह पानी डूंगरपुर के नागरिकों को पिलाया जाता है। यह एक अजीब व्यवस्था है, अध्यक्ष महोदय।

इसके विपरीत एक छोटा सा आसपुर तहसील के अन्दर क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम कटारा है। उस कटारा क्षेत्र के अन्दर मुश्किल से 5–6 ग्राम पंचायतें हैं। वह क्षेत्र तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। केवल मात्र करीब 2–2॥ मील पूर्व की दिशा के अन्दर नदी से नहीं घिरा हुआ है। उसके एक तरफ सोम नदी है, दूसरी तरफ जोखम नदी है और तीसरी तरफ माही नदी है। इनसे वह क्षेत्र घिरा हुआ है। उस क्षेत्र के अन्दर थोड़ा बहुत पानी भी पड़ा। मैं अकाल राहत का विरोध नहीं करता, लेकिन वास्तविकता जो मैंने देखी है वह आपके समक्ष रखता हूं। वहां आसपुर तहसील में जंगल सब कट चुके हैं, लेकिन इस कटारा क्षेत्र में माही नदी के तट पर पहाड़ पर आज भी जंगल हैं, वहां घास भी हुई, वहा पर मक्की भी हुई, वहां पर कुछ चना भी हुआ, किन्तु चुनाव के पहले तारीख 20 जनवरी को उस क्षेत्र को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया। यह मैं विरोध नहीं करता कि वहां पर लाखों रुपये खर्च न करें, लेकिन इसका विरोध अवश्य करता हूं झूठे मस्टर रोल बनाने का। जो आदमी हैं ही नहीं, जो व्यक्ति 4–5 वर्ष के हैं उनके भी नाम मजदूरों में लिख दिये जायं। अमुक दिन मजदूरी की छुट्टी होती है तो उस दिन की मजदूरी चुकाने के बाद उसके 3–4 दिन बाद की मजदूरी नहीं चुका कर फिर 4–5 दिन के बाद मजदूरी चुकाने की व्यवस्था करें तो एक तरफ तो कटारा क्षेत्र में जब आवश्यकता इतनी नहीं थी वहां पर राहत कार्य आपने खोले तो खोलिये, लेकिन दूसरी तरफ डूंगरपुर की जनता बेचारी है उसने क्या अपराध किया? केवलमात्र अपराध यह है कि उसने कांग्रेस को कुछ कम वोट दिये होंगे, उनको कीचड़ और गोबर पिलाया जाय तो यह कहां का न्याय है!

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : जब माननीय सदस्य आसपुर से इस विधान सभा के सदस्य थे तो उस समय एतराज नहीं किया था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस उलझन में नहीं पड़ना चाहता, किन्तु मेरे खयाल में जो अन्न की व्यवस्था है, और जो पानी की व्यवस्था है और जो कपड़े की व्यवस्था है, और जो न्याय की व्यवस्था है वह जो शायद 15–20 वर्ष पहले थी वह आज की व्यवस्था से बदतर नहीं थी। यह मेरा अभिमत है। माननीय सदस्य जो भी विचार रखते हों उनको आजादी है। अपने वे विचार रख सकते हैं।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जंगलों के सम्बन्ध में मैं विशेष विवेचन नहीं करूंगा। कल इसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। आज तो यह बजट की फर्स्ट रीडिंग है तो फर्स्ट रीडिंग के ऊपर ध्यान रखते हुए है इतना निवेदन अवश्य करूंगा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कि हमारे बहुमूल्य जंगलों का जो इन 15 वर्षों के अन्दर ह्रास हुआ है, जिस निर्दयता से काटे गये हैं वह 115 वर्षों में भी नहीं काटे गये हैं। कोई योजना—बद्ध व्यवस्था नहीं है। यह सब हेप हेजार्ड व्यवस्था है। वह मैं कल सदन के समक्ष रखूंगा। और पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी—दक्षिणी राजस्थान के बीच जो कुछ अरावली और विन्ध्या को लिंक है वहां पर करोड़ों रुपयों का जंगल कट चुका है लेकिन आज भी करोड़ों रुपयों का जंगल है।

(1 म. प.)

अगर आप उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था करते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको निवेदन करता हूं कि यह सब सोइल, वाटर लेवल पहाड़ी इलाकों में गहरा होता जा रहा है, जो ट्यूब वेल्स वहां पर खोदने की व्यवस्था हो रही है वह मेरे खयाल में अगर जंगल रहेंगे तो कभी भी दुष्काल वहां पर नहीं होगा। मेरे खयाल में, भूमि का उत्पादन भी बढ़ेगा और वहां पर जो वृक्ष अनादि काल से होते आये हैं वह भी होंगे अगर आप जंगलों को रखते हैं। अगर जंगलों को नहीं रखते हैं तो प्रकृति का जो संतुलन है, बैलेन्स आफ नेचर है, उसको अपसेट करके, मेरे खयाल में ऐसी व्यवस्था पैदा करते हैं जिसको मैं आत्म हत्या कहूं तो अनुचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, उत्पादन के सम्बन्ध में खास करके अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अभी से बीज भेजने की व्यवस्था करिये। बारिश आने के ऊपर बी. डी. ओ., तहसीलदार, और को। साहब, और विच्छू, उनके पास लोग जायेंगे और बीज के लिए कहेंगे तो वह कहेंगे बीज मंगवाया है लेकिन अभी तक नहीं आया है। आप बीज की व्यवस्था करिये। बीज की अव्यवस्था मैं बार बार देखता आ रहा हूं। इसी तरह आप फर्टीलाइजर की व्यवस्था करिये। फर्टीलाइजर जब लोग चाहते हैं तो आपके अधिकारी गण कहते हैं, फर्टीलाइजर मंगवाया है लेकिन अभी आया नहीं है। गत वर्ष, अध्यक्ष महोदय, कीड़े पड़े तो इन्सेक्टिसाइड मांगा गया। तो इन्सेक्टिसाइड की बन्द बोरियां तो वितरित कर दीं, फिर कतई बन्द हो गया वितरण। फिर कहा गया इन्सेक्टिसाइड के लिए तो कहा-क्या करें साहब ! आयेगा इन्सेक्टिसाइड तब वितरण होगा। तो यह ठीक व्यवस्था नहीं है। अभी से समय रहते हुए, अभी जून चल रहा है, अभी बारिश आने में काफी समय है-आप विचार करिये और फर्टीलाइजर, इन्सेक्टिसाइड और बीज की व्यवस्था करिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पम्प के स्पेअर पार्टस और ट्रैक्टर के स्पेअर पार्टस की भी व्यवस्था नहीं है। डीजल के वितरण के सम्बन्ध में भी आपके पास में कोई व्यवस्था नहीं है। आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि उत्पादन से सम्बन्धित गऊ माता के भी संरक्षण के लिए, मेरे खयाल में-गऊ जैसे उपयोगी पशु के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई डेरी फार्मिंग आपने नहीं किया है और बैल के ऊपर आपने टैक्स लगाया है। आप बैलों की जोड़ी के ऊपर तो वोट मांगते हैं और बैल के ऊपर टैक्स लगाते हैं-इससे बढ़ कर गद्दारी क्या होगी। मेरा यह निवेदन है कि आप

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

डेयरी के लिए कोई व्यवस्था सब जिलों के अन्दर करें और बैल के ऊपर जो आपने टैक्स लगाया है, उसका मैं विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि बैल के ऊपर जो टैक्स लगाया है इसको न लगायें।

आपने बड़े किसानों पर एकदम 25 प्रतिशत सिंचाई दर बढ़ा दी है। आप बढ़ा सकते हैं, आपको अधिकार है किन्तु अगर किसान को पानी ही नहीं मिलता है और अनिवार्य रूप से आप 25 प्रतिशत अधिक सिंचाई दर वसूल कर लेते हैं तो मेरे खयाल में यह अच्छी व्यवस्था नहीं है। एक हद तक टैक्स लगाना चाहिए लेकिन मनमाने रूप से टेबल पर बैठ कर 25 प्रतिशत टैक्स बढ़ा देना-यह मेरे खयाल में उत्पादन के लिए घातक होगा।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर जिले की आबादी 1900 में एक लाख थी, वह आज 1968 और 1970 तक निश्चित रूप से पांच लाख से अधिक हो जायगी। उसी तरह से अगर देश की व्यवस्था हम देखें तो पचास हजार बच्चे इस देश के अन्दर रोज जन्मते हैं। हमारी आबादी में हर साल दो करोड़ इन्सान बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, 25 वर्ष के पश्चात् हमारी आबादी सौ करोड़ हो जायगी। हम उस वक्त क्या करेंगे-यह किसी की समझ में नहीं आता है। अभी से माननीय वित्त मंत्री, श्री मुरारजी देसाई यह कहते हैं कि आयन्दा साल यदि दुष्काल पड़ा तो सारे देश की व्यवस्था में जितने भी मुनाफे हैं, जितने भी डिवीडेंड हैं-सब फ्रीज कर दिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह अणु युग है, आपके पास कोई न कोई आधुनिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। मैं विशेष समय सदन का नहीं लेना चाहता। इजराइल में भी पांच-छः इंच वर्षा सालाना होती है लेकिन वहां का भी उत्पादन बढ़ता है। ऐसे उदाहरण देश के अन्दर मौजूद हैं कि एक किसान ने एक एकड़ भूमि में सौ मन गेहूं उपजाया है। आप ऐसी उत्पादन योजना पर जोर देंगे और परिवार नियोजन को प्राथमिकता देंगे तभी, मेरे खयाल में, देश की हालत सुधरेगी। कल ही मैंने देखा, जैसे सब चीजों की ओछत है, वैसे मैंने पेपर में पढ़ा, समाचार-पत्र में पढा कि कन्ट्रासेप्टिव्ज भी नहीं मिलते हैं। कन्ट्रासेप्टिव्ज जो भारतवर्ष में मैन्युफेक्चर किये जाते हैं वह अच्छे मैन्युफेक्चर नहीं होते। इसलिए जापान से कन्ट्रासेप्टिव्ज मंगवाये हैं। वह मद्रास में आकर पड़े हैं क्योंकि डिलीवरी लेने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है, या कोई आपत्ति है। मेरे खयाल में, यह सब आपकी व्यवस्था जो है, यह फॉल्टी प्लानिंग है, या आपका इम्प्लीमेंटेशन रांग है। इसलिए मैं आपको यह निवेदन करता हूं कि जो लोग अपराध करें, जैसा तुलसी दासजी ने कहा था "भय बिन प्रीत न होय गुंसाई" थोड़ी बहुत आप सजा नहीं दें, जवाब तलब आप नहीं करें, तो मेरे खयाल से, कभी व्यवस्था नहीं चल सकती। अगर आप भाई-बहिनों कहना और तालियां पीटना जारी रखेंगे तो देश के अन्दर गिरावट फैलावेंगे।

अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के सम्बन्ध में भी दो शब्द मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सदस्य गोकुल प्रसाद जी, जो बीकानेर से आये हैं, मैंने जो इस सम्बन्ध

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

में जब राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान में अपने विचार व्यक्त किये, तो उन्होंने यह कहा था, यह तो जायद कुछ नहीं आते, पंचायत चुनाव में हारे हैं। इत्यादि इत्यादि। पंचायत चुनाव तो मैं हारा हूं इसलिए मैं मानता हूं। अब पंचायत चुनाव शायद जीत भी जाऊंगा। इस सम्बन्ध में मैं विशेष निवेदन नहीं करना चाहता। लेकिन सरपंच जिन्होंने चार साल तक हमारे साथ बैठ कर काम किया, वह भी निर्विरोध आने के पश्चात् तोड मरोड के पश्चात् कांग्रस में जाकर मिल गये। इस तरह की व्यवस्था देश के अन्दर देखते हैं, इसमें हमारा नैतिक पतन, बिल्कुल सर्वथा पतन हो चुका है। जो गांवों की व्यवस्था थी, जो शांति थी, जो भाईचारे का वातावरण था वहां अब कटुता है, वहां विरोध है, वहां घर घर के अन्दर क्लेश है। मेरे खयाल से, अगर इसको सर्वथा नहीं मिटा सकते तो आप गम्भीरतापूर्वक इस सम्बन्ध में विचार करें वरना यह भ्रष्टाचार और इधर-उधर की तोड मरोड और हमारा नैतिक पतन Dishonesty is the best paliey का सिद्धान्त अपनाया तो ऐसा ही न हो, यह कोई असम्भव चीज नहीं है. Constant vigilance is the price of Independence हमको स्वतंत्र ही नहीं सजग भी रहना है। अगर देश पर आक्रमण हुआ और अगर हमारा नैतिक पतन इस हद तक पहुंच गया कि बेईमानी की सौदागरी करने वाले को लाभ हो, तो मेरे ख्याल में हमको यह मंहगा सौदा मोल लेना पडेगा। आपको अगर पंचायतों को रखना है तो आप रखें लेकिन एक एक हजार की यूनिट के बजाय आप दो दो हजार की यूनिट बनायें। बडी यूनिट होगी तो उनमें योग्यता आयगी और जो 232 पंचायत समितियां आज हैं उनमें से 110 रह जायेंगी, इससे मितव्ययता भी हो जायगी। आज मैं देखता हूं, मान लीजिये, पंचायत में एक छोटा गांव है और एक बडा गांव है। दोनों के बीच वहां पर विरोध चल रहा है तो छोटे गांव में दो तीन व्यक्ति योग्य हैं, जो सरपंच के लिए योग्य हैं लेकिन कभी वह सरपंच नहीं बन सकते क्योंकि वह परमानेन्ट माइनोरिटी में हैं, वह अल्पमत में हैं। अगर आप यूनिट को बढायेंगे तो मेरे ख्याल में योग्यता आयगी और 232 पंचायत समितियों की जगह 110 पंचायत समितियां हो जाती हैं, तो मेरे खयाल में मितव्ययता भी आयगी और जनतंत्र की नींव भी एक हद तक सुदृढ होगी। ऐसा मेरा विश्वास है। चुनाव के सम्बन्ध में जहां तक वोटिंग की व्यवस्था है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में एक एम. पी. के मत का मूल्य 570 है, विधान सभा के एक सदस्य का मूल्य 110 है, उसी तरह आप यदि व्यवस्था नहीं करें तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सरपंच, जो डाइरेक्ट वोट से चुना जाता है, उसका एक वोट अवश्य हो, उप सरपंच जो पंचायत के द्वारा चुना जाता है इन डाइरेक्टली उसका वोट आवश्यक हक क्यों वह इनडाइरेक्टली सारी पंचायत को रिप्रेजेन्ट करता है। और एक पंच और सरपंच जो 100 और 125 वोटों से चुना जाता है उन दोनों का एक ही वोट है तो मेरे ख्याल से यह सर्वथा अनुचित है। आखिर आपको इस पर विचार करना है तो आपको पंच और सरपंच के लिये अलग वोट का प्रावधान रखना है। अधिकांश वोटर्स, पंच अनपढ होते हैं। इसलिये अगर उनके वोट जैसा मैंने अभी निवेदन किया उस आधार पर ही सीमित रखें तो ठीक होगा। यदि इसके साथ साथ

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पंचायतों की अवधि 5 साल की रखें, जैसे विधान सभा की 5 साल की और लोक सभा की 5 साल की होती है उसके साथ साथ पंचायतों की भी उनके समानान्तर 5 वर्ष रखेंगे तो भी आप मितव्ययता लावेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को यह निवेदन करूंगा कि ऐसी भयंकर आर्थिक स्थिति में आपको भी नये कर्मचारियों को भर्ती नहीं करना चाहिये और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मंत्रियों की संख्या में भी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान कैनाल, जो एक राष्ट्रीय योजना है उसका खर्चा वहन करने के लिये केन्द्र की सरकार से कहा जाय और केन्द्र से यह बात मनवाई जावे कि यह केवल राजस्थान की ही योजना नहीं है जिसमें राजस्थान का ही हित हो लेकिन यह बहुत बड़ी राष्ट्रीय योजना है और उत्पादन से इसका बहुत निकटतम सम्बन्ध है और मेरे खयाल से इसका स्वावलंबन से भी बहुत सम्बन्ध है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार से इसका खर्चा वहन करने के लिये निवेदन करें।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह कहा गया कि बांसवाड़ा जिले में 57 सडकों पर काम चल रहा है। और माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि एक लाख 77 हजार आदमी काम कर रहे हैं। मैंने विशेष रूप से इसकी जानकारी की तो मुझे मालूम हुआ कि 50 हजार से ज्यादा आदमी वहा काम नहीं कर रहे है। इस संबंध में विशेष कुछ नहीं कह कर मैं यही कहूंगा कि ये 57 सडकें ऐसी हैं कि इन पर काली मिट्टी पडी हुई है और वर्षा में यह काली मिट्टी की सोइल बिल्कुल दलदल हो जावेगी और मिट्टी बह जावेगी और लाखों रुपये जो इन सडकों पर खर्च हुए हैं साफ हो जायेंगे। और अपव्यय के कारण धुल जावेगी और सडकों की बहुत दुर्दशा हो जावेगी। उस पर घोडा, बैल और आदमी भी नहीं जा सकेंगे उनके पैर फिसल जावेंगे। आदिवासियों के पास मोटरें तो है नहीं। अगर वहां पर मंत्री महोदय जाकर मोज करें तो वह अलग बात है। आपने सडकों पर काम कराने के लिये ज्यादा ध्यान दिया उसके बजाय मैं यह निवेदन करूंगा कि आप कुओं के लिये ध्यान देते तो ठीक होता और यह 57 सडकें नहीं बनाकर 7 सडकें बाडमेर में बनवाते और पट्टी बनवाते तो मेरे खयाल से सुरक्षा के सम्बन्ध में भी कोई व्यवस्था होती। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

राजाओं के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा, यह नाजुक समस्या है लेकिन हमारे संयुक्त दल का 17 सुत्री कार्यक्रम है उसके अन्दर भी हमारा यह प्रावधान था कि इन तीनों राजाओं को जो बिजली और पानी की सुविधा दे रखी है उस सम्बन्ध में भी विचार किया जावे। मगर मेरे खयाल से आपने जो तरीका अपनाया है वह उचित नहीं है और अपने एग्रीमेन्ट को भंग किया है वह अशोभनीय है और राजस्थान सरकार के लिये भी अशोभनीय है। अगर इस सम्बन्ध में इन नरेशों को बुलाकर आपसी बात चीत करके इस समस्या का हल निकालते तो निकल सकता था। परन्तु आपने

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बदले की भावना को काम में लाना था। तो मैं कहूंगा कि वहां आपने कोवनेन्ट को नहीं माना है। कोलेटरल लेटर कोवनेन्ट का अभिभाज्य अंग है। आपने कोवनेन्ट को भंग किया है। आप मेरे खयाल मे रूल आफ ला को महत्व दें या न दें मगर जनता में रूल आफ ला, मेजेस्टी आफ ला सर्वोपरि माना गया है। इस तरह से आप एक तरफा कार्यवाही नहीं करते तो ज्याद अच्छा था। आज आप यहां तीन लाख रुपयों की बचत करते हैं यह मैं कोई दुर्भावना से नहीं कह रहा हूँ..

श्री गिरधारीलाल : बिल्कुल दुर्भावना है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप प्रीवी-पर्स के लिये कहते हैं 10 लाख प्रीवीपर्स मिलेगा आप कहेंगे कि यह मामला राजस्थान सरकार से सम्बन्धित नहीं है। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार है, केन्द्रीय सरकार कांग्रेस की सरकार है, आन्ध्र प्रदेश की सरकार कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की नीति आल इन्डिया की नीति होनी चाहिये। विधान को भी मैं आदर की निगाह से देखता हूं लेकिन कहीं विदेशों में चर्चा हो, उससे डर कर या अपना सहयोगी समझकर कोवनेन्ट को वहां भंग करके यह 10 लाख प्रीवीपर्स है वहां 20 लाख प्रीवीपर्स किया था, और वहां पर पनी वाइस एन्ड पोन्ड फुलिस को चरितार्थ किया। एक तो जिन्होंने कोविनेन्ट साइन किया है, जो राजप्रमुख थे, उनसे एक तरफा कार्यवाही आपने की है उसका मैं विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सोना और चांदी के बारे में सरकार की नीति है, मेरे दल की नीति उसके प्रतिकूल है जो मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। आपने सोने पर, और चांदी पर जो टैक्स लगाया है, वह ज्वेलरी और बुलियन पर भी है। आपने सेल्स टैक्स और पर्चेज टैक्स लगाया है। मैं कहूंगा कि अगर आपको सोने के प्रति घृणा है तो आखिरकार सोने और स्वर्णकारों को भी रहना है। आपने कोशिश इस बात की, कि सोना देश के बाहर निकाल दिया जावे और आपने स्वयं स्वर्ण नियन्त्रण नियम यहां पर लागू किये और वह नियम दो वर्षों तक लागू रहे और जब वे असफल हुए तो आपने उसको भंग किया। और उस दरमियान लाखों स्वर्णकारों को आपने शरणार्थी बना दिया। कई एक स्वर्णकारों ने आत्म हत्या की। अब आप उन्हें विस्थापित करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि वे खेती करें। अध्यक्ष महोदय, यह सब व्यवस्था अच्छी व्यवस्था नहीं है और बड़ी अशोभनीय व्यवस्था है और प्रकृति के नियमों के और जनता की आकांक्षाओं में विपरीत आप आचरण कर रहे हैं यह मेरे खयाल से बड़ी भद्दी और बुरी चीज है। हर एक चीज पर पर्चेज और सेल्स टैक्स आपने लगाया है। आज से 20 साल पहले जयपुर में जो टैक्स था उसके मुकाबले में आपने 32 गुणा टैक्स बढा दिया है यह मेरे खयाल से इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार लोगों को ज्यादा चोरी करना सिखाती है। आज करोड़ों रुपयों का सोना बाहर से आता है। आप उसको कहां तक पकडेंगे। मेरे खयाल से आप इसके लिये कभी सफल नहीं होंगे। सोना सभी देशों में है, जापान में है, जर्मनी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

में हैं। सोना हर एक कन्ट्री के लिये जरूरी है। उसके प्रति आप उपेक्षा करते हैं।

इसी प्रकार चांदी पर आपने एक परसेन्ट की जगह दुगना टैक्स लगाया है। आज किसान रुपये को रखना पसन्द नहीं करता। क्योंकि इसके डिवेल्युएशन होने के कारण उसकी जगह चांदी रखना चाहते हैं। और वे चांदी के जेवर बनाकर रखना चाहते हैं। इस पर आपने टैक्स लगाया है। मैं कहूंगा कि हजारों लोग जो राजस्थानी हैं और मध्य प्रदेश और गुजरात में रहते हैं उनका रहन सहन राजस्थान के समान है और वे वहां पर भी कड़े नेवरियें, आदि पहिनते हैं वे यहां से अधिकतर बन कर जाती हैं। इस प्रकार से इन पर यह टैक्स लगाने से मेरे खयाल से कलाकारों की रोटी रोजी पर आपने जो आघात किया है उसका मैं विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सम्बन्ध में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। मेरा दल स्वस्थ प्रतियोगिता के सिद्धान्त को मानता है, आपकी जो मोनोपोली की नीति है उसका हम विरोध करते हैं। आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था आप नो प्राफिट नो लोस के बेसिस पर करते हैं। सारे राजस्थान में बिजली कहीं आती है कहीं जाती है, लुक छुप लुक छुप सभी जगह होती है, इसके अलावा आपकी दरें अत्यधिक बढ़ी हुई हैं। मैं अजमेर में पढ़ता था उस समय अजमेर में अजमेर इलेक्ट्रिक्स नाम की एक प्राइवेट कम्पनी थी, उसके एक रुपये के शेयर 10 रुपयों में बिकते थे, वह बहुत सस्ती और अच्छी सर्विस करती थी। हम स्वस्थ प्रतियोगिता में विश्वास करते हैं। आप इस प्रकार की प्राइवेट कम्पनीज को भी मोका दें, दोनों की स्वस्थ प्रतियोगिता हो, प्राइवेट एन्टरप्राइज अच्छी तरह से काम करे तो आप भी अपना आचरण सुधारें। पर आप तो हैपहैजर्ड वे में इलेक्ट्रिसिटी की मोनोपोली लेकर कार्य करते हैं, उसका मैं विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन किये बिना नहीं रह सकता कि वित्त मंत्री महोदय, के भाषण के पैराग्राफ 35 के अन्तर्गत जो प्रावधान किया गया है, तखमीनों में 120 लाख की आमदनी बढाने का, मैं समझता हूं वह लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर सकते, वह आंकडे खींचकर बनाये हैं। और 10 लाख की जंगलों के द्वारा अधिक आमदनी प्राप्त करने का रखा है, वह 10 लाख की आमदनी अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो इन्डायरेक्टली 50 लाख का नुकसान भुगतेंगे।

नोन टैक्स रेवेन्यू पर मैं जोर दूंगा। नान टैक्स रेवेन्यू बढाने के लिये खानों पर अधिक जोर देना चाहिये। मांडल की पाल में फ्लोराइट के उत्पादन पर माननीय वित्त मंत्री ने प्रकाश डाला। वहां बंगले होगये, बिजली लग गई, वातानुकूलित आवासों का प्रबन्ध होगया लेकिन फ्लोराइट पांच छः वर्षों में कितना निकला, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

हमारे उदयपुर के बाहर ही देबारी और डबोक के बीच में जिंक स्मेल्टर है, कभी उसके प्रबन्ध में परिवर्तन होते हैं, कभी उसके नाम में परिवर्तन होते है पर वहां उत्पादन की क्या व्यवस्था है, इसका शायद किसी को पता नहीं है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बांसवाडा में चिप बोर्ड फैक्ट्री है, वहां के आदिवासियों को बांस बल्ली आदि नहीं मिलते, क्योंकि चिप बोर्ड फैक्ट्री के लिये वहां का सारा का सारा जंगल रिजर्वड है। और वह चिप बोर्ड फैक्ट्री बन्द पडी हुई है। यह आपकी नान टैक्स रेवेन्यू बढान के संबंध में रीति नीति है।

विलेज इन्डस्ट्रीज के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा, आप विलेज इन्डस्ट्रीज के बारे में भी विचार करें, बडी इन्डस्ट्रीज को चलावें पर इसके साथ ही साथ विलेज इन्डस्ट्रीज की ओर भी ध्यान दें, इन्डस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा आप राजस्थान में खुशहाली ला सकते हैं।

सरकार की क्रूर नीति, प्रशासन के सम्बन्ध में आन्तरिक नीति के सम्बन्ध में दो तीन उदाहरण देना चाहूंगा। अजमेर के कलेक्टर श्री तेज कुमार नाम के एक व्यक्ति थे। उनको भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री कौल साहब ने कहा, मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी है कि अमुक क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया जाय। कलेक्टर महोदय अपराइट थे, वास्तविकता के अनुसार उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा है उन क्षेत्रों को मैं अकालग्रस्त घोषित नहीं कर सकता क्योंकि वहां वास्तव में अकाल नहीं है। क्योंकि कलेक्टर ने उचित व्यवस्था दी जो उचित समझा उसी ही पर कायम रहे और इसके फलस्वरूप उन्हें वहां गये साल भर भी नहीं हुआ था कि उनका वहां से स्थानान्तरण कर दिया। अगर राजनैतिक कारणों से, जो कर्मचारी ठीक काम करते हैं, उनको दबा कर, उनके ऊपर बदले की भावना प्रदर्शित करते हैं तो यह प्रशासन के लिये घातक है। यह तो लाइसेन्स होगया कि जो जी हुजूरिये हैं, जो जी हुजूरी करें वे लोग तो आगे बढें और जो जी हुजूरी नहीं करते जो ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं उनको दबाया जाय, आगे नहीं बढने दिया जाय।

इसी प्रकार डूंगरपुर के एस. डी. ओ. श्री लड्ढा भी अपराइट और ईमानदार आदमी थे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मंशा के माफिक काम नहीं किया इसलिये, उनका वहां से तबादला कर दिया गया। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातों के आधार पर दलगत नीति के आधार पर जो ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारी हैं उनके तबादले कर रहे हैं और जो आपके जी हुजूरी हैं, पिट्ठू हैं उनके पांच पांच, छः छः साल तक तबादले नहीं करें यह बिल्कुल अशोभनीय है।

मैंने सुना झुंझुनूं में डी वाई. एस पी साहब हैं वे ब्लेक मार्केट करके, व्यापारियों से सांठ गांठ करके अनाज हरियाणा को एक्सपोर्ट करते हैं, उनके तबादले का हुक्म हो गया, पर उस व्यवस्था को स्थगित कराने के लिये वरिष्ठ नेता यहां आये और मेरी जानकारी में यह तथ्य है कि वे वरिष्ठ नेता मुख्य मंत्रीजी के पास गये और उसके फलस्वरूप यह स्थानान्तरण रोक दिया गया। मैंने यह भी सुना कि काला बाजार से हजार, डेढ हजार, दो हजार रुपया रोजाना या एक हफ्ते में बनाते हैं। ऐसी व्यवस्था, जहां बेईमान हो उसको प्रश्रय दिया जाय और ईमानदार हो उसको जलील किया जाये, यह सरकार की व्यवस्था अनुचित है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं।

आज ही हमारी पार्टी के सम्माननीय व्यक्ति ने कोआपरेटिव के गबन का जिक्र

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

किया, करोडों का इसमें गबन है। बोगस कोओपरेटिव सोसायटीज को 25 करोड रुपया दिया गया है। अगर 25 करोड रुपया बोगस कोआपरेटिव सोसायटीज में लगा रखा है उससे उचित रूप से, उचित ढंग से अच्छी व्यवस्था करके खर्च करे तो कितनी प्रगति हो सकती है। क्वालिटी के ऊपर विशेष ध्यान दे, क्वान्टिटी के ऊपर विशेष ध्यान नही दे तो मेरे ख्याल से कोआपरेटिव मूवमेंट आगे बढ सकता है। वरना यह टैक्स पेयर की गाढी कमाई का पैसा है, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं।

इसी प्रकार प्रशासन में सुधार करके प्रशासनिक खर्चे में कमी की जा सकती है। जिला जन सम्पर्क अधिकारी पता नहीं क्या काम करते हैं, जिला जन सम्पर्क अधिकारी वहां रखने से कोई प्रयोजन नहीं है, कलेक्टर के यहां यह काम रखा जाय। इसी तरह समाज कल्याण विभाग में लाखों रुपया खर्च होता है, उसका कोई आडिट नहीं, उसमें आपाधापी और भ्रष्टाचार है, अगर समाज कल्याण विभाग को कलेक्टर के अन्दर में रखा जाय और उसका समय समय पर आडिट करवाया जाय तो ठीक ढंग से कार्य हो सकता है और इस तरह से प्रशासनिक खर्चे में कमी की जा सकती है।

फेमीन रिलीफ के अन्दर जो आपाधापी चल रही है, यह स्पून फीडिंग है, इसमें कमी करें। लोग खाना पकाते हैं, बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, इनको स्पून फीडिंग करेंगे तो वे क्या काम करेंगे ?

एक तरह से लोग जानते हैं कि हम बैठे रहेंगे और हमको खाना मिलता रहेगा तो फिर क्यों मेहनत करें। वह को वह प्रक्रिया आज राजस्थान के कर्मचारियों की है। मैं नहीं कहता,

(2.30 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

जैसे केन्द्रीय वित्त मंत्री ने संज्ञा पिंजरापोल की दी, मैं तो यह नहीं कह सकता कि कर्मचारियों की ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन पहले जमाने में जो काम एक आदमी कर सकता था, वह आज तीन आदमी नहीं कर सकते। यह स्पून-फीडिंग आ रही है। इस बारे में कोई न कोई नियंत्रण जब तक नहीं लगेगा तब तक देश कभी उन्नत नहीं हो सकता।

अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि विरोधी पक्ष की बात आपको माननी चाहिए। विरोधी पक्ष जनतंत्री व्यवस्था के अंदर एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। अगर आप उनको शत्रु के रूप से मानेंगे, अगर उनकी बात को नहीं मानेंगे तो मेरे ख्याल से यह भ्रष्ट अधिनायकवाद की व्यवस्था को प्रश्रय दे रहे हैं। आज जैसे हमारा संयुक्त दल है, वैसे आप भी संयुक्त दल है। केवल मात्र मंत्री हैं वे विशुद्ध कांग्रेसी हैं किन्तु आपने बहुमत जो प्राप्त किया है, वह ऐसे सम्माननीय सदस्यों को लेकर प्राप्त किया है कि जो कांग्रेस के आफीशियल उम्मीदवारों को हराकर आए हैं। कुछेक सम्माननीय सदस्य कांग्रेस व्यवस्था से निष्कासित किए गए हैं। तो ऐसे सम्माननीय सदस्यों के सहयोग से, सहयोगी सदस्यों को लेकर आपने बहुमत बनाया है, तो उसका स्वागत। लेकिन आप भी संयुक्त दल हैं और हम भी संयुक्त दल हैं तो एक तरफ के संयुक्त दल की बात दूसरे

Page No. 55

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तरफ का संयुक्त दल यदि नहीं मानेगा आपकी योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तो देश और गिरावट पर आएगा और बरबाद होगा।

हमारे वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के विचार इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा जिन मार्मिक शब्दों में उन्होंने देश का मानचित्र खींचा है, वह वास्तविक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आर्थिक स्वतंत्रता हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब मैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के 25 मार्च के लेख से कुछ एक्सट्रैक्ट्स पढ़कर अपना भाषण समाप्त करूंगा:—

"Let the Government run such public services as it may efficiently run in the general interest, but it should not be made a Government monopoly and be protected against competition by efficient private enterpreneurs."

"Resources have been grossly mis-invested and hence the universal distress."

"Excessive taxation has not helped but only hindeed progress. State undertakings should be denationalised and taxes reduced so as to help expansion and multiplication of other industries. This will produce a vast scope for employment of people discharged from Government service by reason of doing away with many departments which can be wound up in order to reduce Government spending."

"Man works better under self-regarding motives and under competition and compulsion. There may be reponse to temporary emotions during a war or violent revolution but that response cannot be continuing sustained phenomenon. We must fall back to human nature and help everyone to have an adequate and even a large share in the profits of labour and of organisation. In the long run this liberality pays, not the opposite policy of killing the goose that lays the golden deggs. Excessive taxation does not help the nation. It is suicidal in its effect."

श्री पी. के. चौधरी (फुलरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विरोधी दल के नेता क बजट भाषण को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उनका जो एप्रोच है, वह आब सोलीट है। बजट को जज करने का यह तरीका नहीं है कि टैक्स लगाया या नहीं। तरीका यह है कि आया इस बजट से इकोनोमी को फायदा पहुंचाता है या नहीं। हम जब इस बजट को देखते हैं तो आज की स्थिति में मैं समझता हूं कि इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। संयुक्त दल को भी मौका मिलता तो कोई बैटर बजट पेश नहीं कर सकते। वित्त मंत्री ने बैलेंस्ड बजट पेश किया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: बैलेंस्ड बजट नहीं है, आर्टिफिशियली बैलेंस्ड है।

श्री पी. के. चौधरी: इसमें आर्टिफिशल क्या है?

(श्री पी. के. चौधरी)

एक बात उन्होंने कही कि विकास के खर्च में कमी हुई है। उन्होंने स्टैटिस्टिक्स गलत तरीके से पेश किए हैं। प्रायरिटीज में कमी हुई होगी परन्तु विकास का जो एब्सोल्यूट खर्चा है उसमें नहीं हुई।

1951-52 में 7,32,00,000) खर्च था।

1955-56 में 13,97,00,000), 1960-61 में 26 करोड, 1965-66 में 55 करोड, 1966-67 में 68 करोड और 1967-68 में 67 करोड। याने एब्सोल्यूट खर्चा विकास का बढा है, कम नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि विकास के खर्चे में कमी हुई है, वह गलत है। विकास के खर्चे में लगातार वृद्धि हुई है। दूसरे उन्होंने कहा ह कि सोशल सर्विसेज पर भी खर्चा कम हुआ है। यह भी सही नहीं है। मैं कुछ फिगर्स कोट करता हूं। सोशल सर्विसेज पर खर्चा हुआ है :—

1951-52 में 4,76,00,000) 1955-56 में 8,23,00,000), 1960-61 में 17,26,00,000), 1965-66 में 30.52, 1966-67 में 35.27 व 1967-68 में 39.88। याने न तो विकास के खर्चे में कमी हुई न ही बढा है और न ही सोशल सर्विसेज के खर्चे में कमी हुई है।

दूसरी बात उन्होंने एक कही कि हम तो सुनते थे कि **whe ther the Plan is for the people or the people are for the Plan.**

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों बातें एक तरह से सही हैं। प्लान जनता के लिए है लेकिन प्लान को जब जनता स्वीकार नहीं करे, जैसे स्वतंत्र पार्टी नहीं मानती है तो वह प्लान सफल नहीं हो सकती। **People should also stand for the plan** तो उन्होंने जो दोनों बातें कही हैं **The Plan is for the people and also the people are for the Plan.**

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): कौनसी प्लान को माना जाय। एक प्लान रखा जाय, उसको पूर्ण करने की नीति को माना जाय या एक प्लान बनाया जाय और उसको अधूरा छोडा जाय ?

श्री पी. के. चौधरी : यह प्रिन्सीपल की बात है।

श्री विजयसिंह रावत : आपने कहा न कि स्वतंत्र पार्टी नहीं मानती है। स्वतंत्र पार्टी मानती है लेकिन आपकी नीतियों पर जो काम हो रहा है, उसको नहीं मानती।

श्री पी. के. चौधरी : दूसरी बात उन्होंने कही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में, कि उसको मोनोपोली दी गई है। यह बोर्ड हम नहीं बनाते। स्टेट सेक्टर और प्राइवेट कम्पटीशन को देखें तो आज जितना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, आज वहां की कास्ट लेते हैं, उसका एस्टीमेट यहां रहता है। दस सालों के बाद उसका कुछ रिर्टन आता है।

दस साल तक उसमें नुकसान ही नुकसान रहता है। मैं समझता हूं कि प्राइवेट कम्पनीज के हाथ में विद्युतीकरण की योजना दी जाती तो कोई भी कम्पनी गांव में बिजली नहीं पहुंचाती। वह तो शहरों में ही पहुंचाती जहां से उसको मुनाफा होता है। आज गांव में बिजली पहुंचाने से पांच छः कुओं में ही बिजली लग पाती है। प्राइवेट कम्पनीज को देते तो आज जितना विद्युतीकरण हुआ है,

Page No. 57

(श्री पी. के. चौधरी)

जितना बिजली का विस्तार हुआ है वह नहीं हो पाता ।

अब मैं बजट पर आता हूं । वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है रेवेन्यू अकाउन्ट पर 19 करोड़ 25 लाख का घाटा है। वह इस प्रकार से हुआ है । जो पार्लियामेन्ट में बजट पेश किया गया था उसमें 15.75 लाख का घाटा था । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 2 करोड़ कम मिलेगा और 2 करोड़ प्लानिंग से कम मिलेगा । इस प्रकार 19 करोड़ 25 लाख का घाटा है । इसको या तो इकोनोमिक मेजर्स से मीट किया करें या नये टैक्स प्रोपोजल्स से इसको बैलेंस करें । यह दो तरीके होते हैं इसको बैलेंस करने के । यह रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर का है । एडीशनल टैक्सेशन 2½ करोड़ आता है । लेकिन एडीशनल रिसोर्सेज को भी लें तो भी 11 करोड़ 17 लाख का रेवेन्यू अकाउन्ट में घाटा रहता है। वित्तमंत्री महोदय ने जो पूंजीगत आय बतायी है, जो ज्यादातर लोन्स कर्जा करके लिया है उससे किया है । कैपिटल अकाउन्ट से इन्वेस्टमेन्ट से इनकम आती है । रिवर प्रोजक्ट है उसमें 163 लाख की आमदनी मिलती है । कैपिटल अकाउन्ट से 2 करोड 17 लाख की आमदनी रेवेन्यू अकाउन्ट में ली है। फिर भी 9 करोड का घाटा रहता है । एक प्रिन्सिपल यह रहता है कि जो हमारी आमदनी है, कैपिटल का इन्वेस्टमेन्ट डेड मनी होता है, ऐसे प्रोजक्ट्स में लगायी जाती है जिनमें आमदनी होती है उसको रेवेन्यू अकाउन्ट में डालना उचित नहीं मानता हूं ।

16 करोड़ के ओवर ड्राफ्ट की बात है । स्टेट गवर्नमेन्ट का टोटल फाइनेन्शियल ट्रांजेक्शन है वह करीब 192 करोड का रहता है । 192 करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है उसमें ओवर ड्राफ्ट होता है उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए । हमारी जो स्टेट्यूटरी बोडी है, सरकारी कम्पनी है, किसी शिड्यूल्ड बैंक में भी अकाउन्ट खोलते हैं, करेन्ट अकाउन्ट जितने का खोलते हैं उतना ही ओवर ड्राफ्ट मिलता है । मान लीजिए कोई इन्डिविजुअल फर्म या कार्पोरेशन खोलते हैं, 15 लाख का ओवर ड्राफ्ट उस खाते में से ले सकते हैं यदि 15 लाख उसमें जमा है । 15 लाख हमारे और 15 लाख ओवर ड्राफ्ट के कोई शिड्यूल्ड बैंक अलाऊ करता है। 145 करोड़ का रेवेन्यू केपिटल का हमारा बजट है । इसका हमारा ट्रांजेक्शन होता है । 16 करोड के रिजर्व बैंक के ओवर ड्राफ्ट को हम को नहीं देखना चाहिए । रोडवेज आदि जो कम्पनीज है बैंक में रुपया रखती है, 20 लाख का उनका अकाउन्ट होता है तो 20 लाख का ओवर ड्राफ्ट ड्रा करते हैं । 20 लाख से 40 लाख का ओवर ड्राफ्ट ले तो उसको ब्याज देना पड़ता है । ओवर ड्राफ्ट की जो दिक्कत आती है उसको दूर करने के लिये शिड्यूल्ड बैंक में 112 करोड का खाता खोल देना चाहिये। हर महीने ओवर ड्राफ्ट लेने की सहूलियत रहेगी और रिजर्व बैंक को हमको नहीं देना पड़ेगा । न ही सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को तकलीफ देना पड़ेगा । फाइनेन्स मिनिस्टर इसको देखेंगे और शिड्यूल्ड बैंक में खाता खोल कर ओवर ड्राफ्ट कर लेंगे ।

दूसरी बात प्रायोरिटीज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। गवर्नर साहब ने भाषण में कहा था कि इसका दिग्दर्शन इस वर्ष के भाषण में है। "कृषि उत्पादन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये हर सम्भव

(श्री पी. क. चौधरी)
प्रयास किया जावे। अस्तु, उत्पादन योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायगी, चाहे इससे सामाजिक सेवाओं पर होने वाले व्यय में कुछ कमी ही करनी पड़े।"

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में इसकी कोई झलक नजर नहीं आती है। रेवेन्यू केपिटल एक्सपेन्डीचर 145 करोड़ का है। इकोनोमिक डेवलपमेन्ट में 27.23 लाख का खर्चा है। 18 परसेन्ट इकोनोमिक डेवलपमेन्ट में एक्सपेन्डीचर होगा वह काफी होगा। एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी 30 परसेन्ट। सोशियल एक्सपेन्डीचर 39 करोड 41 लाख जो हमारे बजट का 27 परसेन्ट होता है। इकोनोमिक डेवलपमेन्ट में प्रायोरिटी 18 परसेन्ट और सोशियल सर्विस में 12 परसेन्ट। गवर्नर के भाषण में जो दिग्दर्शन है उसके प्रतिकूल है। सोशियल सर्विस में 18 परसेन्ट होता तो अच्छा होता। दूसरी तरफ नोन प्लानिंग है उसमें 735 लाख खर्च करते हैं जो 41 परसेन्ट आता है। मैं समझता हूं नोन प्लान एक्सपेन्डीचर को आउट कास्ट करना चाहिये। बजट फोर्थ प्लान का रिफ्लेक्शन होना चाहिये। प्रायोरिटीज में परिवर्तन नहीं हुआ। एग्रीकल्चर को ज्यादा देते, सोशियल सर्विसेज को कम देते और नोन केपिटल एक्सपेन्डीचर को कम करते। इस तरह का प्लान बनाते हैं तो हर तरह का डेवलपमेन्ट होता है। फन्ड्स का अलोकेशन इस प्रकार से करते कि प्रत्येक रीजन का डेवलपमेन्ट इक्वीटेबल हो और बेलेन्सड हो। बजट में जो प्रोविजन है उससे मुझे लगता है कि उस ढंग से अलाट नहीं किया है। मिसाल को तौर पर एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज इरिगेशन के बजट में है उसमें 300 करोड़ रुपया मेजर और मीडियम इरिगेशन में खर्च हुए और उसके बेनिफिट्स एक पर्टीकुलर रीजन को जाते हैं। वेस्टर्न राजस्थान को उसका फायदा मिलता है और ईस्टर्न राजस्थान में खास कर के जयपुर डिविजन के लिये कहता हूं कि इरीगेशन के बजट से कहिये या डेवलपमेंट के बजट से कहिये दोनों से फायदा नहीं मिलता है। वह इससे महरूम है। कोई फायदा इसको नहीं दिलाते। तो यह 300 करोड़ इरिगेशन के लिए खर्च किया है इसका बेनिफिट पर्टीक्यूलर रीजन को मिलता है।

दूसरा जयपुर रीजन, जिसकी पापूलेशन काफी है, 95 लाख है। आज का इन्सीडेन्स आफ टेक्सेशन भी जो है 27.50 पर हैड है और इस साल के टेक्सेशन को और जोड़ते हैं तो वह 29.50 पर हैड होता है। इस हिसाब से देखते हैं तो जयपुर रीजन से 28 करोड का कलेक्शन होता है, कुल 63 करोड की रेवेन्यू में। पर प्रोपोर्शनेटली उस हिसाब से जयपुर रीजन में डेवलपमेन्ट के लिये पैसा खर्च नहीं होता है। तो इसके लिए निवेदन करना चाहूंगा कि एलोकेशन ओफ फण्ड्स जो है वह इक्विटेबली होना चाहिए। जयपुर रीजन इसमें निग्लेक्टेड है।

अब चूंकि इस रीजन में बड़ी इन्डस्ट्री, नहरें या कैनाल नहीं हो सकतीं। इसलिये निवेदन करूंगा कि यहां इस बात की कोशिश की जावे कि जयपुर डिविजन में वैल इरिगेशन पर ज्यादा जोर दिया जावे कुओं को इलेक्ट्रिसिटी दी जावे। तीसरे रोड्स पर ज्यादा फण्ड अलाट किया जावे। ताकि इस रीजन का डेवलपमेन्ट हो सके।

Page No. 59

(श्री पी. के. चौधरी)

रोड के लिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान में लगभग 30 हजार किलो मीटर फेअर वेदर और मेटल्ड रोड्स हैं। आल राजस्थान में पर वन थाउजेण्ड पर 1.3 किलो मीटर रोड्स हैं जब कि जयपुर डिवीजन में पर थाउजेण्ड पर 0.99 किलोमीटर रोड्स ही हैं। जयपुर डिविजन में काफी थिक पापुलेशन है। इसके बावजूद भी यहां रोड का फण्ड एलोकेशन कम है। आज दूसरी जगह रोड का एलोकेशन ज्यादा है और राजस्थान के एवरेज से भी जयपुर में पर थाउजेण्ड पापुलेशन पर कम है।

श्री परसराम मदेरणा: आप अच्छी तरह देखें।

श्री पी. के. चौधरी: पर कैपिटा रोड माइलेज इन जयपुर डिविजन इज लैस। यह मैंने आपके स्टेटिस्टिक्स से ही लिया है।

जहां तक टैक्सेशन के प्रोपोजल का सम्बन्ध है, इसमें ह्यूमन टच भी है। जहां आपने मैकेनिकल गुड्स पर टैक्स लगाया है वहां ब्लेड पर है और ऐसी ही दूसरी चीजें हैं, उन पर नहीं लगाया। दिस शोज ह्यूमन टच। टैक्स लगाते हुए भी उसका असर गरीब पर न पड़े इसका ध्यान रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: पर स्टेनलैस स्टील की ब्लेड मिलती भी है कहीं पर?

श्री पी के. चौधरी यह तो आप दुकानदार को पूछिये। एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा मिले इसके लिए जहां टायर ट्यूब पर टैक्स लगाया वहां ट्रैक्टर के टायर ट्यूब पर नहीं लगाया। तो जो इन्सीडेन्स आफ टैक्सेशन पुअर क्लास पर आज दिन तक था उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है।

हां, एक बात है कैटल पर आपने जो टैक्स लगाया वह नहीं लगाते तो अच्छा था। मैं समझता हूं कि कलेक्शन इसका डिफिकल्ट है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को बडी परेशानी होगी। लोगों का हैरेसमेन्ट अधिक होगा। तो इन बातों को देखते हुए इसमें इन्तजाम में अधिक खर्चा होगा बनिस्बत इसको उठा देने से होने वाली कमी के। तो इसलिये इसे हटा देना चाहिए।

जहां तक इरिगेशन के ऊपर सरचार्ज का सवाल है इसमें 25 परसेन्ट इन्क्रीज की नौबत क्यों आती है? आप कहते हैं कि इसमें 3½ करोड का घाटा होता है इसलिये। पर मैं नहीं समझता कि जब इरिगेशन रेट तै की जाती है तो उसी समय उस इरिगेशन प्रोजेक्ट का कुल एक्सपेन्डीचर और मेन्टीनेंस का सम्भावित खर्च जोड़ कर उसी हिसाब से रेट तै की जाती है। फिर यह घाटा कैसे आया? अब इसमें घाटा दो तरह से हो सकता है कि या तो कमाण्डेड एरिया, जो आपने डिक्लेअर किया वह फुलफिल नहीं हुआ। या आपने कहीं गलती की है। आप यह कहें कि प्राइसेज

बढ़ गई तो इसका असर आज इस पर नहीं पड़ता। वह तो जो असर पडना था उसी समय पड़ गया। आफ्टर आल इरिगेशन रेट इज फिक्स्ड आफ्टर वाटर स्टार्ट्स। बाद में मेन्टीनेन्स का खर्चा तनखा का खर्चा पड़ता है उसका बहुत बड़ा खर्चा नहीं पड़ता है। तो रेट के 25 परसेन्ट इन्क्रीज का जस्टीफिकेशन इस दलील से तो नहीं हो सकता। और कोई दूसरी दलील हो सकती है। या तो जो रेट ओरिजिनली तै की उस वक्त ही सारी बातें कन्सीडर नहीं कीं। This is your mistake.

(श्री पी. के. चौधरी)

अब जहां इरिगेशन फैसीलिटी है तो दोज पीपुल मस्ट पे फोर इट। तो कोई भी सोसाइटी हो जो बेनेफिट लेगी ही मस्ट पे फोर इट। पर यह 25 परसेन्ट क्या है वाट इज दी साइन्टिफिक बेसिस फोर देट। वह बेसिस हमें बता दो। 3.50 करोड़ का घाटा हुआ इसको मीट करने के लिय यह बढाते हैं यह तो ठीक नहीं है। It is not good administrative approach.

श्री कृष्णकुमार गोयल: बेटरमेन्ट लेवी तो अलग है वह भी प्रोजेक्ट को देख कर लगाई जाती है। इसके अलावा 25 परसेन्ट और है यह और फिर 5 रुपया फी एकड़ और लेते हैं।

श्री पी.के. चौधरी: मैं आप से भी निवेदन करूंगा कि आप ठीक सुझाव दें। सीरियल प्रोडक्शन को इन्सेन्टिव देने का तरीका क्या है? जैसे जैसे इरिगेटेड फैसीलिटी बढ़ती है एवरी एग्रीकल्चरिस्ट हैज एटेन्डेंसी टू गो इन्टू कैश क्राप्स।

इसलिये एक तो बेसिस गवर्नमेन्ट को इवाल्व करना पड़ेगा सीरियल प्रोडक्शन में इन्सेन्टिव देने का।

श्री कृष्णकुमार गोयल: यह तो रीयर गेअर में भी चलता है।

फूड प्रोडक्शन के लिये तो रेवेन्यू से एग्जेम्पट करिये। इन टैक्सों से एग्जेम्पट करिये।

इनको एग्जेम्पट न करके आप इन्सेन्टिव देने की क्या बात करते हैं? इरिगेशन चार्जेज कम करिये। यह तरीका हो सकता है।

श्री पी. के. चौधरी: यह प्रोब्लम है। पर सीरियल का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। इस का कोई हल निकालना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): इसके लिय रेट कम करिये सब्सिडी दीजिये।

श्री पी. के. चौधरी कॉमर्शियल क्रोप कम हो और सीरियल क्रोप को इन्सेन्टिव मिले इसके लिये अपोजीशन में होते हुए भी आपको इस नेशनल प्रोब्लम को समझने की और इसका सही हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। आइल सीड्स फोरिन एक्सचेन्ज भी लाती हैं इसलिये इसके बारे में भी सोचना होगा तो इट इज ए नेशनल प्रोब्लम। सरकार ही सोलूशन दे ऐसा नहीं है आप भी दें। यू आर वेलकम।

ठीक है, सीरियल का प्रोडक्शन बढ़ावेंगे, टैक्स माफ कर दीजिय इसके लिये। पर कॉमर्शियल क्राप पर भी तो सोचना होगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): यहां तो सब धान बाईस पसेरी है।

It is a good suggestion

सजेशन होना चाहिए मगर It must be in keeping with the national problem. जो हमारी प्रोब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखना है।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो इकोनोमि है उसमें नान-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कोशिश होनी चाहिए आज नान-टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू से कम है। नान-टैक्स रेवेन्यू में हम 7 करोड़ रुपया आमदनी कर रहे हैं इस बजट में। जब हम देखते हैं कि नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ने का रिसोर्सेस क्या

(श्री पी. के. चौधरी)

है तो स्टेट अन्डरटेकिंग्स। हम रोड ट्रान्सपोर्ट को लेते हैं। मैंने रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन की एक रिपोर्ट को देखा। स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट के पास 516 व्हीकल्स हैं और इनमें से 250 व्हीकल्स ही रन कर रही हैं और बाकी की व्हीकल्स आउट आफ आर्डर पड़ी हैं। अब रोड ट्रान्सपोर्ट का हमारा इन्वेस्टमेन्ट 2½ करोड़ रुपये का है। हमारे रोड ट्रान्सपोर्ट की पेड अप कैपीटल 2 करोड़ 50 लाख रुपये की है। उस रोड ट्रान्सपोर्ट की 50 परसेन्ट से भी ज्यादा प्राडक्टिव कैपेसिटी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां पर 516 बसेज हैं और इन 516 बसेज में से 250 बसेज ही चल रही हैं और बाकी सब बेकार पड़ी हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारी रोड ट्रान्सपोर्ट की हाफ दी कैपीटल ब्लोक है। लोगों को ट्रान्सपोर्ट फैसेलिटीज नहीं मिल रही हैं। दूसरे स्टेट रोडवेज की इस साल की इनकम देखो और मैंने उसका बजट देखा है। उसमें 1 लाख 12 या 13 हजार का नुकसान है। मेरी समझ में नहीं आता कि प्राईवेट ओनर्स बस चलाते थे तो हम सुना करते थे कि लोग परमिट लेने के लिए पांच पांच और दस दस हजार रुपया खर्च करते थे....

श्री रामानन्द अग्रवाल : परमिट लेने की क्या रेट है?

श्री पी के. चौधरी : मैं तो बात बता रहा हूं। एक 50 मील के परमिट के लिए 5–5 हजार रुपया खर्च करते और 3–3 हजार रुपया खर्च करते थे। अब रोडवेज सारे मेटल्ड रोड पर चलती हैं, डामर रोड पर चलती हैं, कहीं कच्चे में नहीं चलना पड़ता है फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी बसेज होते हुए भी क्यों यह लास में चल रही हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि पर माइल उनकी आमदनी 1.46 पैसा है जब कि उनकी पर माइल की रेट 4½ पैसा है। तो जब कि उनकी आमदनी एक तिहाई है तो समझ में नहीं आता कि हमारी स्टेट अण्डरटेकिंग है These are the only means of increasing non-tax revenue.

यह नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है और उसमें इस प्रकार का मिस मैनेजमैन्ट चले और जब कोई भी प्राईवेट कम्पनी होती और जिसमें 516 बसें होती और उसमें से 250 ही बसें चलें ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो चाहूंगा कि आपका जो स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट ओर्गेनाइजेशन है या ओथोरिटीज हैं उनके नाम भी देखे उसमें दो तीन तो इन्डस्ट्रियलिस्ट्स भी हैं और गवर्नमेन्ट ऑफिशियल्स भी हैं तो समझ में नहीं आता कि कारपोरेशन फिर बैठे बैठे क्या करती है। इस रोडवेज कारपोरेशन में बिजनिसमैन हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं आखिर वह क्या देखते हैं समझ में नहीं आता। इसलिए मैं चाहूंगा कि रोड ट्रान्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन को री-ओर्गनाइज किया जाये

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष: श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, 5 रोज से बजट पर सामान्य वाद विवाद चल रहा है और इस संबंध में सदन में दोनों ओर के सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं।

Page No. 62

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्त)

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के भाषण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात वित्त मंत्री महोदय ने कही है वह इनके भाषण के अन्तिम पैराग्राफ में है। और मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना संकल्प दोहराया है और यदि यह बात सच है कि यह राजस्थान सरकार का संकल्प है और उसको पूरा करने के लिए वह कृत संकल्प हैं तो इससे अच्छी बात और इससे अधिक फायदे की बात दूसरी कोई नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा है "योजनाबद्ध विकास के जरिए हम जनता के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प हैं। 1967-68 का वर्ष तो केवल इस लम्बी सफर के रास्ते पर हमारा एक आगे कदम है जिस पर आगे बढ़ते हुए, हम जनता को सामाजिक और आर्थिक शोषण से मुक्ति दिला सकेंगे" साथ में यह भी कहा है: 'जनता के जीवन को भरा पूरा और समृद्ध बनाने के इस प्रयास में आपकी आस्था और सहयोग की मैं सच्चे दिल से कामना करता हूं"

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि यह शब्द और जो भावनायें उन्होंने व्यक्त की हैं यह बहुत ही आशापूर्ण बात है और उन्होंने इस सदन से जो सहयोग और निष्ठा चाही है उसके लिए मैं मैं उनको विश्वास दिलाता हूं इस सदन के माननीय सदस्यों की ओर से कि जो सहयोग और निष्ठा वह चाहते हैं उसमें किसी तरह की कमी नहीं होगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ यह बात कहना चाहूंगा हमारे वित्त मंत्री जी से और उनकी सरकार से कि उन्होंने जो यह संकल्प व्यक्त किया है और उन्होंने जो लम्बी चौड़ी आशा जाहिर की है और उन्होंने जो आर्थिक और सामाजिक क्रांति का नक्शा पेश किया है मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि इस सारे भाषण में मुझे यह बात कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती, इस बात से मुझे कहीं आसार नजर नहीं आये। सारा भाषण जो पेश किया है इस बजट में कहीं इसका बोध नहीं होता। बल्कि अब तक का जो हमारा अनुभव हिन्दुस्तान में रहा कि हम समाजवाद की बात कहते हैं और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इस प्रजातंत्र को जन्म दिया उनके युग के तीन मंत्र थे। एक तो प्रजातंत्र, दूसरा समाजवाद और तीसरा योजनायें। यह तीनों उनकी देन हैं और उनके संकल्प हैं और अब तक हम इसी उद्देश्य को लेकर अपने मुल्क में आर्थिक और सामाजिक क्रांति करने की दृष्टि से आगे बढ़ते रहे हैं। मैं निहायत अदब से यह बात अर्ज करूंगा कि अब तक का जो हमारा अनुभव रहा है वह इसके खिलाफ ही रहा है। यह बात सर्वमान्य है और आज इसको कोई चेलेन्ज नहीं करता, मैं कहता हूं कि कांग्रेस के आदमी भी जानते हैं कि जब से पहली योजना हिन्दुस्तान में लागू हुई उसके बाद में गरीब आदमी ज्यादा गरीब हो गया है और अमीर ज्यादा अमीर हो गया है। इसको कोई चेलेन्ज नहीं करता। वर्गहीन समाज बनाने की जो हम बात करते थे उसमें वर्गहीन के बजाय वर्गों में बहुत बड़ा फर्क आ गया है और गरीबों की गरीबी बहुत बढ़ गयी है और गावों में रहने वाले हरिजन और लेबर लेबर हैं आज महंगाई के जमाने में उनको खाने को नहीं मिलता है और साथ ही शहर में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती, कारखानों में काम करने वालों को नौकरी नहीं मिलती और दूसरी ओर जितनी हमारी व्यवस्था है जितना रुपया

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
हमने प्लान में खर्च किया है उससे फायदा उठाने वाले अमीर आदमी हैं और कारखानेदार आदमी हैं जिनको इससे लाभ हुआ है। इसलिये ये बातें जो इसमें व्यक्त की हैं अगर वे सच्ची होती तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, राजनैतिक आजादी आजाने के बाद सामाजिक, आर्थिक उन्नति होना आवश्यक है और इसी लिये हमने राजनैतिक आजादी प्राप्त की थी। ये बातें हमारे भारतीय संविधान में भी दोहरायी हैं, और हमने गणराज्य में इन बातों के प्रति निष्ठा व्यक्त की है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े दिनों पहले भारत के वित्त मन्त्री महोदय ने भी केन्द्र में बजट पेश किया। यही बातें उन्होंने कहीं कि हम देश में लोकतान्त्रिक समाजवाद लाने के लिये वचनबद्ध हैं, उसके लिये कटिबद्ध हैं। उसी के दो दिन बाद कांग्रेस हाई कमान्ड ने अपनी बैठक में यह बात दोहराई कि हमें मुलक में आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक जो क्रान्ति हो रही है उसमें सहयोग देकर क्रान्ति को कामयाब बनाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के बजट को देखने से जो समाजवादी समाज हम लाना चाहते हैं, गरीब वर्ग को उठाना चाहते हैं उसके लिये इस भाग में कहीं कुछ नहीं है। आज हालत यह है कि किसान के पास जमीन नहीं है, आज हमारे पास काफी जमीन खाली पडी है लेकिन हम किसान को नहीं दे रहे हैं। आज होना तो यह चाहिए था कि जितनी जमीन हमारे पास है उसको लेन्डलेस टीनेन्ट में बांट दें ताकि हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस ओर अग्रसर हो सकें। बहुत सी जमीन राजस्थान में पडी हुई है, गंगानगर के लोग हमें इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे यहां बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है लेकिन लेन्डलेस जो लोग हैं उनको जमीन नहीं मिल रही है।

एक तरफ किसान की यह हालत है और दूसरी तरफ लाखों पढ़े लिखे लोग बेकार फिर रहे हैं उनके लिये कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं है ताकि उनको आभास हो सके कि उनकी बेकारी शीघ्र दूर होने वाली है और वे समाज के उपयोगी अंग साबित हो सकेंगे। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कस्बों में जो लेबर रहते हैं उनकी हालत को ठीक करने के लिये कोई कुछ नहीं किया जारहा है। आज जो मजदूर कारखानों में काम करते हैं, उनकी जो स्थिति है वह बड़ी दयनीय है, उनके शोषण की नीति अभी हमारे मुल्क से खत्म नहीं हुई आखिर इस सब का कारण क्या है ? जब हमारा उद्देश्य ठीक है हम चाहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक उन्नति हो उसके बावजूद भी हम उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि अभी तक हम अपना पूंजीवादी दृष्टिकोण, पूंजीवादी जमाने का शोषण हम खत्म नहीं कर पाये। यही कारण है कि हम जहां नया दृष्टिकोण लाना चाहते हैं, समाज में सहयोग की भावना लाना चाहते हैं अभी तक वे कागजों में, व्याख्यानों में और भाषणों में ही सीमित हैं। कथनी और करनी में फर्क है इसी कारण हम इसमें परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं और इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। हम अपने राजस्थान में हिन्दुस्तान में सब से पहले

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

पंचायती राज्य कायम किया, पंचायती राज्य स्थापित करने का नया कदम हमने सर्व प्रथम उठाया, इसकी वजह से राजस्थान को बड़ा गर्व रहा है। यहां पंचायत समितियां, जिला परिषदें ये सब संस्थायें हमने कायम कीं। राजस्थान में सब से पहले इस बात को खुशी है लेकिन जिस उद्देश्य से इन संस्थाओं को कायम किया गया आज उन उद्देश्यों के विपरीत ये संस्थायें चल रही हैं। जिस लक्ष्य को प्राप्ति की उम्मीद हमको थी उससे बहुत दूर हम जा रहे हैं। बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में यह बात जाहिर कर दी है आज हमारे यहां के तीन लाख गांव गरीबी में डूबे हुए हैं, जनता का सहयोग, जन कल्याण की भावना, कल्याणकारी राज्य होने के नाते हमारे ग्रामीण लोगों का उत्थान होना चाहिए था उनकी गरीबी दूर होनी चाहिए थी, कृषि, पशु पालन और ग्रामोद्योग द्वारा ही उनकी गरीबी दूर हो सकती थी। बेरोजगारी मिट सकती थी इस तरह से जो एक व्यवस्था हमने इन संस्थाओं के जरिये करने की इच्छा प्रकट की थी वह उद्देश्य इससे पूरा नहीं हो सका मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि आज ये संस्थायें एक प्रकार से प्राणरहित हो गई हैं। जिस प्रकार से एक मन्दिर कोई व्यक्ति बनाता है, और उसमें वह संगमरमर की मूर्ति स्थापित कर देता है, उसके बाद हिन्दू धर्म के अनुसार यह नियम है कि जब मन्दिर का प्राण प्रतिष्ठा संस्कार किया जाता है तब उस संगमरमर की मूर्ति को संगमरमर की मूर्ति न मानकर भगवान का स्वरूप उस मूर्ति को मानते हैं। कम्युनिस्ट भाई इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन आम तौर पर लोग जब तक प्राण प्रतिष्ठा संस्कार नहीं हो जाता तब तक चाहे कितनी ही सुन्दर व मूर्ति क्यों न हो, वह मन्दिर कितनी ही लागत से क्यों न बना हुआ हो उसको भगवान की मूर्ति के समान नहीं माना जाता। इसी तरह से ये पंचायत संस्थायें हैं जिनको बड़े गर्व के साथ राजस्थान में स्थापित किया, उसके बाद सदन ने उनकी व्यवस्था के लिये कानून बनाये, उनके लिये धन का प्रयोजन किया लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन पंचायत समितियों से सम्बन्ध रखता हूं और चौथी पंचायत समिति के नजदीक रहता हूं। इनको मुझे बहुत नजदीक से अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। किसी तरह से भी हो इनमें सुधार किया जाय लेकिन मुझे इनमें सुधार होना प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि हमें जहां शोषण विहीन लक्ष्य रखकर कार्य करना चाहिये वहां यह सरकार शोषण वृत्ति को प्रोत्साहन दे रही है। यथा राजा तथा प्रजा वाली कहावत चरितार्थ होने के कारण हमारी पंचायत समितियें जिस प्रकार हमारी राज्य सरकार चलती है, जन कल्याणकारी भावना के नाम पर शोषण कर रही है उसी भावना से हमारी पंचायत समितियें काम कर रही हैं, जनता को राहत देने के बजाय, सहयोग लेने के बजाय जनतन्त्र में शोषण के तरीके को अख्त्यार कर रखा है यह बड़े दुख की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां हम इन संस्थाओं के द्वारा बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिये हमने यह सारी कार्यवाही की उसका जब हम उल्टा असर देखते हैं बड़ा दुख होता है। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा आप भी मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे। अभी आपने बी० डी० ओज. को कमी में लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस व्यवस्था को ठीक करके इसमें प्राणप्रतिष्ठा करिये, सेवा मार्ग अख्तियार करिये या इन संस्थाओं को ब

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

रखना ही राज्य के लिए श्रेयस्कर है। इससे कम से कम जो धन का नुकसान हो रहा है वह तो बचेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमने अब तक इसमें 30.40 करोड रुपया खर्च कर दिया है और मैं समझता हूं इस साल के बजट में हमने तीन करोड रुपया रख दिया है। तो जब इतना रुपया खर्च कर दिया उस पर कोई लाभ नहीं हो पाया तो यह रुपया खर्च करना फिजूल है।

इसके साथ ही दूसरी बात और कहना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं। इन्होंने अपने बजट भाषण के अन्त में जो पैराग्राफ रखा है वह इसका सब से महत्वपूर्ण भाग है अगर उनकी आस्था उसमें है तो उस आस्था को पूरा हम करते। लेकिन मुझे अफसोस है कि उनके बजट के अन्दर और उनके बजट भाषण के अन्दर इसकी कोई व्यवस्था नजर नहीं आती बल्कि मुझे तो ऐसा नजर आता है कि मशीन की तरह से रुपये को डिस्ट्रिब्यूट करने की कोशिश की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय वित्त मंत्रीजी का नाम है उसके मुताबिक ही उन्होंने आचरण किया है। काशी विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्रद्धेय मदनमोहनजी मालवीय थे। उन्होंने करोड़ों रुपया हिन्दुस्तान से इकट्ठा किया और काशी विश्वविद्यालय में लगाया। मदन मोहनजी मालवीय के नाम के अन्दर तीन एम आते हैं और इसलिए उनके बारे में कहा करते थे कि वे तो मनी मेकिंग मशीन हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया इकट्ठा करके काशी विश्वविद्यालय में पहुंचाया है। मुझे भी कई सालों तक वहां पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनको मनी मेकिंग मशीन कहा करते थे क्योंकि उनके नाम के अन्दर तीन एम आते थे। इसी तरह से हमारे वित्त मंत्री महोदय हैं उनके नाम के अन्दर दो एम तो हैं, बीच का एम नहीं है उसकी जगह डी है। मथुरादास माथुर। यानि एम. डी. एम. है जिसका मतलब निकलता है मनी डिस्ट्रिब्यूटिंग मशीन। उन्होंने मशीन की तरह से रुपया डिस्ट्रिब्यूट करने का लक्ष्य तो रखा है लेकिन इससे जो लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए उसके लिए कोई बात नजर नहीं आती है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने एक मिसाल और पेश करूंगा। अभी तीन महीने पहिले चुनाव हुए और हमारे कांग्रेस के साथियों ने और कांग्रेस की संस्था की ओर से इसी उद्देश्य को लेकर वोट मांगे और जनता से बड़े 2 वायदे किए गए। उस समय न टैक्स की बात थी और न लेवी की बात थी बल्कि पिछली बार जो लेवी लगाई गई थी उसको भी विड्रो किया गया और उसका प्रचार गांव गांव में किया गया चुनावों में वोट प्राप्त करने के लिए और उनसे कहा गया कि वह एक किसान विरोधी नीति थी इसलिए हमने उसको छोड दिया है। इस तरह का कांग्रेस का प्रचार चुनावों में होता था। गांव गांव में सड़क बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, बिजली लगाने के लिए कांग्रेस के आदमियों ने वायदे किए और किसानों के सामने स्वराज्य का असली नक्शा पेश किया गया लेकिन अब किस तरह से अपने वादों की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। चुनावों के समय में किस प्रकार किसानों के सामने एक स्वर्ग का नक्शा रखा गया कि इस बार तो तुम हमको बचा लो आयन्दा तुम्हारे सब दुःख दूर हो जायेंगे।

Page No. 66

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिसाल आपको और दूं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माता के गर्भ में जब बच्चा आता है और जिस समय उसमें प्राण आते हैं और उस समय उसे जो वेदना वहां महसूस होती है तो वह भगवान् से वर मांगता है कि हे भगवान् इस नरक में पड़ा हुआ हूं, मुझे जन्म देदो, मेरी मुक्ति कर दो तो मैं आपका गुणगान करूंगा, आजीवन आपकी सेवा करता रहूंगा। इसी तरह की हालत हमारे इन कांग्रेसी भाइयों ने जनता के सामने रखी और मुझे यह देखने को मिलता था कि मेरे खिलाफ उनका प्रचार बहुत ज्यादा था। वे इस प्रकार का वायदा करते थे हम तुम्हारे लिये सड़क बना देंगे, तुम्हारे यहां बिजली लगा देंगे, तुम्हारे यहां पर महल बना देंगे, तुम्हारे लिये सब कुछ करने वाले हैं, तुम इन निकम्मे विरोधियों से हमको एक बार बचालो, इनसे हमारी रक्षा करदो फिर हम तुम्हारे लिये स्वर्ग ला देंगे और जनता ने विश्वास भी व्यक्त किया किसी हद तक। उसका नतीजा क्या हुआ है ? उसका नतीजा सबसे पहले तो यह हुआ कि यह लेवी सामने आई है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई कानून नहीं मिलता जिसकी वजह से, मैं कहता हूं कि संविधान के भी यह खिलाफ है कि किसानों पर इस तरह से टैक्स लगाया जाय। आप किसानों पर और कोई दूसरी तरह का कन्ट्रोल नहीं करते, किसानों के उपयोग की किसी चीज पर कोई कन्ट्रोल नहीं है, लेकिन आज आप लेवी के जरिये से किसान से कम कीमत पर उसकी पैदावार लेना चाहते हैं। जहां 45 और 50 रुपये मन का भाव है वहां 30) रुपये मन में अनाज लेना चाहते हैं यह किसान के साथ ज्यादती नहीं है तो क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय, आज बाजारों में इतनी कीमतें बढ़ गई हैं कि उन पर आपका कोई कन्ट्रोल नहीं हो रहा है। कल शाम की ही बात कहता हूं, कुछ एम. एल. एज. बैठे थे एक होटल में और वहां पर दूध पी रहे थे तो उसने .45 पैसे का एक पाव दूध दिया और उसमें भी आधा पानी पीने के काबिल था। जब हमने उससे कहा कि भाई ऐसा क्यों करता है तो बोला बाबूजी क्या करूं। पांच रुपये किलो के हिसाब से मैं ब्लेक से चीनी लाया हूं, मैं उसका नाम भी बता सकता हूं। मैं अकेला ही वहां पर नहीं बैठा था और भी एम. एल. एज. वहां पर थे। हम इन पर कोई कन्ट्रोल नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, बजट के लागू होते ही हम एक होटल में खाना खाने गए और उस होटल वाले ने एक दाल की प्लेट का, मामूली सी दाल की प्लेट का जिसका आम तौर पर तीस, चालीस पैसा लिया जाता है, एक रुपया चार्ज किया।

श्री उपाध्यक्ष : किसी अच्छे होटल में गए होंगे ?

श्री शिवचरण सिंह (महुवा) : इस दाल में छौंक भी लगवाया होगा।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, दाल के अन्दर छौंक तो मामूली दाल में भी लगाया जाता है।

श्री भवणलाल : छौंक लगाया तो उसमें मूंगफली के तेल का छौंक लगा होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिस प्लेट का साधारण तौर पर चालीस पैसा चार्ज करते हैं किसी अच्छी से अच्छी होटल में उसका भी उसने एक रुपया चार्ज कर लिया और जब

Page No. 67

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
हमने उससे कहा तो कहने लगा कि आज ही तो बजट के द्वारा टैक्स लगा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : रोटी के पैसे भी शामिल होंगे उसमें।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब उससे ऐतराज किया गया तो बोला कि अभी हाल ही तो बजट में टैक्स बढ़ा है। तो उपाध्यक्ष महोदय, उस पर, इस प्रकार से बढ़ते हुए दामों पर हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं है। चाहे जिस तरीके से चार्जेज ले सकते हैं लेकिन एक किसान से हम जब कि बाजार में उसका गेहूं 48) रुपये मन बिकता है लेकिन उससे 30) रुपये प्रति मन के हिसाब से खरीदेंगे।

श्री शिवचरण सिंह : उसको मालूम होगा कि माननीय सदस्य को 21) रुपये रोज मिलते हैं, चाहे जितना चार्ज करलो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसने हमको भी कांग्रेस का सोच लिया होगा, उसने समझ लिया होगा कि ये भी खादी पहने हैं इसलिये कांग्रेस के आदमी होंगे और इसीलिये उसने ऐसा किया होगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम खादी पहिनने वाले विरोधी दल के जो आदमी हैं उन पर ऐसा निशान लगाया जाय जिससे मालूम हो सके कि हम कांग्रेस के नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ के आदमी हैं।

श्री भरतीसिंह : क्या दाग लगवा दें?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यहां पर हमको अब हर एक जानने लग गए हैं कि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं लेकिन खादी पहनने से लोग समझ लेते हैं कि ये भी कांग्रेस के होंगे।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात अर्ज कर रहा था कि अभी हमारे थोड़े दिनों पहले ही वायदा किया था जनता के सामने और जनता से वायदा करने के तीन महीने के बाद ही वित्त मंत्री महोदय और यह सरकार लेवी का बिल लाई और लेवी के बाद ही यह टैक्सेशन जो कि सीधे किसान पर आने वाले हैं, यह पहला मौका है जब कि किसान पर सीधा टैक्स लगा रहे हैं और यहां तक कि उसके बैल, बछड़े, सूअर और गधे तक को नहीं छोड़ा है। अभी थोड़े दिन पहले इस प्रकार की बात हो रही थी कि इरिगेशन के ऊपर हम यह चाहते हैं कि हम देश मुल्क को किसी तरह से अनाज की पैदावार दें तो इसके लिये यह आवश्यक है कि बीज, खाद, पानी की सुविधा किसानों को ज्यादा से ज्यादा दी जाय और सस्ते मूल्यों पर दी जाय, अगर हम सस्ता अनाज चाहते हैं तो। एक तरफ तो अनाज सस्ता चाहेंगे और दूसरी तरफ इन चीजों पर कोई कन्ट्रोल नहीं है तो फिर हम यह किसानों पर उल्टी ज्यादती क्यों करना चाहते हैं कि हम उनको उनका भी सस्ती लेलें और उस पर टैक्स भी बढ़ाया जाय। मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से, अगर बाजरे के मामले में लेवी लगा दें और बाजरे की लेवी वसूल करने की बात हो तो कांग्रेस वालों को पता चलता कि ऐसा करने में कितनी दिक्कत होती है। मैं अब भी यह महसूस करता हूं कि अगर कभी भी इस तरह का मौका हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं देख सकते हैं कि कांग्रेस वालों को इसमें बड़ी दिक्कत महसूस होगी और वे इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे।

Page No. 68

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इस बजट में अभी मैंने कहा कि किसानों पर, काश्त की चीजों पर, पशुपालन पर, पशुओं पर नए 2 टैक्स लगा दिये गये हैं। गांवों में जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हैं जिससे गांवों की बेरोजगारी दूर हो सके उसके लिये इस बजट के अन्दर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। वर्गहीन समाज की स्थापना आप करना चाहते हैं, जो शोषित आदमी हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें उसकी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। इसी तरह से हरिजनों के लिये है। उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के लिये हमने कानून बनाया और उसके लिये हमने इस बात की काफी कोशिश की लेकिन हरिजनों के स्तर में अभी तक पहले के मुकाबले में बहुत ही कम फर्क आया है। सर्विसेज के बारे में हमने उपाय किये हैं। हम जानते हैं कि राजस्थान में पीने के पानी की बहुत दिक्कत है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बार मुझे एक गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत से लोग मुझसे मिलने के लिये आये। मैं उस समय पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर था। वहां पर हरिजन भी एक तरफ खड़े हुए थे। मैंने कहा कि किस लिये आये हो तो उन्होंने कहा कि हमारे वहां पर कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यहां खेल पर बैठे रहते हैं और जो नहाने धोने का पानी इकट्ठा होता है तो उसको ले जाते हैं और पीते हैं। मैंने पूछा कि शादी विवाह में क्या प्रबन्ध करते हो तो उन्होंने कहा कि खेल के पानी को महीनों तक इकट्ठा करते हैं। उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं परन्तु शादी-विवाह के मौके पर उसी पानी को काम में लाते हैं। अब भी मैं इस बात को जानता हूं कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां यह सारी व्यवस्था करने के बावजूद भी हम अभी तक वहां के हरिजनों के लिए व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। हरिजनों की हालत भी जैसे उनकी आबादी बढ़ रही है, हालत गिरती जा रही है। मैं खास तौर से वित्त मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में कुछ उपाय करें।

इसी तरह से जो कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी स्थिति इतने कानून बनाने के बावजूद भी जिस तरह की होनी चाहिये थी उस तरह की नहीं हुई है। मैं एक कारखाने में गया एक बार और मजदूरों के आवास स्थानों को मैंने देखा तो उनको देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ....

श्री लादूराम तुलानिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो बातें बता रहे हैं वे जब मंत्री थे उस समय की है या फिलहाल की है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर हरिजनों के लिये पानी की इतनी दिक्कत थी वहां मैंने पानी नहीं पिया और खाने के लिए कहा तो खाना भी नहीं खाया। जुलूस के लिये कहा तो जुलूस नहीं निकलवाया। मैंने कहा कि जब तक आप हरिजनों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं करेंगे। करोली का वह एक गांव है। वहां का नाम मुझे याद नहीं है। माननीय सदस्य इस बात को कहते हैं तो मजदूरों के बारे में कहता हूं, कि मैं कारखानों के मजदूरों के आवास स्थानों को देखने के बारे

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

में कह रहा था तो जब मैंने उनकी जो हालत देखी तो उसके बाद से मैंने कभी भी जितने भी कारखानेदार हैं उनके यहां चाय पीने की कसम खा ली और आज तक न खाने गया और न चाय पीने गया। पाली के माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं। मैं पाली गया था। उन्होंने मुझे बुलाया था और वहां पर हमारी प्राविन्शियल कांग्रेस कमेटी की बैठक थी। वहां पर कई मिनिस्टर मौजूद थे। उन्होंने सबको खाना खिलाया, लेकिन मैंने कह दिया कि आपके यहां मजदूरों की हालत खराब है ....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उस समय आपको पेचिस हो रही थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपकी तो आदत इसी तरह से कहने की है। आपका पेट तो अभी तक भरा नहीं है। आप अपना पेट भरलें।

मैं उस समय लेबर मिनिस्टर था। उनके कोशिश करने के बावजूद मैं नहीं गया। उन्होंने यहां तक कोशिश की कि इन्डस्ट्री मिनिस्टर साहब खुद कहने को आये, मेरे मिलने वाले थे लेकिन मैंने जाने से इन्कार कर दिया। अगर सारी हिस्ट्री बताऊ तो बहुत समय लगेगा। मैं जिस बात पर विश्वास करता था उस पर मैंने अमल भी किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं उपाध्यक्ष महोदय, व्यापारियों के लिए वित्त मंत्री महोदय से खास तौर से छोटे व्यापारियों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे व्यापारियों की स्थिति वाकई में खराब है और गांव के व्यापारी हैं और शहर से इन्सपेक्टर वहां जाता है तो घबराते हैं। एक बार व्यापारी आकर बोले कि साहब सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था हो जाय कि जितने रुपये इन इन्सपेक्टर्स को रिश्वत में देने पड़ते हैं उतना साल में एक बार अगर कायम कर दें तो रोज जो हमला होता है उससे निस्तार हो जाय, बल्कि उनमें से तो किसी ने यह भी कहा कि औरंगजेब के जमाने में कब्र खोदने की लाग लगी हुई थी और कब्रें हमें खोदनी पड़ती थीं तो लोग हाथ जोड़कर बादशाह के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आजकल चौमासे का मौसम है और मिट्टी खोदना आसान है तो हुजूर फर्मा दें कि कितने आदमी मरने वाले हैं तो हम उतनी कब्रे खोदकर तैयार कर दें और जब सूखे का टाइम आयेगा तो कब्रें नहीं खोदनी पड़ेगी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय वे बहुत दुखी हैं।

इसके साथ-साथ मंडियों का एक काम नया बनाया है। उस काम के बारे में दुबारा अर्ज करूंगा। उनके बारे में भावना यह है कि गांव के छोटे व्यापारियों का लेन-देन का कतई काम नहीं है। आज भी सूद का काम वे नहीं करते हैं। उनकी हालत बडी खराब है या तो और काम उनको दिया जाय या जो वे काम करते हैं उनको उसमें सहूलियत दी जाय।

मैं सेल्स टैक्स के बारे में एक बात कहूंगा कि हमारे यहां जो आइल सीड्स हैं उनका भरतपुर और अलवर के जिलों में ज्यादा काम होता है। उन पर दो रुपये के टैक्स के बजाय 3 रुपये का हो गया है। उन व्यापारियों का कहना है कि आस-पास की जो स्टेट्स है उनके अन्दर दो रुपये का ही टैक्स है यू. पी. और पंजाब में इसलिए उनके व्यापार पर जो माल बाहर एक्सपोर्ट करते हैं धक्का

Page No. 70

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

लगेगा क्योंकि उनके माल की कीमत एक रुपया बढ़ जायगी। इससे यहां के व्यापारियों को नुकसान होने वाला है। इसलिए मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि उनकी इस बात पर विचार करें।

कई माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, .

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय के 67-68 जो बजट के सदन में प्रस्तुत करने के बाद इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने गत 3-4 दिनों में अपने विचार व्यक्त किये हैं। बजट को सरसरी निगाह से देखने से ही पता लगता है कि इस बजट के बनाने में वित्त मंत्री महोदय ने बड़ी दिलचस्पी ली है, बड़ा परिश्रम किया है, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस सारे बजट में किसान के लिए किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है। वित्त मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि लोक-कल्याणकारी राज्य के बजट में किसानों के लिए किसी प्रकार का आकर्षण न होना यह हमारे लोक-कल्याणकारी दावे और समाजवादी नीतियों पर शक पैदा करता है। राजस्थान एक कृषि-प्रधान प्रान्त है जिसकी लगभग 85 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है। राजस्थान का किसान गरीब था और आज भी गरीब है। राजस्थान का किसान गत वर्षों में जागीरदारी से दबा हुआ था और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकी। खाद्यान्नों की कमी इस बात का संकेत है, इस बात का सबूत है कि हमारे राज्य का किसान गरीब है, साधन-सम्पन्न नहीं है। इस साल के बजट में आपने कई कर लगाये हैं। पशु-धन की बिक्री पर कर लगाया, सिंचाई की दरों में वृद्धि की और 30 स्टेण्डर्ड एकड़ से अधिक की जोतों पर सरचार्ज लगाया और सीमेंट के बिक्रीकर में भी वृद्धि की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान का किसान गरीब होने के नाते इन सारे करों के भार को वहन करने की क्षमता नहीं रखता है। पशु-धन की बिक्री पर आपने 5 प्रतिशत कर लगाया है। ऐसा ही टैक्स आज से लगभग 4 साल पहले इसी राज्य सरकार ने लगाया था, परन्तु अव्यावहारिक होने के नाते और प्रशासनिक दृष्टि से उसकी वसूली में कई दिक्कतें पैदा होने के कारण इस टैक्स को वापस लेना पड़ा था। इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि इस बार भी आपको इस टैक्स को वापिस लेना पड़ेगा।

दूसरा, आपने सिंचाई की दरों में वृद्धि की है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में स्वयं ही स्वीकार किया था कि किसी क्षेत्र में सिंचाई है जहां पर्याप्त पानी मिलता है और दूसरी भूमि ऐसी है जहां पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो दोनों किसानों की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा फर्क होता है। यदि सिंचाई की यूनिफार्म दरें बढ़ाते हैं तो वह न्यायसंगत नहीं है। आपको स्वयं को मालूम होगा राजस्थान का किसान, राजस्थान का किसान ही क्यों, सारे हिन्दुस्तान के किसान को प्राकृतिक प्रकोपों का भार वहन करना पड़ता है, और यही कारण है कि हमारे प्रान्त में इतना बड़ा अकाल पिछले 3-4 वर्षों से पड़ रहा है सीमेंट के बिक्री कर के बारे में निवेदन करूं, किसानों पर सीमेन्ट की

(श्रीमती मदन कौर)

बिक्री कर का भी भार डाला गया है। सीमेन्ट और मेवे को आपने एक ही स्तर पर लाने की कोशिश की है। सूखे मेवों पर भी चार प्रतिशत से बढ़ा कर दस प्रतिशत तक बिक्री कर बढ़ाया है और सीमेन्ट पर भी आपने इसी तरह से बढ़ाया है। सीमेन्ट गरीब से गरीब आदमी भी उपयोग में लेता है। जहां तक मेवे का सवाल है बहुत अधिक आमदनी वाले लोगों को ही यह मेवा उपलब्ध होता है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम सीमेन्ट पर बिक्री कर किसान के उपयोग पर तो हटा ही लिया जाना चाहिए। फिर राजस्थान का किसान तो पहले से ही अप्रत्यक्ष करों से दबा हुआ है। अप्रत्यक्ष कर से मेरा मतलब उन रकमों की वसूली से है जो किसान से तहसीलदार, पटवारी और पुलिस के कान्स्टेबल मौके ब मौके वसूल करते रहते हैं। अभी कल परसों मुझे मालूम हुआ है, ट्रैक्टर वाला जो भी शहर में आता है उसके साथ में बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। और कोई भी गरीब किसान साफा पहने हुए शहर में आ जाय तो उसे पांच-छः सौ रुपये तो पुलिस कान्स्टेबल को देने ही पड़ते हैं। इसके बिना उसे छुटकारा नहीं मिलता है। यह अप्रत्यक्ष करों की धनराशि राज्य सरकार के खजाने में भले ही नहीं आती है, राज्य कर्मचारी के खजाने में तो जाती ही है। फिर भी इसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है क्योंकि वह राज्य कर्मचारी सरकार के प्रतिनिधि हैं और सरकार के प्रति ही वह जिम्मेदार हैं, वह जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं।

इस बजट में यह भी मुझे देखने को मिला कि दूसरे उद्योगों पर बिक्री कर का इतना भार नहीं लगाया गया है। कृषि भी एक प्रकार का उद्योग है। लेकिन इसमें एक विशेषता है, और वह विशेषता ही उसकी एक कमजोरी है। राजस्थान का किसान आज अशिक्षित है, वह संगठित नहीं है, उसकी यूनियन नहीं है। यदि किसी दूसरे उद्योग पर आपने मनमाने ढंग से कर वृद्धि की होती, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से उसके ऊपर ज्यादा आपने भार लगाया होता तो आपके सामने स्ट्राइक होती, डेपूटेशन आपके सामने आते और उन करों को आपको वापिस लेना पड़ता। अतः मेरा निवेदन है कि कम से कम राजस्थान के किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, इस बात को सामने रख कर इन सारे करों में, जिसमें सिंचाई दर की वृद्धि भी शामिल है, वापस लिया जाय, सिंचाई दरों में वृद्धि कर आपने 25 परसेन्ट यूनिफार्म दर बढ़ाई है, राज्य सरकार इसमें हेर फेर कर सकती है। आप हिन्दुस्तान के किसी राज्य में देख लीजिये कहीं भी सिंचाई की यूनिफार्म दरें नहीं हैं। जहां जहां भरपूर पानी दिया जाता है, नियमित पानी दिया जाता है, वहां दर ज्यादा है लेकिन जहां कम पानी दिया जाता है सिंचाई के लिये वहां सिंचाई की दरें कम हैं।

दूसरे मद के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि इस बजट में मैंने देखा, अकाल राहत कार्यों के कारण आपकी वित्तीय हालत पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और ऐसा वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में भी कहा है। इस कुप्रभाव के पश्चात् भी यह हम जानते हैं कि यह प्रभाव क्यों पड़ा है। राजस्थान में अकाल एक्सीडेंटल फीचर नहीं है, राजस्थान में अकाल नियमित फीचर है। हर तीन साल के अन्दर दो साल अकाल पड़ता है, अत एव अकाल राहत कार्यों के लिये उचित धन राशि का प्रावधान पहले से ही बजट में रखना चाहिए

(श्रीमती मदन कौर)

ताकि हमारी वित्तीय अवस्था पर इसका बुरा असर न पड़ सके। अकाल राहत कार्यों पर पैसा खर्च किया जाता है उसका आम तौर से सदुपयोग नहीं हो पाया। जिन इलाकों में बराबर अकाल पड़ता है, जिनकी स्थिति सूखा ग्रस्त क्षेत्र जैसी है, क्या उनकी भौगोलिक स्थिति के सुधार के लिये राज्य सरकार के पास कोई योजना है? बजट में देखने को मिला कि ऐसी कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इस तरह बार बार, साल दर साल इतनी धनराशि इस मद में खर्च करने के बजाय यह बेहतर होगा कि यदि इन सूखाग्रस्त क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई बड़ी योजना आपके सामने आवे और उसको कार्यान्वित किया जाय।

इस वर्ष भी बाड़मेर जिले में सत्रह सड़कों पर काम शुरू हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि छः सड़कों का काम खत्म हो चुका है और तीन चार सड़कों का काम और खत्म हो जायगा लेकिन ये सड़कें आंधी और वर्षा के बाद बिल्कुल समाप्त हो जायंगी। इनका नाम निशान नहीं रहेगा। इसलिए यह जो कोई काम अकाल राहत के तहत शुरू कराये जायं या पूरे कराये जायं, उनको इस दृष्टि से पूरा कराया जाय कि इनका स्थाई उपयोग हो सके। इन सड़कों के बारे में मेरा सुझाव है कि इन सड़कों पर ग्रेवल कराया जाय, इनको पक्का कराया जाय ताकि हमेशा के लिए यह मीन्स आफ कम्युनिकेशन के काम आ सकें और अकाल राहत कार्य के नाम पर जो पैसा खर्च किया गया है उसका उपयोग हो सके। अकाल राहत के कार्यों से मकसद यह होता है कि वहां की जनता को राहत दी जाय, उसको मदद दी जाय, उसका निर्वाह किया जाय, उसका पेट पालन हो सके लेकिन अकाल राहत कार्यों पर मजदूरी की दरें बहुत ही कम हैं। एक आदमी को एक रुपया दो आने, एक महिला को चौदह आने और एक बच्चे को बारह आने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद ही इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि क्या इतनी कम दरें उन लोगों के लिए पर्याप्त हैं जब कि 1964 में यह दरें चालू की गई थीं, उसके बाद से हमारे प्राइस इन्डेक्स में 25 पर्सेन्ट बढ़ोत्तरी हुई है, सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में और वेतन में बढ़ोतरी की गई है, अनाज के भाव तब से आज तक लगभग दुगने हो चुके हैं। पर अकाल राहत कार्यों में काम करने वाले मजदूरों को आप केवल सात किलो अनाज देते हैं, और बाकी का अनाज इन लोगों को खुले बाजार में से खरीदना पड़ता है, वह दुगने भाव से इनको खरीदना पड़ता है। अभी कुछ दिनों से सुनने में आया है कि अकाल राहत कार्यों पर काम नपाई से दिया जाता है और मजदूरी उन्हीं दरों से, एक आदमी को एक रुपया दो आने, एक महिला को चौदह आने और एक बच्चे को बारह आने, के हिसाब से दी जाती है। जब आप काम नपाई से कराना चाहते हैं उन लोगों से जो पहले ही अशक्त लोग हैं, जो पहले से ही कमजोर हैं, क्षीण हैं, उन लोगों से आप काम तो उतना ही चाहते हैं जितना पी. डब्लू.डी. के सामान्य मजदूर से चाहते हैं और उनके लिए रेट कम। यह उनके साथ में कितना न्याय होगा यह आप खुद समझ सकते हैं। अकाल राहत के कार्यों पर जो धन राशि खर्च होती है, उसके लिए कुछ समय से राज्य सरकार पर बड़े आरोप लगाये जाते रहे हैं बार बार इस तरह के आरोप सुनना अच्छा

(श्रीमती मदन कौर)

नहीं लगता है। मैं समझता हूं कि इन आरोपों का कुछ हल निकाला जा सकता है। मेरा सुझाव है कि अकाल घोषित करने से लेकर अकाल राहत कार्य को स्वीकृति देने का सारा काम एक ऐसी समिति को सौंप दिया जाय, जिस समिति में दोनों पक्ष के विधायक सम्मिलित हों और सम्बन्धित क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी उसमें शामिल किया जाय। अगर ऐसी समिति अकाल राहत कार्यों के सारे काम को देखे तो मैं समझती हूं कि राज्य सरकार पर जो राजनैतिक आधार पर अकाल घोषित करने के आरोप लगाये जाते हैं उनका निवारण किया जा सकता है।

जहां तक पीने के पानी का सवाल है, हमारे बाडमेर जिले में हर साल एक लाख रुपया पानी की सप्लाई पर व्यय किया जाता है। इस बजट में इस मद की राशि 30 लाख से बढ़ा कर 80 लाख की गई है, हमें इसमें कोई एतराज नहीं होता यदि इसके ऊपर आप और ज्यादा रुपये का प्रावधान रखते और पीने के पानी की समस्या को स्थाई ढंग से हल करने का प्रयत्न करते। प्रति वर्ष अकेले बाडमेर जिले में एक लाख रुपया पीने के पानी की मद में खर्च करने के बावजूद उस इलाके में किसी प्रकार का पीने के पानी की सप्लाई का स्थाई निवारण नहीं हो सका है। बाडमेर जिले में पांच में से दो भाग ऐसे हैं जो खारे पानी के क्षेत्र हैं। इस खारे पानी के क्षेत्र में अगर पानी की समस्या का समाधान किया जा सकता है तो केवल नहर से। वहां नहरें लाई जायं अथवा पाइप लाइन से पानी पहुंचाया जाय। आज आप ऐसे मुद्दों पर खर्च कर रहे हैं जहां जिसको उपयोगिता नहीं। आज पानी जैसी प्राइमरी चीज बाडमेर के लोगों को उपलब्ध नहीं है यह हमारी राजस्थान सरकार के लिये गंभीरता से सोचने की चीज है। मेरे जिले में बाडमेर गत तीन चार वर्षों में 31 ट्यूब वैल्स खोदे गये। जिसमें से 13 ट्यूब वैल्स ही सफल हो सके। वे 13 ट्यूब वैल्स भी उन्हीं क्षेत्रों में सफल हुए जहां पर पहले से ही मीठा पानी उपलब्ध है। इससे उनका विशेष फायदा लोगों को नहीं हुआ। इसलिये मेरा सरकार से यही निवेदन है कि बाडमेर जिले के लिये पानी की व्यवस्था अवश्य जल्दी से जल्दी करें। मेरे खयाल से और मेरे दिमाग में इसकी समस्या का एक हल है और वह यह है कि नर्बदा घाटी योजना हमारी सरकार भागीदार बने तो बाडमेर और जालौर में पर्याप्त सिंचाई भी हो सकेगी। और पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है।

सन् 1964 में जहां तक पीने के पानी का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा कि गांव कानोर में जब मुख्य मन्त्री अकाल कार्यों का निरीक्षण करने के लिये आ रहे थे तो वहां पर उन्होंने दो तीन घूंट पानी चखने के लिये पीया। वे कानोर से बाडमेर तक आये जो 30-40 मील का रास्ता है, उस समय बाडमेर पहुंचने पर मुख्य मन्त्री ने यह शिकायत की कि उनके मुंह का जायका अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। मुख्य मन्त्रीजी ने तो सिर्फ उस पानी को चक्खा ही था। आप अन्दाजा लगाइये कि वहां के लोग उस पानी को पीते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूं कि बाडमेर की पानी की समस्या को स्थाई रूप से जल्दी से जल्दी हल किया जाय। हमारे यहां रेगिस्तान में सबसे बडी समस्या है वह पानी और बिजली की है। हमारे राजस्थान का बहुत बडा हिस्सा रेगिस्तानी है। कई जगह

Page No. 74

(श्रीमती मदन कौर)

पर आप चम्बल और भाकरा से बिजली लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप बाडमेर जैसलमेर आदि जिलों में कैसे बिजली की समस्या को हल करेंगे यह सोल्यूशन नजर नहीं आता है। इसके लिये एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि आप वहां पर ओटमिक पावर स्टेशन लगा दें। आपने पहले से ही यह एटोमिक पावर स्टेशन कोटा में रखा है। मैं यह कहूंगी कि हमें कोटा से कोई ईर्षा नहीं आपने वहां पर एटोमिक प्लान्ट लगाया है। लगाईये। लेकिन आप इसके लिये बाडमेर या जैसलमेर दोनों में से कहीं के लिये भी व्यवस्था अवश्य करें।

अब मैं वित्त मन्त्रीजी को मितव्ययता प्रस्तावों में कटौती के बारे में कुछ कहूंगी। वित्त मन्त्रीजी ने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। उसमें भी वित्त मन्त्री की दूरदर्शिता की कमी नजर आती है। एक तरफ तो आप इंजीनियर्स और टैकनिकल स्टाफ को सरप्लस घोषित करते जा रहे हैं और दूसरी ओर आप ऐसी कटौती जो कि संस्था में कमी किसी प्रकार की नहीं कर रहे हैं तो यह आपकी समस्या को कैसे सुलझावेगा। हर साल नये विद्यार्थी इंजीनियर्स, डाक्टर आदि बनकर निकलते हैं आप उनको कैसे एबजोर्ब करेंगे? इस तरह से आप अपने खिलाफ पढ़े लिखे लोगों की बड़ी लम्बी चौड़ी फौज को तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगी कि अगर आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है और खर्चे कम करना है तो आप अपने प्रशासनिक कर्मचारियों को कम करिये। सभी लोग कहते हैं और मैं भी कहती हूं कि प्रशासनिक स्टाफ बहुत ज्यादा है। इस बात पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिये। एक दो जगह मुझे जाने का मौका मिला। क्लर्क लोगों की भीड़ लगी थी। उनसे एक कागज के लिये पूछा गया तो जवाब मिला कि वह नहीं निकल सकता। उससे पूछा गया कि क्यों, तो जवाब मिला कि सम्बन्धित क्लर्क नहीं है। अफसर महोदय और इतने क्लर्क हैं तो क्या कारण है कि दूसरे क्लर्क को एक छोटी सी बात की जानकारी नहीं हो। इसके अलावा मैं यह कहूंगी कि हर एक कागज पर लिखित नोट पर जोर दिया जाता है। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि सभी जगह टेलीफोन लगे हुए हैं और टेलीफोन की व्यवस्था जब हमारे यहां उपलब्ध है तो छोटी मोटी चीजों को तो टेलीफोन पर ही तय कर लेनी चाहिए। लिखित पर क्यों जोर दिया जाता है इस बात से यह मतलब निकालूं कि एक ओफिसर को दूसरे ओफिसर पर विश्वास नहीं होता और एक दूसरे पर आपस में शक किया जाता है। मैं तो यह कहूंगी कि एक राज्य के नौकर हैं वह आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से विश्वास नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। यह समझ में नहीं आता। इसलिये आप अपने प्रशासनिक-स्टाफ खर्चों में कमी करिये। अगर टेलीफोन का सही उपयोग नहीं होता है तो आप उनको हटा दीजिये ताकि उनका खर्चा तो बचे।

दूसरा आपने सरकारी अधिकारियों को जीपें और ड्राइवर दे रखे हैं। जहां तक सामान के ट्रांसपोर्टेशन का प्रश्न है वहां तक तो ड्राइवर का रखना ठीक है लेकिन अफसर को ट्रान्सपोर्ट करने के लिये ड्राइवर की जरूरत है तो मैं समझती हूं कि यह फालतू खर्चा है जिसे हम वहन नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रशासनिक ओफिसरों को गाड़ियें देते हैं तो उनको ड्राइवर देने की जरूरत नहीं है। इससे तो बचत हो सकती है। इससे तो अच्छा यह हो कि

(श्रीमती मदन कौर)

अफसरों को वे अपनी निजी गाडियें रखने को प्रोत्साहित करें। ताकि उसकी मेन्टीनेन्स अच्छी तरह से हो सके। सरकारी गाडियों में ऐसा होता है कि उसकी मेन्टीनेन्स पर हजारों रुपयों का खर्चा होता है। एक ड्राइवर आकर ओफिसर से कह देता है कि फलां मशीन जल गई, कारबेट जल गया। ओफिसर के समझ में नहीं आता कि वह कैसे जल गया और क्यों जल गया। इस तरह से काफी पैसा खर्च होता है। इसलिये इन छोटी बातों पर ध्यान रखना होगा। यह नहीं कि जब मर्जी आये आपने नये टैक्स लगा दिये। और कुछ कर्मचारियों को सरप्लस घोषित कर दिया। यह आपका तरीका लम्बे अर्से तक चल नहीं सकता। इसलिये मैं यही कहूंगी कि आप को हमारी राज्य की आमदनी के नये और बड़े तरीके सोचने होंगे।

राजस्थान में खनिज संपत्ति का भंडार भरा है। इसकी खोज करिये। इससे आपको हर तरह से बहुत प्राप्ति हो सकती है। आम तौर पर देखने में आता है कि कोई भी उद्योग ज्योंही सरकार के हाथ में आता है घाटा देने लग जाता है। आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यापार को ले लीजिये। ज्योंही वह स्टेट के अन्दर में आता है उसमें घाटा रहने लग जाता है। उसका कारण है आपने सरकारी कर्मचारियों को काफी संरक्षण दे रखा है। सर्विस रूल्स में इन्हे बहुत संरक्षण है और कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं। जहां तक पदोन्नति का प्रश्न है, आप उनको देते जाते हैं। उनके रेकर्ड क्या कहते हैं उनको आप देखते नहीं, वह कितना फिजिकल आउटपुट समाज को देता है अपने कार्यकाल में नहीं देखते और सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति करते जाते हैं। आपको इस तरह से इन सारी बातों पर कन्ट्रोल रखना होगा कि जब किसी कर्मचारी की इन्टीग्रेटी पर शक पैदा हो जावे तो उसके लिये सर्विस रूल्स में प्रावधान किया जाना चाहिए कि उसकी पदोन्नति को रोका जाए।

इन्टेग्रिटी पर शक हो, रिश्वतखोरी का शक हो तो उसे नोकरी से निकालने का नियमों में प्रावधान होना चाहिये, रिश्वतखोरी का सबूत नहीं दिया जा सकता, उसके सबूतों को दबाया जा सकता है। पर इमिजियेट अफसर को मालूम होता है कि फलां आफिसर ईमानदार है या रिश्वतखोर है। तो इस तरह का प्रावधान करके समुचित ढंग से प्रबन्ध करना चाहियें ताकि कर्मचारियों को डर रहे और हमारे स्टेट एन्टरप्राइजेज घाटे में न रह कर मुनाफा कमा सकें।

बजट भाषण में डीडवाना में नमक का और उत्पादन बढाने की बात कही गई है। मैं निवेदन करूंगी कि पचपदरा की नमक की खानों में गत 4 साल से हजारों क्विन्टल नमक तैयार पड़ा है, आंधी, पानी से वह खराब होता जा रहा है, उसको उठाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते ? एक तरफ ज्यादा नमक पैदा करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ हमारे यहां तैयार नमक पडा हुआ है उसको उठा नहीं सकते, उसकी सेल नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते। यह क्या स्थिति है ? वस्तु स्थिति यह है कि हमारी योजनाएं एक्स्पेंडीचर ओरिन्टेड हैं, प्रोडक्शन ओरेन्टेड नहीं रही हैं, अन्धाधुन्ध खर्चा करते जाते हैं, कितना कुल खर्चा होगा, उससे कितना नुकसान होगा, कितना फायदा

(श्रीमती मदन कौर)

होगा, उत्पादित चीज का क्या उपयोग होगा इसके गलत आंकड़े तैयार करते हैं।

उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं, सिंचाई की जगह जगह सुविधाएं बनाईं पर जहां नहरें हैं वहां पानी नहीं और जहां पानी है, वहां नहरें नहीं। जहां नहरें भी आ गईं, पानी भी आगया तो वहां जमीन का लेवलिंग नहीं किया। राजस्थान नहर का उदाहरण ले लीजिये राजस्थान नहर में पानी आ गया पर जमीन का लेवलिंग नहीं हुआ है, एक एक साल के लिये ऑक्शन करते हैं, उन जमीनों के ऑक्शन के सम्बन्ध में नियम नहीं बनाये गये हैं, जब एक साल के लिये ऑक्शन करते हैं तो कौन किसान उस जमीन के लेवलिंग में पैसा लगायगा। अगर कोई उस जमीन के लेवलिंग के लिये पैसा लगाये तो उसको वाजिब रिटर्न क्या मिलेगा। तो इसके नियम तो आपको पानी आने से पहले ही बना लेने चाहिए थे। आपको यह मालूम था कि पानी आयेगा, उस पानी से उस क्षेत्र की जमीन की सिंचाई होगी, सिंचाई कर के हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इस सम्बन्ध में नियम पहले ही बना लेने चाहिए थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनिट और लूंगी, आप तकाजा न करें।

श्री उपाध्यक्ष: यह वार्निंग की घंटी है।

श्रीमती मदनकौर: मुझे मालूम हुआ है कि सवाई माधोपुर का सीमेंट का कारखाना एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या उस कारखाने में एशिया के सब कारखानों से ज्यादा उत्पादन होता है? उत्तर मिलेगा नहीं।

सीमेंट का दूसरा कारखाना चित्तौड़ में लगाना चाहते हैं, उसके लिये कितनी बिल्डिंग्स चाहिए, कितना स्टाफ चाहिये, उससे अच्छा तो यह होता कि इसी सवाई माधोपुर के सीमेंट के कारखाने में उत्पादन को और बढाते। इससे उत्पादन भी ज्यादा हो सकता था और पर हैड खर्चा भी कम आता।

एक बात उपाध्यक्ष महोदय, मुझे और निवेदन करनी है। हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने पानी की है। हमारे यहां काफी भूमि है, उपजाऊ भूमि है, अगर हमारे राजस्थान में पानी उपलब्ध हो जाय तो हमारा राजस्थान बड़ा हरा भरा और धनी राज्य बन सकता है। देखने में आया है कि राजस्थान की नदियां-माही, चाही, बनास और बाण गंगा–इनका पानी सरलता से दूसरे राज्यों में दिया जाता है, उस पानी को रोक कर बांध बनाने चाहिएं। मुझे खुशी है कि माही पर तो बांध बनाया जा रहा है, दूसरी नदियों पर भी बांध बनाये जायं। क्योंकि लगातार इनका पानी दूसरे राज्यों में जाता रहा तो इण्डियन ईजमेंट एक्ट के अनुसार उस पानी पर उनका अधिकार हो जायगा, फिर रोक नहीं सकेंगे, इस लिये इस पानी को रोकने का हमें प्रबन्ध करना चाहिए। आज नर्बदा में इतना पानी है कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के लेने के बाद हमारे राजस्थान के बाडमेर और जालोर इन दोनों जिलों की सारी भूमि की सिंचाई इसी पानी से हो सकती है। यह पानी बाडमेर जालोर में लिया जाय तो हजारों मन अनाज पैदा हो सकता है। बाडमेर और जैसलमेर

(श्रीमती मदन कौर)

में भरपूर पानी का प्रबन्ध कर दिया जाय तो वहां एक साल में 20 करोड जन संख्या के लिये पर्याप्त अनाज पैदा किया जा सकता है और यह दोनों जिले पानी की उपलब्धि के बाद में देश की खाद्यान्न की समस्या को हल कर सकते हैं।

अतः मैं बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार को यह जानना होगा कि राजस्थान की जनता आज जागरुक हो चुकी है, उनकी भावनाओं की अवहेलना करने पर हमें गम्भीर परिणाम भुगतने पडेंगे। अंतः मैं आशा करती हूं कि जनता की भावनाओं की अवहेलना नहीं होगी, जो आश्वासन राजस्थान की जनता को दिये हैं, जिन नीतियों की घोषणाएं की हैं, उनको सही और सक्रिय रूप प्रदान करेंगे।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष: श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में हमारे इस राजस्थान में कांग्रेस मंत्रिमण्डल बना है, उन परिस्थितियों में मुझे तो और कोई आशा नहीं थी कि इससे और प्रकार का बजट आ सकता था। जनता द्वारा बहिष्कृत होने पर, थैलीशाहों की थैली के बल पर जिस प्रकार कांग्रेस ने राजस्थान में मंत्रिमण्डल कायम किया है, उस मन्त्री मण्डल के वित्त मन्त्री निश्चित रूप से वही बजट लायेंगे जो किसानों की कमर तोडता है, गरीबों का शोषण करता है और थैलीशाहों की थैलियों को और भरता है। वही इस बजट भाषण द्वारा इस सदन के समक्ष पेश किया है। जिस समय चुनाव का दौर था तो वोट लेने की खातिर किसी गांव में चले जाओ बिजली के लट्ठे जगह जगह पटकवाये जा रहे हैं, लोगों को आश्वासन दे दिया गया था कि बिजली के लट्ठे पटक दिये अब तो तुम्हारे यहां बिजली आ जायगी, पांच पांच मील के एरिया में लट्ठे पटकवा दिये। आज पूछें तो कहेंगे कि बजट में पैसा नहीं है। मेरे क्षेत्र में लोगों को नहर का पूरा आश्वासन दे दिया, खुदाई शुरू करवा दी और कहा गया कि दो महीने बाद नहर आ जायगी, पर चुनावों के बाद नहर का नक्शा न मालूम कहां उड़ गया। भरतपुर शहर के यूनिफिकेशन के लिये वहां के लोगों के सामने बड़ी लम्बी चौड़ी योजना रखी गई कि वहां जापान की तरह के गार्डेन्स लगाये जावेंगे, वहां खाई में नौकाएं चलेंगी, चारों तरफ से सडकों को खोद कर पटक दिया गया आज वहां गड्ढे मिलेंगे, थोड़ा काम होता मिलेगा पर वर्षा में पानी भर जायगा। हमारे एक कांग्रेस मन्त्री थे वे तो अन्तर्ध्यान हो गये, आज वह सारा पैसा आबू को दे दिया गया है खाई में पानी रहेगा या नहीं रहेगा, जापान के ढंग के गार्डन लगाने की सब बातें उड गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस प्रकार के कार्य किये हैं, चुनावों के दौर में सरकार के धन का कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दलगत नीति से राजनैतिक उपयोग किया है। हमारे वहां कांग्रेस के एक नेता को चुनावों में टिकट नहीं मिल सका तो यह देखा गया कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिये राज्य के धन पर हाथ डाल सकते हैं या नहीं और वर पंचायत समिति के प्रधान को भरतपुर शहर के इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट का प्रधान बना दिया गया, कांग्रेस के अन्दर झगडा नहीं हो इसलिये उन्हें भरतपुर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का चेअरमैन बना दिया जाता है।

(श्री नत्थीसिंह)

यही कहानी अलवर जिले में दोहराई गई, कांग्रेस को मजबूत करने के लिये राज्य सरकार के धन का दुरुपयोग किया गया, कांग्रेस के अन्दर के झगडों को दबाने के लिये छेदू-सिंहजी को अलवर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का चैअरमैन बनाया गया। इस तरह जिसमें नैतिकता का अभाव है वे राज्य के खजाने को गलत राजनीति के लिये खर्च कर सकते हैं, उस राज्य के वित्त मन्त्री ने हमको जो आज दिया है उसके सिवाय और कुछ दे नहीं सकते।

यह जो बजट है वह उन किसानों के विरोध में है जिन किसानों के लिये 'जय किसान, जय जवान' का नारा देते हुए देश के उस वर्ग को भावनाओं का शोषण करने की कोशिश की गई है जिसके बल पर यह पार्टी हुकूमत करने का दम भरती है। आज किसान पर सिंचाई कृषि कर बढाते हैं, 30 एकड से ज्यादा जमीन है उस पर सरचार्ज बढ़ाया गया है। बहुत से भाई कहेंगे कि उसमें कौनसी बुराई की है हम तो समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। पर हम जानते हैं कि इस समाजवाद की नकाब कैसी है। अगर आप शहरी संपत्ति पर सीमा लगाते, सीलिंग लगाते और उसके बाद 30 एकड से अधिक जमीन वाले किसान पर कर लगाते तो मुझे कोई एतराज नहीं होता लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी नीयत बलई साफ नहीं है। यह जो बजट आया है वह सिर्फ इस दृष्टिकोण से आया है कि एक वर्ग जो दबा हुआ है, जिसको और दबा सकते हैं, जिसमें संगठन की क्षमता नहीं है, उसके गले पर छुरी चला दो जाय। यह बजट किसान विरोधी और मजदूरी विरोधी बजट है। आज वित्त मंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति ने कभी यह नहीं जाना कि किसान का दुःख क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है। हो सकता है कि वह नौकरी पेशे वालों का प्रतिनिधित्व करते हों मंत्रिमंडल में लेकिन किसान का नहीं। इसलिए इस तरह का बजट आता है। इन योजनाओं से जिनकी आमदनी बढ़ी है उनकी ओर उनकी नजर नहीं जाती। किसान को बिजली नहीं मिले लेकिन बिडलाजी, जिनको आप गाली देते नहीं थकते, उनका जो चितौडगढ में सीमेंट का कारखाना है, उसके लिए बिजली देने का सवाल आता है तो हुक्म जल्दी निकलता है कि सस्ती दर पर बिजली दी जाय लेकिन जब किसान को सिंचाई के लिए बिजली देने की बात आती है तो उसके लिये कोई प्रावधान नहीं।

इस भाषण में नाम देकर गांव गिनाए गए हैं कि इन गांवों में बिजली दी गई है लेकिन मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि जाकर गांवों में देखें, एक गांव में एक कुए में भी बिजली दी गई हो तो कहें। आज हर गांव में कितने किसान हैं जो रोते फिरते हैं। कुओं में बिजली नहीं दी जा रही है। आप कहते हैं कि हमने बड़ी प्रगति की है।

आज सिंचाई पर टैक्स बढ़ाने की बात कही जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार के अंदर निष्ठा होती तो सरकार फैसला करती उस किसान को प्रोत्साहन देने के लिए। अगर आप मानते हैं कि सबसे जरूरी चीज खाद्यान्न का उत्पादन है और उसको बढ़ाना है तो हमें निश्चित रूप से फैसला करना पड़ेगा कि हम किसान को प्रोत्साहन देने के लिए कोई काम करें। आपने कौनसा कदम उठाया आज मुफ्त पानी की व्यवस्था

Page No. 79

(श्री नत्थीसिंह)

करके वहां पर अब नहीं जा सकते । आपके हौसले पस्त होते हैं लेकिन आज जो पानी दे रहे हैं बिना किसी तरह की वृद्धि किए, आप सिंचाई की दरों को बढाना चाहते हैं यह कह कर, मुझे बडा क्रोध आया वित्त मंत्री के ये वाक्य पढकर :

"भूमि संबंधी बदले हुए हालातों को मद्देनजर रखते हुए कृषि आय पर आमदनी के मुताबिक लेवी बढाने का ठोस आधार मौजूद है । यह एक तरफ सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी ठीक है और दूसरी तरफ बड़े किसानों और भूमि के मालिकों को राज्य की योजना के लिए साधन जुटाने में योग देने का महत्वपूर्ण मौका है । कृषि आय पर सीधा कर लगाने से करदाताओं को असुविधायें हो सकती हैं और इसके अतिरिक्त कर वसूली पर भी विशेष खर्चा होगा ।"

इस तरह आपने सरचार्ज को अस्वीकार करने की कोशिश की है कि हम तो सामाजिक न्याय के नाते बडे किसानों पर सिंचाई कर बढाना चाहते हैं, किसान पर लेवी बढाना चाहते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपमें न्याय का कुछ माद्दा है तो किसान से गेहूं खरीदने के लिए 60) का भाव रखा, आज ठीक है आपने 10) प्रति क्विंटल बढा दिया लेकिन उस समय आपका सामाजिक न्याय कहां गया । देशी बीज 40) मन था जब कि आपने 27) मन कीमत रखी ।

नान-टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़े इस संबंध में मेरे दल के नेता ने ठोस सुझाव दिए हैं कि जिनकी आमदनी 2,000) से ऊपर है उनकी आमदनी 500) कम कर दी जाय । विशेष वेतन की तरफ माथुर साहब की नजर नहीं जाती, सचिवालय की ओर नजर नहीं जाती, कलेक्टर्स और बड़े अधिकारियों की ओर उनकी नजर नहीं जाती क्योंकि वह उस वातावरण में जनमे हैं और पले हैं लेकिन उनकी नजर तो उस खेतीहर मजदूर, किसान की तरफ जायगी जिसके घर में आज खाने के लिए अनाज नहीं है और आप ऊपर से कहते हैं कि लेवी दो । आप सो रहे थे जब समय था आपने लेवी का आर्डर पास नहीं किया, आपने चिंता नहीं की, जबरदस्ती आप किसान को मजबूर करना चाहते हैं । उस दिन जब खाद्यान्न पर बहस हो रही थी तो मंत्री महोदय बोल रहे थे कि हमने तो यू. पी. से भी अच्छा प्रोवीजन किया है । मैंने इन तीन दिनों में यू. पी. के लोगों से संपर्क स्थापित किया और यू. पी. जैसा आप कर दें तो किसान को कोई नुकसान नहीं होगा । वहां पर बाजार में गेहूं के भाव में 3) रुपए मन का केवल फर्क है, सीमेंट देते हैं । चीनी में अंतर 15) का और गेहूं का अंतर तीन रुपए का है । यह दृष्टि हमारे वित्त मंत्री की नहीं हो सकती । वह तो कहते हैं कि हमने सामाजिक न्याय पर सिंचाई पर कर लगाया है, सामाजिक न्याय पर पशु-कर बढाया है और लेवी लगाई । इस तरह की बात जिस मंत्रिमंडल में हो उसका कारण एक और है । जो ट्रेजरी बैंचेज में हैं उनमें हिम्मत तो रही नहीं । उनके लिए तो कुर्सी का महत्व बढ गया है जैसे किसान की गर्दन काटी जाय और उनके नाम पर ही मंत्रिमंडल में स्थान ग्रहण किया जाय लेकिन किसान को न्याय दिलाने के लिए उनकी जबान पर ताले हैं ।

पिछली बार जब इस तरह की बातें आई थीं तो उधर बैठने वाले माननीय

(श्री नत्थीसिंह)

सदस्यों में दम था। आज लगता है कि उनके सामने 4-4 सूचियां टांग दी गई हैं, किसान मरे तो मरे लेकिन उस सूचि में से मेरा नाम न कट जाय इसलिए गरीब की तरफदारी के लिए कोई नहीं बोल सकता, निष्ठा का अभाव है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं। एक बार इसी बजट के भाषण में कहा गया कि आप ढोल पीटने जा रहे हैं। वित्त मंत्री महोदय, जो किसी जमाने में सहकारी मंत्री थे, उन्होंने किसान के लिये कुछ नहीं किया। हमने सहकारी समितियों के लिए ऋण का जाल बिछा दिया है लेकिन क्योंकि मैं उस क्षेत्र में काम करता हूं इस आधार पर कहता हूं कि सहकारिता के नाम पर राजस्थान में जो किया जा रहा है वह जलते हुए तवे पर पानी की एक बूंद की तरह है। आप कहते हैं कि किसान को पंपिंग सैट्स लगाने के लिए और नलकूप बनाने के लिए, ट्रेक्टर्स लाने के लिए ऋण देना चाहते हैं लेकिन आपने जो कानून बनाया है उस कानून में इतनी जटिलताएं हैं कि 13 वर्ष की खतौनी वाला किसान भी ऋण प्राप्त नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि इसमें सुधार कर दिये। अगर इसमें तथ्य होता कि जिसके पास-बुक मौजूद हो जिसको दिखा कर किसान बिना किसी कठिनाई के ऋण प्राप्त कर सकता....

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार ने तीन दिन पहले इस प्रकार का आदेश प्रसारित किया है कि 13 साल की खतौनी की जरूरत नहीं है। अगर एक साल से भी नाम होगा तो भी ऋण मिलेगा।

श्री नत्थीसिंह : बड़ी खुशी की बात है कि 20 साल में एक अक्ल की बात तो कह दी। इसके लिए धन्यवाद। आपने भू-बन्धक बैंक कानून बनाया। नियमों में व्यवस्था की है कि किसान जमीन पर ऋण लेना चाहे उससे पहले गांव में ढोल पिटाई जायगी। इस बात की ढोल पिटाई जायगी कि यह किसान कर्ज लेने जा रहा है, अपनी जमीन को बन्धक रख कर, किसी को आपत्ति हो तो बताए। स्वभिमानी आदमी तो पीछे रह जायगा। मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि इस ढोल की पोल को बन्द कर दें।

श्री खेतसिंह : ढोल कहीं नहीं पिटती है। मैं उस बैंक का चेयरमैन हूं।

श्री नत्थीसिंह : मैं सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक का डाइरेक्टर हूं। ढोल पीटने के बाद आपने पब्लिक इन्क्वायरी आफिसर का प्रावधान किया है। उसमें आपने ढोल की व्यवस्था की है। गांव में ढोल पिटेगा तब किसान को कर्जा मिलेगा। कहां ले जाना चाहते हैं आप? यह न्याय दे रहे हो आप? कहां न्याय दे पायेंगे?

दूसरी बात मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आप ने फसली ऋण व्यवस्था का प्रबन्ध किया है। यह कथनी है करनी में कुछ नहीं। आप अव्वल तो आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते और फिर कहते हैं कि इसको किश्तों में बांट दो। पचास रुपये, चालीस रुपये तक दे दो। बैंक में समझदार लोग इन बातों पर एतराज करते हैं तो आप कहते हैं कि नियमों की अवहेलना करते हैं। पिछले दिनों इसी सदन में बताया गया है, उपाध्यक्ष

(श्री नत्थीसिंह)

महोदय, कि सहकारी समितियों के साथ किस प्रकार का सौतेला व्यवहार राजकीय मशीनरी करती है। जब बना दिये ये उपभोक्ता भण्डार तो बहुत दिनों के बाद याद आती है वितरण व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिये, और वह भी जब सदन में ध्यान आकर्षित किया जाता है तब इतना मामूली व्यापारी आपकी मशीनरी के सामने वही रहता है जो उन्हें हर तरह का आनन्द दे सकता है। साल डेढ़ साल तक सहकारी समिति की फाइल गुम हो सकती है, क्रय विक्रय समिति की फाइल गुम हो गई इसलिए फूड कमिश्नर को फैसला करने की हिम्मत नहीं। व्यक्तिगत व्यापारियों पर वे ही आरोप होते हैं तो उनको झटका भी नहीं दे सकते। यहां नाम केवल किसान का लिया जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन उसकी गर्दन काटने का काम किया जाता है। माननीय कृषि मंत्रीजी हिम्मत के साथ मंत्रिमंडल में कहते कि लेवी लेने की बात छोड दें, किसान को तबालत होगी। यह उनकी हिम्मत की बात है कि वे सदन में कह गये कि मैं महंगाई रोक नहीं पाऊंगा। कृषि मंत्रीजी के शब्दों को दोहराऊं कि लेवी ले लें, कुछ भी कर लें लेकिन महंगाई नहीं रोक सकते। आप जानते हैं कि इस लेवी से 15 दिन भी काम चलेगा नहीं। यह भी जानते हैं कि किसान के घर में अनाज नहीं रहा है। यह उनको करना चाहिये था कि इस किसान को सुरक्षा देने के लिए मंत्री महोदय को मजबूर किया जाय कि किसान के लिए फसली बीमा योजना लागू की जाय। इससे किसान को राहत मिलेगी। चाहे ओले पडें, चाहे शोज पडे, चाहे अकाल आये, जितनी जमीन में खाद्यान्न पैदा होगा फसली बीमा योजना के द्वारा उसको राहत मिलेगी। यह काम करने के लिए उधर की कुर्सी इजाजत नहीं देती। इसलिए शब्द जबान से बाहर नहीं आते।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, क्रोप इन्श्योरेंस के सम्बन्ध में भारत सरकार के खाद्य मंत्री ने पार्लियामेन्ट में एलान कर दिया है कि एक कोम्प्रिहेन्सिव बिल ला रहे हैं। इसका सम्बन्ध केवल राजस्थान सरकार से ही नहीं है बल्कि यह सारे भारत का मसला होने से भारत सरकार विचार कर रही है कि किस प्रकार क्रोप इन्श्योरेंस होगा और कितने करोड रुपयों की इसके लिए आवश्यकता होगी और किस प्रकार इन्श्योरेंस किया जा सकेगा। यह सब मुद्दे एक साथ जुडे हुए हैं। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने यह पोलिसी डिसिजन लिया है।

श्री नत्थीसिंह : 20 साल तक कहने के बाद यह आपने घोषणा की। कुछ यह बात कागजों पर तो आयी। आपकी घोषणाओं के महत्व को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं टिकाव आता है और फिर कहीं जाकर उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। यह बात, उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को भुलावे में रखने की है। वित्त मंत्रीजी आ गये हैं। उन्होंने सुन लिया होगा। दोहराऊंगा नहीं। वित्त मंत्री जी को किसान के साथ उसके दुःख-दर्द में कोई सहानुभूति नहीं है। चाहे उसको मार दो। उनको कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन जब बडे कर्मचारियों के ऊपर कोई बात आती है तो वह उनसे छटपटाने लग जाती है। पीछे बैठने वालों की मजबूरियों को मैंने बता दिया है।

(श्री नरसिंह)

आज सहकारिता का कानून है जिसके लिए पंडित नेहरू ने कहा कि सहकारिता स्वचारिता पर आधारित होनी चाहिये। लेकिन इस मंत्रिमंडल के राज में एक काला कानून बना सहकारी संस्थाओं का गला काटने के लिए सारे अधिकार सरकारी अधिकारियों के अन्दर निहित कर दिये। दूसरी बात आप कहते हैं कि सामुदायिक विकास के द्वारा किसान की तरक्की करना चाहते हैं। सारे देश में यह बात चारों तरफ स्पष्ट हो गई है कि सामुदायिक विकास योजना के द्वारा कितनी तरक्की की और साधनों में कितनी बढ़ोतरी की। सारे देश में एक दौर चल रहा है विकास अधिकारियों को समाप्त किया जाय। कहीं कह रहे हैं कि इसमें कटौती की जाय हमारे वित्त मंत्री ने बडे जोर शोर के साथ जब अपनी मितव्ययता की बात कही तो विकास अधिकारियों को समाप्त करने की बात कही। वे कैसे समाप्त होंगे यह हम जानते हैं। वे वहीं पर रहेंगे। कुछ इधर—उधर होंगे और 20 परसेन्ट ग्राम सेवकों में कटौती कर दी जावेगी। कुछ पंचायत समितियों में ऋण की व्यवस्था है। यह सहकारी समितियों के माध्यम से दिया है। ऋण रहा ही नहीं है देने के लिए। शिक्षा में दिनों दिन गिरावट हो रही है उसका कारण नित्य प्रति पंचायत समिति के लोगों को मास्टरों के साथ बेजा व्यवहार है और उनके मामलों में हर प्रकार से दखल है। चारों ओर से इसके लिए आवाज है कि पंचायत समितियों के अन्दर से इनको निकाला जाय। आप जरा हिम्मत करिये। न्याय पंचायतें बनाई गई उनके सेक्रेटरीज को उनके पास तनख्वाह देने के लिए नहीं है। सबसे पंगु इनमें कोई है तो न्याय पंचायतें हैं। उसके बाद ग्राम पंचायतों का भी वही हाल है। ग्राम पंचायतें पूर्णतया परावलम्बी हैं। स्वावलम्बन का कहीं कोई नाम नहीं। जिला परिषद को ऐसा बनाया है जिसके हाथ में कुछ नहीं और सारी शक्ति आपने पंचायत समिति में केन्द्रित कर दी। पहले प्रश्न पूछने का अधिकार था उसको हटाया। अब तीन महीने में मिलेंगे। विकास अधिकारी और प्रधान जी मिल जायें तो पंचायत समिति के द्वारा विकेन्द्रीकरण पूरा हो गया। आप अगर चाहते हैं कि पंचायत के राज के द्वारा गरीब आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो तो हिम्मत के साथ घोषणा करें कि अपने राज्य में चौखम्भा राज होगा। ग्रामों में ग्राम पंचायतें, जिलों में जिला परिषदें और राज्य में राज्य सरकार और केन्द्र में केन्द्रीय सरकार। पंचायत समितियों को पूर्ण अधिकार दे रखे हैं और कलेक्टर को जिलों में बैठा रखा है उनको नमस्ते करना पड़ेगा। जिला परिषद को मजबूत बनाइये, पंचायत समितियों को अविलम्ब भंग कर दीजिये। उनकी कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। इसके लिये हिम्मत चाहिए। आपको कुछ आदमियों को ठिकाने लगाना है। कहीं वे टांग पकड कर घसीटने न लग जावें। उनके पास जीपें हैं। सरकारी अधिकारी हैं। उनकी शान शोकत की बात है। यह सूबेदारी की प्रथा चलती रही तो देश का हित होने वाला नहीं है।

तो इस पंचायत समिति को भंग करके चोखम्बा राज की जो रूप-रेखा बताई है उस पर चलिये। सामुदायिक विकास मन्त्री महोदय देख रहे हैं कि क्या खराबी पाई पंचायती राज में।

(श्री मस्थीसिंह)

अब तो मैं प्रधान नहीं हूं उसका। माननीय राजा साहब हो गये हैं। सामुदायिक विकास योजना में खेतों को सुधारने के लिये सहायता देने की कोई बात नहीं, कुओं के लिये तकावी देने की जगह नहीं, इन कामों के लिये उनके पास पैसा नहीं है। दरख्वास्तें लोगों की नामंजूर हो जाती हैं। पर विकास कार्यालय की चार दीवारी बनवाने पर एक पंचायत समिति ने उमरैण पंचायत समिति ने 72,828) खर्च किया है। एक पंचायत समिति ने विकास खण्ड की चार दीवारी को बनवाने पर खर्चा किया है और एक गढ है जिसके कागजात आपके विकास आयुक्त के दफ्तर में पडे हैं। कुम्हेर की पंचायत समिति है उसमें 93 हजार का खर्च किया गया है किशोरीघाट को सम्मिलित करने के लिये। एक लाख का गबन किया है। पत्थरों को बेच कर खा गये फरजी बिल बनाये। कोशिश यह की जा रही है कि बडे बडे आदमी विकास अधिकारी बन जाने चाहियें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मारो तो ज्यादा से ज्यादा एक ओवरसियर को मार दो। आज तीन तीन वर्षों से वे कागजात रक्खे हैं। इस राज्य के बनने के साथ साथ भरतपुर जिले में, उपाध्यक्ष महोदय, हम सोच रहे थे कि जितनी डकैतियां इस पिछले वर्ष में भरतपुर जिले में हुई उतनी धौलपुर के सब डिविजन को छोड दें तो भरतपुर के पिछले वर्षों में कभी नहीं हुई। पिछली साल के अन्दर अन्दर डकैतियों में कितनी बराभदगियां हुई, मेरा प्रश्न बहुत दिनों से इस बारे में पेंडिंग पडा है।

लेकिन आपका राज बनने के साथ साथ वह सब मामला दबाया जा रहा है। राष्ट्रपति शासन के जमाने में इन डकैतियों का चालान करने का हुक्म दिया गया। पर सुखाडियाजी का राज बनने के साथ ही, सुखाडियाजी की सल्तनत बनने के साथ साथ वह फाइल वापिस मांगी। वह कुम्हेर के प्रधानजी जिनके खिलाफ डकैती के आरोप थे आठ आदमी गिरफ्तार भी हुए 25 आदमी गिरफ्तार होने से रह गये। सुखाडियाजी ने उनकी फाइल मांग ली। आप से पहले समुदायिक विकास मन्त्री थे उनकी घोषणा जो भाषण में उन्होंने की वह मेरे पास है। हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी है।

जयपुर के देहाती जिला कांग्रेस में उसमें कहा हमारे जिले के केन्द्रीय मन्त्री ने कह दिया तो प्रत्युत्तर में भाषण दिया कि केन्द्र के भरतपुर के मिनिस्टर राजबहादुरजी इसलिये नाराज हैं कि उनके लोगों ने कुम्हेर में डकैतियों जैसे काम किये हैं और वे साबित हैं वे मेरे पास हिफाजत के लिये आये हैं इसलिये मेरी खिलाफत करते हैं। राष्ट्रपति शासन में उन पर मामला चलाने की इजाजत दी गई, पर आज वे खुले डोलते हैं। यहां फाइल मंगा कर रख ली है। कोशिश यह हो रही है कि यह बताया जाय कि इस केस में कुछ नहीं है। जहां इस सरकार के ये कारनामे होंगे वहां चोरियां होंगी, डकैतियां होंगी। स्मगलिंग होंगे। जैसा पहले भी मैंने कहा था कि जितने स्मगलिंग होते हैं भरतपुर जिले में वे कांग्रेस के सरपंचों, उप प्रधान, प्रधान आदि लोगों के द्वारा होते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

पांच मिनिट में समाप्त करता हूं। उनके खिलाफ रिपोर्टें हैं, पर सारे केसों को दबाया जाता है क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है। आपने उनको अपने पृष्ठपोषक मान लिया है। पर वे आपके मददगार नहीं हो सकते।

Page No. 84

एक माननीय सदस्य : हिस्सा मिलता है उनको।

श्री मत्थीसिंह : जरूर मिलता है।

एक माननीय सदस्य : राजा साहब कहते हैं उनको मिलता है।

श्री मत्थीसिंह : उनको मिलता होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहिये।

श्री मजलिस खां (बौंता) : क्या हुआ है आपके यहां ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री युवराज कालानी।

(श्री कालानी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : पहले जनता में जाकर कुछ कहो, फिर यहां बोलो।

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आप डिबेट में बाधा न डालें। आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय इनकी तो जबान ही लड़खड़ा रही है। धोखा दिया है जनता को इन्होंने ?

श्री श्रवणलाल : किस मुंह से बोलें।

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

(लगातार शोरगुल)

एक माननीय सदस्य : पहले जनता के बीच में जाकर आवें।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : हमारी पार्टी में सब शरीफ आदमी हैं। यह तो शुरुआत से ही मालूम हो रहा है।

श्री देवीदत्त गाडिया : ये बोलते किस मुंह से हैं ?

ऐसे बोलने में क्या बात है। जो बिका हुआ आदमी है।

(लगातार शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाडिया : पहले ये घोषणा करें कि ये विधान सभा से त्याग-पत्र दें और दुबारा कांग्रेस टिकिट पर चुनाव लड़कर आवें।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : यह बनिया है। क्या बात है ?

(शोरगुल–लगातार शोरगुल)

(अश्रव्य)

सारे राजस्थान को बरबाद करने वाले हैं ये। जनता को धोखा देने वाला व्यक्ति है।

जनता के बीच में जाकर पहले चुनाव लड़ो फिर से।

(शोरगुल)

उपाध्यक्ष महोदय, इनको शर्म नहीं है, बैठने के लिये कहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज। कृपया माननीय सदस्य का भाषण शान्ति से सुनिये।

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिका हुआ है। इस उत्तम स्थान को भ्रष्ट किया जा रहा है।

Page No. 85

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य यहां बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो आखिर उनको सुनना चाहिये। सदन में प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि वह अपने विचार रखे; उनको शान्ति से सुना जाय समझा जाय।

श्री देवीदान गाडिया : ये तो बिके हुए हैं क्या विचार होंगे इनके। जनता को धोखा दिया इनको क्या अधिकार है यहां बोलने का ?

श्री भगवानदास शास्त्री : निकल जाओ यहां से।

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

श्री मदनलाल (हिन्डौन) : जनता को धोखा देकर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री : यहां स्पीच देने से पहले वे यहां से इस्तीफा देकर दुबारा चुनाव लड़ें। नहीं सुनना चाहते इनके भाषण को।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुखराज कालानी प्रारम्भ करें।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री भगवानदास शास्त्री : इस्तीफा देकर फिर आवें।

श्री खेतसिंह : ये नये नये आये हुए सदस्य हैं। यहां के तौर तरीके नहीं जानते।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं होता है जिस तरह से ये कर रहे हैं। अगर इसी तरह से इन्होंने किया तो फिर हम भी कर सकते हैं।

श्री लादूराम हुलानिया (फागी) : आप भी करिये ऊधम। आपको कौन मना करता है।

श्री पुखराज कालानी (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुखराज जी अपना स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्यगण, आपसे निवेदन है कि जब एक माननीय सदस्य बोल रहा हो तो उसमें इस तरह की बाधायें आप न डालें। किसी माननीय सदस्य के क्या विचार थे, किधर से कहां गये उसके लिए जनता में जनमत बनाने का तो किसी आदमी को अधिकार है लेकिन विधान सभा में अगर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और उसमें इस तरह से हस्तक्षेप किया जाये यह उचित नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। क्या कोई भी सदस्य भारत के संविधान के अन्तर्गत जिस पार्टी से चुनाव जीतकर आते हैं अगर वह अपने वोटर्स को धोखा देते हैं और अपने ईमान को बेचते हैं और दूसरी पार्टी को जोइन करते हैं तो पहले उनको रिजाइन करना चाहिए। संविधान में इसका कहीं प्रावधान नहीं है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) :

It should be expunged from the record.

(शोरगुल, एवं व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक व्यवस्था का प्रश्न है····

(शोर शोरगुल और व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यू. पी. में भी श्री चरणसिंह ने (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति एक पार्टी से जीतकर आये और फिर धोखा देकर यहां दूसरी पार्टी में जाये उस व्यक्ति के ऊपर कभी विश्वास नहीं हो सकता···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी एक माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर कीचड उछाली है । उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में यह सरकार किस प्रकार से ओछे तरीकों से बनी और उसके लिए जिस तरह की बात कही है वह नहीं कह सकते इस सदन में और मैं चुनौती देता हूं कि आप देख लें कि गुप्ता जी की सरकार कैसे बनी थी और चरणसिंह जी की सरकार कैसे बनी है। एक तरफ तो ईमानदारी थी और दूसरी तरफ बेईमानी की पराकाष्ठा थी। जो वहां की सरकार के लिए कहा गया वह सदन की प्रोसीडिंग्स में है और उसे सदन की कार्यवाही में से निकाला जाये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज । श्री पुखराज कालानी !

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री विजयसिंह रावत : यह तो पुखराज जो किस प्रकार से जीतकर आये हैं वह देख लें और फिर विजयसिंह रावत से पूछें।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एक पार्टी से जीतकर आने के बाद दूसरी पार्टी या फ्रन्ट में शरीक होने का राजस्थान के अन्दर ही केवल उदाहरण नहीं है । मैं समझता हूं कि देश के अन्दर कई जगह एक पार्टी को छोडकर दूसरी पार्टी में जाकर चीफ मिनिस्टर बन गए और और बन गए और इस पार्टी को छोडकर कांग्रेस में आ गये तब तो ईमानदारी गिर गई और···

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : यू. पी. में जब बन गये तो उन्होंने····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं निवेदन करूंगा ।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर इस तरह से व्यवस्था में गडबडी होगी तो मुझे माननीय सदस्यों को बाध्य होकर सदन से बाहर चले जाने के लिये कहना पडेगा। एक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और उसके बीच में बार बार बाधा उपस्थित कर रहे हैं यह उचित नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि हरियाणा में श्री हरद्वारीलाल ने कांग्रेस को छोडा और

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
दूसरी पार्टी जोइन की तो उन्होंने दुबारा चुनाव लड़ा और जनता का विश्वास प्राप्त किया····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास न तो कोई बात है····

श्री देवीदत्त गाड़िया : पाइन्ट आफ आर्डर सर···

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास न तो कोई पाइन्ट आफ आर्डर है और न कोई बात है कहने के लिये। केवल आप बाधा उपस्थित करना चाहते हैं आप इस मामले में क्षमा करेंगे मुझे कुछ कदम उठाना पड़ेगा।·

श्री देवीदत्त गाड़िया : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले व्यवस्था की डेफीनेशन पढ़कर आइये। आपने कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया है।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप यह कैसे कह सकते हैं कि व्यवस्था की डेफीनेशन पढ़कर आइये···

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था के नाम पर प्रश्न उठायें और बाधा उपस्थित करें यह प्रश्न व्यवस्था का नहीं है। मैं यह 4 दफा देख चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका यह कहना कि आप व्यवस्था के सम्बन्ध में किताब पढ़कर आइये तो हम बता दें कि यह हम पढ़कर आये हैं और दूसरों को भी पढा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मैंने नहीं कहा था। आप भी गलत कहेंगे तो उस पर कहने का आसन को अधिकार है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे ऊपर चार्ज लगाया कि व्यवस्था का प्रश्न है उस सम्बन्ध में पढ़कर आइये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है मैं आपको किसी प्रकार की पूर्व घटना के बारे में बताना चाहता हूं इस प्रकार किसी सदस्य के ऊपर अशिक्षित होने का चार्ज लगाना मैं समझता हूं कि जनतन्त्र के लिये खिलाफ होगा। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस बात को कह रहा था मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री जहां एक ओर तो यह कहें कि कांग्रेस छोडकर विरोधी दल में आकर मुख्य मन्त्री बन गये तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा था कि हरियाणा के अन्दर हरद्वारीलाल ने कांग्रेस छोडकर दुबारा चुनाव लडा और जीतकर आये और फिर उसके बाद में मन्त्री बने।····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है····

श्री देवीदत्त गाड़िया : उन्होंने त्याग-पत्र दिया और हरद्वारीलाल जी जीतकर आये··

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त सदन से बाहर चले जायें।

Page No. 88

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : It shows the extreme frustration of the opposition.

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने श्री देवीदत्तजी गाडिया के बारे में जो आदेश दिये हैं ऐसा लगता है कि देवीदत्तजी ने सुना नहीं है अगर आप पुनः उनको सुनादें तो अच्छा रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : सारजेन्ट को बुला लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सारजेन्ट एट आर्म्स को आज्ञा दी जाती है कि श्री देवीदत्त को सदन से बाहर ले जायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य के विरुद्ध कदम उठाने से पहले इस सदन के माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। आपको इस आसन पर बैठकर इस सदन के बनाये हुए नियम हैं उनके अनुसार व्यवस्था करने का अधिकार है। कोई माननीय सदस्य यदि आसन की व्यवस्था की अवहेलना करे उसके ऊपर इस सदन की कार्य–प्रणाली के अनुसार कार्यवाही करने का आपको अधिकार है परन्तु किसी माननीय सदस्य की योग्यता पर आक्षेप करने का इस आसन को अधिकार नहीं है। On a point of order, Sir

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी माननीय सदस्य के लिये कि वह कितना पढा है या नहीं मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करूंगा इसके बारे में आसन का किसी प्रकार आक्षेप करना उचित नहीं है और न उनको यह अधिकार है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के शब्द उपाध्यक्ष महोदय ने इस्तेमाल किये हैं वे न केवल माननीय गाडियाजी का अपमान किया है बल्कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य का अपमान किया है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने जो गाडिया जी के प्रति शब्द कहे हैं उन शब्दों को जब तक वापिस नहीं लेंगे, तब तक सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल पायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन ने आपको इस पद पर बिठाया है वह इसलिये कि आप दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार करेंगे और माननीय सदस्यों के सम्मान की रक्षा करेंगे। हम आपसे यह भी अपेक्षा करके चलते थे कि आप इस सदन के जो नियम हैं, इसकी जो परम्परा है उनका पालन करते हुए इस सदन की व्यवस्था को कायम रखेंगे। हम आपसे यह भी आकांक्षा रखते हैं कि चाहे इधर बैठने वाले सदस्य हों चाहे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, आप उन सब से ऊपर रहकर के सदन की जो कार्य–प्रणाली बनी हुई है उसके अनुसार आचरण करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां की यह कभी परम्परा नहीं रही कि किसी भी माननीय सदस्य की योग्यता के बारे में, या उसकी पढाई के बारे में इस प्रकार के रिमार्क्स कसे जायें....

श्री बी. एन. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन का फिजूल समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिये जो इस सदन में स्थिति उत्पन्न हुई है जिस पर गाडियाजी पर कोई एक्शन लेने की बात

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कही है वह इसलिये उत्पन्न हुई है कि उनकी योग्यता के बारे में एक ऐसा अवांछनीय रिमार्क कसा गया जो उनकी और आसन की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं था। उसको आप वापिस लें। अगर आप उसको वापिस लेते हैं तो फिर इस सदन में वह स्थिति उत्पन्न नहीं होती और न माननीय सदस्य के लिए आपको यह कार्यवाही करनी पडती और न उनका नाम पुकारना पडता और न उनको बाहर जाने के लिए आज्ञा देनी पडती इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गंभीरता के साथ आप इस पर विचार करें इस सदन के माननीय सदस्यों के आसन से अच्छे संबन्ध बने रहें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के कार्य में बाधा न हो। हमने आसन की व्यवस्थाओं का हमेशा सम्मान किया है, हम भी चाहते हैं कि आसन भी हमारा उतना सम्मान करे जितना कि होना चाहिये। हमारे सम्मान और आदर की रक्षा आपको करनी चाहिए। मैं आशा करके चलता हूं कि आपने जो पहला कदम माननीय सदस्य के प्रति उठाया है उसको वापिस लेंगे अगर आप इस प्रकार नहीं करते हैं तो आपके और माननीय सदस्यों के संबन्ध में काफी अन्तर पड जाता है, उससे आगे काम चलने में दिक्कत पैदा हो जायगी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने व्यक्त किये हुए वाक्यों पर पुनर्विचार करें और अपने शब्दों को वापिस ले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को स्थिति का पूरा पता नहीं है। मैं उसको स्पष्ट कर दूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आसन द्वारा गाडिया जी के प्रति यह शब्द कि वे व्यवस्था की परिभाषा नहीं जानते, यह शब्द प्रयोग नहीं किये गये यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

माननीय विजयसिंहजी जब खडे हुए तो उन्होंने श्री कालोनीजी के प्रति एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और उन्होंने यह कहा था कि एक दल से जो जीतकर सदस्य आते हैं वे यदि दूसरे दल में चले जाते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिये। उस व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने यह व्यवस्था दी थी कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और न यह औचित्य का ही प्रश्न है और न यह पोइन्ट आफ आर्डर ही है। माननीय गाड़िया जी चार पांच दफा खड़े हुए और उन्होंने वाद-विवाद में हस्तक्षेप किया तो मैंने उनका नाम लेकर संबोधित किया कि उनको इस प्रकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। आप व्यवस्था की डेफीनेशन पढकर आ जाइये यह मैंने गाड़िया जी के लिये कभी नहीं कहा। विजयसिंहजी ने इस पोइन्ट पर एतराज उठा दिया तो मैंने उनसे कहा कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं है आप डेफीनेशन पढें। आपने स्थिति को समझा नहीं। तीन चार दफा जब गाड़ियाजी खड़े हुऐ तब मैंने उनका नाम सम्बोधित करके कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पांच छ बार तो खेतसिंहजी भी खड़े हुए थे ....

श्री उपाध्यक्ष : सीधी सी बात थी। एक माननीय सदस्य बोलना चाहते थे, उससे किसी पक्ष को नाराजगी हो सकती है और किसी को खुशी हो सकती है। आपने अपनी नाराजगी प्रगट करदी, पांच मिनिट, दस मिनिट, पन्द्रह मिनिट उस नाराजगी को प्रगट करने के लिये ले लिये। उनको सदन में

(श्री उपाध्यक्ष)

बोलने का अधिकार है वह अधिकार उनको दिया गया। आप विरोध प्रकट कर सकते हैं उसके लिये अनेक अवसर हैं। यहां इस तरह से विरोध प्रकट करना मैं समझता हूं उचित नहीं है कि उनको सदन के अन्दर बोलने ही न दिया जाय।

जहां तक माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी ने सदन की प्रतिष्ठा और सदन की मर्यादा का सवाल उठाया, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे लिये इससे ज्यादा सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि मैं उन परम्पराओं और मर्यादाओं को निभाऊं। जब मेरे में उनको निभाने की हैसियत न होगी तो मैं एक मिनिट भी इस पद पर रहना पसन्द नहीं करूंगा।

(हिअर हिअर)

आपने स्थिति को गलत समझा है, मैंने औचित्य के प्रश्न को उठाने के लिये इन्कार नहीं किया है। उनको यह आदेश दिया गया है कि व सदन के बाहर पधार जायें।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, आपने श्री देवीदत्त गाडिया को इस सदन से बाहर जाने का आदेश दिया है। और उसके लिये आपने सार्जेन्ट-एट–आर्म्स को आदेश दिया है। आपने अभी यह बताया था कि उन्हें व्यवस्था के सम्बन्ध में रूल्स पढने चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा इस प्रकार के आदेश नहीं दिये जाते। रूल्स आफ प्रोसीजर की धारा 292 में लिखा है : "Suspension of Member.—The Speaker may, if he deems it necessary.."

श्री बिशंबरनाथ जोशी : This is no suspension.

श्री भैरोंसिंह : It amounts to suspension विथड्रा कराने का मतलब भी यही है। भूतपूर्व योजना मंत्री बैठे हैं वे भी इस बात की ताईद करेंगे। पार्लियामेंट में किसी मेम्बर को इस प्रकार से जब तक हाउस में उसका नाम लेकर प्रस्ताव नहीं लाया जाता उस समय तक उसको नहीं निकाला जाता। इस रूल में इस प्रकार की व्यवस्था है अगर आप किसी मेम्बर को निकालते हैं, ससपेन्ड करते हैं तो उस मेम्बर के बारे में हाउस को मूव करें। उस पर सदन के मत लेकर आप उसपर कार्यवाही कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : रूल 291 तो रिकालिंग का है।

श्री उपाध्यक्ष : नियम 291 और 292 में फर्क है। आसन को अधिकार है कि कोई भी माननीय सदस्य अगर सदन की कार्यवाही में बाधा डालता है तो बचे हुए समय के लिये आसन उसको बाहर जाने के लिये कह सकता है।

श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल: On a point of order Sir. आपने अभी व्यवस्था दी है कि कोई भी माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डाले तो आसन बाहर जाने के लिये कह सकता है। और इसी संदर्भ में आपने श्री गाडिया को सदन से बाहर जाने की आज्ञा दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही में बाधा डालना ओब्स्ट्रक्शन है। ओब्स्ट्रक्शन वर्ड 291 में कहीं यूज नहीं किया गया है। ओब्स्ट्रक्शन शब्द का प्रयोग 292 में हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री देवीदत्त गाडिया ने बारबार सदन की कार्यवाही में बाधा डाली वह उनका ग्रोस डिस-आर्डरली बिहेवियर नहीं था ऐसी स्थिति में उन पर 291 लागू होता है।

एक माननीय सदस्य : डिस-आर्डरली बिहेवियर और क्या होती है।

(चले जाइये बाहर, बाहर निकाल दीजिये : की आवाज)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य जो इस प्रकार से डिस-आर्डरली बिहेवियर कर रहे हैं उन पर एक्शन लीजिये।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : He was directly talking with another Member which is against the procedure.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले अंग्रेजी बोलना सीखें। माननीय सदस्य 57 से 62 तक हमारे साथ थे तब तो रूल्स उनको याद थे, पांच साल तक छुट्टी पर चले गये इसलिये भूल गये हैं।

मैं सीरियसली निवेदन कर रहा हूं जब आपने उनके व्यवहार को सदन की कार्यवाही में बाधा माना है तो 21 के तहत सस्पेन्शन मोशन आना चाहिये और इसलिये ग्रोसली.......

श्री उपाध्यक्ष : Grossly disorderly behaviour.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस बात को खत्म करिये यहीं पर।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय देवीदत्त नए सदस्य होने के कारण संसदीय बर्ताव के बारे में न जानते हों तो उनको कहें कि वे अपनी बात को वापिस ले लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वापिस लेने की इसमें क्या बात है। ऐसी भी बातें कही गई हैं, उत्तर प्रदेश का नाम लिया गया है तो जो भी गलत परम्परा डाल रही हैं वह कांग्रेस पार्टी डाल रही है, राजनीतिक भ्रष्टाचार जितना देश में किया जा रहा है वह सब कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, कांग्रेस वालों को ही तैयार किया जा रहा है कि तुम छोड़ कर आ जाओ तो मुख्य मन्त्री बना देंगे, मिनिस्टर बना देंगे, पी. एस.सी. का चेयरमैन बना देंगे। सब तरह की कार्यवाही, चाहे विरोधी पक्ष से तोड़ने हों या विरोधी पक्ष में जाना हो, कांग्रेस वालों की तरफ से ही की जा रही है।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपके आदेश के बाद जब श्री गाड़ियाजी शान्तिपूर्वक बैठे हुए हैं इसलिये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज तो इसको वार्निंग ही ट्रीट कर लिया जाय और उसके बाद आगे देख लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अगर यही इच्छा हो तो इसको वार्निंग ट्रीट किया जा सकता है।

Page No. 92

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है। मेरा निवेदन यह है कि उपाध्यक्ष महोदय ने स्वयं ने कहा कि मैंने इनको किताब देखने वाली बात, रूल्स देखने की बात माननीय सदस्य को नहीं कही थी। उनका स्वयं का दृष्टिकोण यह है तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ गलतफहमी हुई है। अब यह बात भी आपकी बात से साफ है कि गलतफहमी हुई है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्वयं ही सारी परिस्थिति पर अध्ययन करें और इस मामले को यहीं पर समाप्त करें। जब सारा मामला गलतफहमी पर आधारित है तो इस प्रश्न को यहीं समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। प्रश्न इतना ही था कि गाड़ियाजी ने उस बात पर एतराज किया कि औचित्य के प्रश्न पर जो व्यवस्था दी थी उस पर उनको बहिर्गमन करने के लिए कहा गया, ऐसी बात नहीं थी। यह व्यवस्था का प्रश्न माननीय विजयसिंहजी ने उठाया उससे पहले गाडियाजी का नाम लेकर मैं सम्बोधित कर चुका था और जब उन्होंने इस व्यवस्था को मानने से इन्कार किया तो मैंने उन को बाहर जाने के लिए कहा। इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया उस पर मैंने व्यवस्था दी कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि चूंकि गाडियाजी नए माननीय सदस्य हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कह दिया ना कि सदन चाहे तो इसे वार्निंग ट्रीट कर सकता है।

श्री दुर्गालाल बादवार : on a point of order, Sir.

श्री भैरोंसिंह : कृपा करने की जरूरत नहीं है।

श्री दुर्गालाल बादवार : On a point of order, Sir.

(व्यवधान—शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दुर्गालाल बादवार : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो सदस्य बैठते हैं वे राजस्थान की दो करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला यह सदन है और यह सदन अपनी निजी मर्यादाएं रखता है और इनको उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार हम विरोधी पक्ष वालों से यह अपेक्षा की जाती है कि हम उन मर्यादाओं का पालन करें उससे कहीं अधिक अपेक्षा राज्य पक्ष वालों से की जानी चाहिए। मेरा इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण पोइन्ट आफ आर्डर का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, और इस पर आपको अपना निर्णय देना है। वह प्रश्न यह है कि आसन ने यह व्यवस्था दे दी तो उस व्यवस्था का अनुपालन करना प्रत्येक माननीय सदस्य का पुनीत कर्तव्य है। हम बात को मान कर आज तक चलते रहे हैं और यह सदन की परम्परा अभी तक रही है कि जब कभी भी आसन ने व्यवस्था दी तो किसी सदस्य ने उसकी अवहेलना करने की चेष्टा नहीं की। हमें जब कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति होती है, कोई हमारी दिक्कत होती है तो हम आसन के सामने उसे रखते हैं कि उन सारी बातों पर आसन दुबारा पुनर्विचार करे और पुनर्विचार करने के लिए सम्माननीय शब्दों के साथ हम अपनी बात आसन के सामने रखते हैं। उसी भावना से इस समय भी हम आपके सामने अपनी

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
बात रख रहे हैं। हमारा आसन ने निवेदन है कि जो मिसअण्डरस्टेंडिग हुई है गाडियाजी के सवाल के बारे में · · ·

श्री हरिदेव जोशी : This is no point of order.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं निवेदन कर रहा था कि जो व्यवस्था आपने दी है उसका अनुपालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यह भी आसन ही सोचे। लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने यह जो कुछ अभी किया है, कोई भी नियम यह नहीं बताता, रूल्स में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि मुख्य मंत्री आसन को डायरेक्ट करने को तैयार हो जायं। एक माननीय सदस्य को जब आसन ने सदन से बाहर निकालने की आज्ञा दे दी तो आप उनको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए।

(व्यवधान–शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं इस पोइन्ट आफ आर्डर को एक दो मिनिट के अन्दर ही समाप्त कर देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आज इस बात को मानता हूं और आपको कहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री आज शायद इतनी शक्ति रखते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अभी बताया और दूसरे पक्ष के बारे में अभी जिस प्रकार की बातें कहीं तो इस प्रकार से आसन को कहना बिल्कुल अनुचित होगा। · · ·

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : यह कोई प्रोइन्ट आफ ऑर्डर नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं पुनः विनम्रता से यह निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो आज्ञा आपने दी है वह मिसअण्डरस्टेंडिंग के आधार पर है, चाहे सदस्यों की तरफ से हो चाहे किसी और की तरफ से हो, हमें सदन की परम्पराओं का, सदन की मर्यादाओं का अनुपालन करना चाहिए और मैं यह निवेदन करता हूं कि इस आज्ञा को वापिस लेने की चेष्टा की जाती है तो मैं आपके अधिकारों को चुनौती नहीं देता, केवल यह कहता हूं कि इन परिस्थितियों का विवेचन करना चाहें तो, या और किसी प्रकार की व्यवस्था करना चाहें तो उसका अधिकार आपको है। हम आसन से अपेक्षा करते हैं कि किसी प्रकार के स्टेटमेंट की बात कही जाय तो भी आसन को उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए बल्कि जो कुछ भी व्यवस्था करनी हो वह अपने विचारों के अनुसार ही करनी चाहिए। अगर व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का प्रश्न आता है तो भी आसन को ही अपने अधिकारों से पुनर्विचार करना चाहिए किसी और के कहने से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अपना निर्णय तो दे चुका हूं पुनर्विचार के पश्चात् कि श्री गाड़ियाजी सदन के बाकी समय में यहां ठहर सकते हैं। उनको भी गलतफहमी थी, और भी बहुत से माननीय सदस्यों को गलतफहमी थी कि उनको सम्बोधित करके यह बात कही गई। इस गलतफहमी के कारण ही इस प्रकार की व्यवस्था बन गई। अब इसे यहीं समाप्त किया जाय और श्री पुखराज कालानी अपना भाषण करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा कार्यवाही

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के नियम 281 के अन्तर्गत पांच दिन से चलने वाली इस आय-व्यय की बहस को, इस वाद-विवाद को बन्द करने के सम्बन्ध में क्लोजर मोशन मूव करता हूं। क्योंकि 4 बज कर 10 मिनिट होने को आए हैं, कई मंत्री बोलने वाले हैं और वित्त मंत्री महोदय भी इस सम्बन्ध में सदन में पांच दिन की बहस के अन्दर जो मुद्दे उठाए हैं उनके सम्बन्ध में अपने विचार रखेंगे जिनको सदन सुनना चाहेगा, और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मोशन मूव करता हूं। मेरा निवेदन है कि अब केवल वित्त मंत्रीजी का भाषण हो जाय, और कोई मंत्री बोलना चाहें तो बोल लें। इसलिए मैं क्लोजर मोशन मूव करता हूं कि इस डिबेट को समाप्त किया जाय।

श्री पी. के. चौधरी : क्लोजर मोशन के बाद किसी को बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेन्ट रिप्लाई हो सकता है।

(व्यवधान–शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जयकृष्ण (थानागाजी) : हम सहमत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि उनका, वित्त मंत्रीजी का उत्तर है वह भी चर्चा का या वादविवाद का हिस्सा माना जाता है। बजट पर सामान्य वादविवाद हो तो क्लोजर के मायने होंगे कि उनका उत्तर भी नहीं मिल सकेगा। इसलिए श्री पुखराज कालानी पहले पांच मिनिट बोलेंगे उसके बाद वित्त मंत्रीजी का उत्तर होगा।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : एक व्यवस्था का सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपने जैसा कि आसन की ओर से सदन को यह सूचना मिली है कि मैंने, विजयसिंह रावत को यह संकेत किया कि जो पहला प्रश्न रखा था वह व्यवस्था का सवाल नहीं है और आप व्यवस्था की तारीफ नहीं जानते हैं तो इसके अन्दर मेरा एतराज यह है कि यह मेरा अपमान था। इस पर आपकी ओर से यह व्यवस्था हो, आसन की ओर से यह व्यवस्था हो कि या तो इन्हें वापिस ले लिया जाय या इस पर पुनः विचार किया जाय···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कोई व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं इसका निर्णय देने का आसन को अधिकार है। जो कुछ कहा गया वह ठीक था और कानून के अनुसार था।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय······

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। व्यवस्था दी गई है।

श्री विजयसिंह : Point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात ऐसी नहीं कही गई थी। साधारणतया यह कहा गया जब आपने 3 पाइन्ट आफ आर्डर उठाये उसके ऊपर यह कहा गया कि आप इसकी डैफिनेशन पढ़ें। यह पोइन्ट आफ आर्डर नहीं है। यह बात कही गई थी। उस वक्त आपने इस चीज को माइन्ड नहीं किया हालांकि आप अच्छी तरह जानते थे। यह बात कही गई थी। लेकिन वह बात चली गई थी। उस वक्त आपने एतराज नहीं उठाया था और अब आपको एतराज है और आसन को अधिकार है पाइन्ट आफ

(श्री उपाध्यक्ष)
आर्डर है या नहीं और क्या डेफिनेशन है इसको कहने का।

श्री भैरोंसिंह : यह सदन का समय जा रहा है। सदन की कार्यवाही 5 बजे तक होगी तो शायद मंत्री महोदय ऐसा सोच रहे हैं कि जितना समय इससे निकल जाय उतना ही अच्छा है।

श्री हरिदेव जोशी : अपोजिशन की ओर से ऐसा किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : इस तरह की बातें करते हैं कि सदन का ज्यादा समय इन सदस्यों को बुलाकर समय निकालना चाहते हैं ताकि अपोजिशन ने जो चार्जेज लगाये हैं उनका जवाब न दिया जाय।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : यह नहीं है।

श्री जयकिशन : आप घंटा डेढ घंटा बोलते हैं तो यह सवाल नहीं रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त नहीं होगा तो समय आगे बढ जायगा।

श्री लादूराम सुलानिया : उन लोगों को बोलने के लिए समय दे दिया गया है और हम लोग बैठे हैं जो आज तक नहीं बोले है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुखराज 5 मिनिट बोलेंगे उसके बाद में वित्त मंत्री बोलेंगे।

(विपक्ष की ओर से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। "आप सदन की परम्पराओं की तो बात करते हैं और उसके बाद में सदस्य डिबेट करते हैं तो बाधाएं उपस्थित करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह तो इनकी परम्परा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज तक आसन की ओर से ऐसी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं आया। किसी पुस्तक में नहीं लिखा है कि किसी को सदन में बुलवाकर छोडें ऐसा तय कर लिया है·····

(कांग्रेस की ओर सेट बल-ध्वनि एवं व्यवधान)

श्री शिवचरणसिंह (महुआ) : क्या सदस्य को बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके कहने की जरूरत नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज। अगर किसी माननीय सदस्य को आसन ने पुकार लिया उसके बाद में बाधाए उपस्थित करके उसको वंचित कर दिया जाय उस अधिकार से यह कौन सी परम्परा में लिखा हुआ है ?

(कांग्रेस पक्ष से हियर–हियर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी परम्परा में है कि उपाध्यक्ष की तरफ से प्रतिष्ठा का सवाल बनाया जाय, आसन की तरफ से प्रतिष्ठा का सवाल बनाने की परम्परा नहीं है। लेकिन ऐसी गलत परम्परा नहीं पड जाय इसलिए सदन के अधिकारों की रक्षा करना विरोधी दल का फर्ज है और उसी परम्परा को डाला जा रहा है।

श्री पुखराज कालानी : उपाध्यक्ष महोदय, ये विरोधी पक्ष वाले डरते है कि कहीं

(श्री पुखराज कालानी) :
मैं इनकी पोल न खोल दूं। इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं . . .

(विपक्ष की ओर से टेबल-ध्वनि द्वारा व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय . . . .

(विपक्ष की ओर से टेबल-ध्वनि के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री पुखराज कालानी : जो समय मिला है . .

(विपक्ष की ओर से टेबल-ध्वनि के कारण अश्रव्य)

मैं अपने विचार सदन के सामने रख रहा हूं। 611 करोड़ . . .

(विपक्ष की ओर से निरन्तर टेबल-ध्वनि के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री पुखराज कालानी : उपाध्यक्ष महोदय, जो किसानों पर टैक्स लगाया है, उसके बारे में तो मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे उसको वापिस लें . . .

(विपक्ष की ओर से निरन्तर टेबल-ध्वनि के कारण अश्रव्य)

जो उन्होंने सीमेंट पर टैक्स बढाया है . .

(विपक्ष की ओर से निरन्तर टेबल-ध्वनि)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब उस तरफ से माननीय सदस्य बोलते हैं तो हम उसमें बाधाएं उपस्थित नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि पाइन्ट आफ आर्डर आ जाना और बात करना तो वाजिब बात है लेकिन किसी माननीय सदस्य को नहीं बोलने की परम्परा डालना बहुत गलत बात होगी। यह परम्परा इस सदन में रही तो कोई बात सदन के इधर या उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के लिए आयन्दा बोलने वाली बात नहीं रहेगी। इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचकर चलना चाहिए।

श्री रामचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय . .

(कांग्रेस पक्ष की ओर से टेबल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय . . .
(कांग्रेस पक्ष से निरन्तर टेबल-ध्वनि) और

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आर्डर।।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों तरफ से बराबर चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बात यह है कि मामला काफी आगे बढ गया है और अगर इस तरह की परम्परा बनेगी तो अच्छी नहीं रहेगी। इससे सदन की प्रतिष्ठा कम होती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चीफ मिनिस्टर ने इन्स्टीगेशन दिया है। उनके इन्स्टीगेशन से यह हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा कि नहीं बोलने देंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : बैठ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नियम के अनुसार कार्यवाही नहीं होती है तो . . .

(श्री उपाध्यक्ष)
विरोधी पक्ष का ही ज्यादा हर्जा होता है, क्योंकि उनको सदन में बैठकर ...

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आपको अधिकार है कि सत्तारूढ़ दल से कही गई बात का जवाब लें। अगर इस तरीके को अपनाया गया और दूसरा पक्ष भी अपनाता है तो इसमें माननीय विरोधी दल के सदस्यों को ही सोचना चाहिए कि उनका हर्जा ज्यादा होता है।

श्री लादूराम सुलानिया : कोई चिन्ता की बात नहीं है। घाटे में तो हैं ही और घाटे में घाटा सही।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुखराज कालानी।

(विपक्ष की ओर से पुनः टेबल-ध्वनि)

श्री बिशम्बरनाथ जोशी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जान बूझकर सदन की कार्यवाही में रुकावट डाल रहे हैं इसलिए They should be asked to get out of the House.

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब मैं आखिर में निवेदन करना चाहता हूं कि वे सदस्य मेरे ध्यान में हैं जो सदन की कार्यवाही के अन्दर बाधाएं उपस्थित कर रहे हैं और उनका जो बर्ताव है वह किसी भी तरह से आर्डरली नहीं कहा जा सकता है और जो यहां किया जाना चाहिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है, उन माननीय सदस्यों के नाम लेने होंगे और उसके बाद में अगर आगे कदम उठाना पड़ा तो उसके लिए मुझे बाध्य होना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य (विपक्ष की ओर से) : उपाध्यक्ष महोदय, वे भी तालियां बजा रहे हैं और मुख्य मंत्री महोदय के कहने से बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों पक्ष के लिए किया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी निगाहें तो इधर ही हैं। उधर नहीं देखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने शुरुआत की है इसलिए इधर हैं।

श्री पुखराज कालानी : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट को कल्याणकारी बजट कहा है। जहां तक खर्चे का सवाल है माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने कोशिश की है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार की परिस्थिति इस भवन में उत्पन्न हो रही है उसको सुनने से बल-प्रयोग को करने की धमकियों से निदान नहीं होगा और न ही उसी तरह से निदान करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन मुझे खेद है इस सदन में सदस्यों को बोलने का मूल अधिकार है...

एक माननीय सदस्या (कांग्रेस) : लेकिन आप बोलने नहीं देना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और उस अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस ओर भी बैठने वाले माननीय

Page No. 98

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सदस्यों ने कभी किसी भी माननीय सदस्य के इस मूल अधिकार का हनन करने की कोई परम्परा नहीं रखी है . .

श्री खेतसिंह : आज क्या हो रहा है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक जो भी माननीय सदस्य, श्री कालानी के बोलने पर जो भी प्रतिक्रिया माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है उसके पीछे मैं यह समझता हूं कि कोई विचार ऐसा जरूर रहा है। यह नहीं है कि यह प्रत्येक सदस्य के बारे में हो। यह बात नहीं है। लेकिन जो राजनैतिक कारणों से तरीके रहे, जो इस सदन से बाहर हुए हैं उन × × × × प्रति एक प्रोटेस्ट जाहिर करने का . . .

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य : हिअर-हिअर !

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तरीका रहा है . . . .

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों का सख्त विरोध करता हूं × × × इस तरह के शब्द काम में लिए जायं यह एक अपमान की बात है किसी भी माननीय सदस्य के लिए जो सदन का मेम्बर है। इसलिए इन शब्दों को एक्सपंज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: यह शब्द सदन की कार्यवाही में से हटाये जाते हैं।

श्री भरोंसिह : कैसे हटाये जाते हैं . .

(शोर-गुल)

श्री गोकुल चन्द : तुम तो बड़े पवित्र हो, दूसरों को × बताते हो।

(शोर-गुल)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, करोली के महाराज कुमार उधर बैठे तो वह तरीका आपके लिए अच्छा है। और कोई माननीय सदस्य इधर बैठें तो आपके लिए यह × × ×

(शोर-गुल)

श्री गोकुलचन्द : हम नहीं सुनेंगे। क्या बात हुई ? यह कोई बच्चों का खेल है।

(4.11 म. प.)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री गोकुलचन्द : यह क्या कोई तमीज है ! क्या बच्चों का खेल है। यह विधान सभा है। पहले तमीज सीखो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य . .

श्री गोकुलचन्द : नहीं सुनना चाहते !

(शोर-गुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं कैसे सुनना चाहते। सुनना पड़ेगा।

× × × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का इधर का व्यवहार है . . .

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !

(अनवरत शोर-गुल)

आर्डर ! आर्डर प्लीज !! आर्डर प्लीज !!!

श्री रघुनाथ विश्नोई : (श्री रामानन्द अग्रवाल के खड़े रहने पर) **Chair is on its legs.**

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री रघुनाथ विश्नोई : (श्री रामानन्द अग्रवाल से) **Sit down.**

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !!

मैं चाहता तो यह हूं कि सदन की कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाय, लेकिन सदन में थोड़ी बहुत जो उद्विग्नता पैदा हुई है उस उद्विग्नता का निराकरण करने के पूर्व सदन की कार्यवाही समाप्त करना उचित नहीं है। यह भी मुझे विश्वास है, इस सदन ने बराबर इस आसन को सहयोग दिया है । इधर बैठने वाले और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से मैं यह विश्वास रखता हूं कि जो कुछ भी कार्यवाही सदन में अब तक होती रही है, उससे इस सदन की प्रतिष्ठा रही है और अच्छी परम्परायें हमने आज तक इस सदन में निभाई हैं, जिनसे राष्ट्रीय स्तर पर इस सदन का सम्मान रहा है । ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों में यदि कोई उद्विग्नता हुई है किसी कारण से, तो मैं चाहता हूं, माननीय सदस्य ! जो परम्परायें हमारी रही हैं, जो प्रतिष्ठा और निष्ठा इस सदन की रही है, उसको निभाया जाय। मैं आग्रहपूर्वक माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यह स्थिति इस सदन में हो रही है, यह रोष के कारण स्थिति है लेकिन उस रोष को बड़े शान्त मन से माननीय सदस्य कृपया इस वक्त समाप्त कर दें । अब चूंकि समय बहुत कम रहा है . . . .

श्री भैरोंसिंह : मिनिस्टर को बुलवा दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेन्ट का रिप्लाई दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष : इसलिए इस तरह की परम्परा, इस तरह की स्थिति जारी रही तो अच्छा नहीं होगा भविष्य के लिए। इसलिए माननीय सदस्यों को जितना प्रोटेस्ट करना था, जितनी उद्विग्नता दिखानी थी, रोष दिखाना था, वह हर माध्यम से आप दिखा चुके हैं। यह पर्याप्त है । इतना ही पर्याप्त होगा। ऐसी स्थिति में अगर इधर के माननीय सदस्य, जो बैठे हैं, में से कोई अगर फ्लोर को क्रॉस करके आयेंगे तो उस स्थिति में यहीं बाद में जाकर यह परम्परा बाधक नहीं हो, इसलिए मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस आक्रोश को यहीं समाप्त किया जाय । और अगर एक मिनट, दो मिनट कोई माननीय सदस्य जो इधर से बोल रहे हैं उनको

(श्री अध्यक्ष)

दे दिये जायं तो आपके आक्रोश और आपके रिजेन्टमेन्ट के प्रकाशित होने के बाद कोई ऐसी बात नहीं रहती। मैं विश्वास रखता हूं माननीय सदस्यों से कि जो कुछ भी मैंने कहा, और तवारीख में जो स्थिति रही है इस सदन की– इन दोनों की पृष्ठभूमि में उसका ध्यान से मनन करेंगे। इसलिए मैं इस संदर्भ से, माननीय सदस्यों की अनुमति से, आपकी ओर की अनुमति से, जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनको एक मिनट का समय सिर्फ दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : एक मिनट का मतलब तो प्रतिष्ठा का प्रश्न हुआ।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट आपके कहने से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो प्रतिष्ठा का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको आप इस तरह से न मानिये। न इसमें मेरी प्रतिष्ठा का सवाल मानिये और न आपकी प्रतिष्ठा का सवाल मानिये। आपकी और मेरी दोनों को प्रतिष्ठा का सवाल है उसको आप छोड़ दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनने के बाद...

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : मेरा विश्वास है कि इस आसन (आर्डर! आर्डर) से जो व्यवस्था दी जा चुकी है, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है; और माननीय वित्त मंत्रीजी भाषण देने वाले हैं, आप भी कई सवालात उनसे पूछना चाहते होंगे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां, जी हां।

श्री अध्यक्ष : इसलिए उनको बोलने दीजिये। मैं कम से कम समय में घण्टी बजाऊंगा तब आप समाप्त करेंगे।

(श्री रामानन्द के बोलने के लिए खड़े होने पर) माननीय रामानन्द कृपया बाधा न डालें। मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं। आप सीनियर मेम्बर हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन में जो वातावरण पैदा हुआ, वह मुझे कोई पसन्द नहीं। परन्तु इस सदन के माननीय नेता से हम यह अपेक्षा करते थे कि वह प्रवोकेशन करने के बजाय अपने दल के लोगों को...

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर। आर्डर!!

श्री रामानन्द अग्रवाल : और माननीय सदस्यों के अधिकार की बात को कह कर, इस सदन की परम्पराओं की बात कह कर, इस सदन से रिक्वेस्ट करते और इस सदन में अच्छा वातावरण पैदा करने का प्रयत्न करते। इसके बजाय माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रकार से विरोधी दल को धमकी दी कि इस तरीके से करोगे तो हम भी इस तरीके से करेंगे। उनके बोलते ही ट्रेजरी बैंचेज से शोरगुल हुआ....

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह अनुचित है इस सदन के नेता के लिए बिल्कुल अनुचित बात है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि प्रतिष्ठा का सवाल . . .

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसको प्रतिष्ठा का सवाल न बनाया जाय।

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस बात को आज तक ही सीमित रखें और आयन्दा कभी माननीय सदस्य बोलें, माननीय कालानी, कल बोलें, परसों बोलें तो उस समय बाधा न पड़े। आज तक ही यह बात रहे ताकि जो बोलने का अधिकार मेम्बर का है वह सुरक्षित रहे।

श्री खेतसिंह : आज क्यों ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !! माननीय खेतसिंह।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि धमकी देने की दृष्टि से मैंने इस सदन में नहीं कहा बल्कि इस सदन को अच्छी तरह से मालूम है कि जब आसन की तरफ से यह व्यवस्था हुई कि श्री गाड़िया इस सदन को छोड़ कर बाहर जायं, उस समय मैंने खड़े होकर कहा कि क्योंकि यह उनका पहला मौका है इसलिए बहिर्गमन के आदेश पर आसन पुनर्विचार करके आसन इस बात को समाप्त कर दे। यह, वातावरण को ठीक करने के लिए मैंने सुझाव दिया। उसके बाद माननीय कालानी जी बोलने के लिए खड़े हुए तब तालियां बजा कर और मेज बजा कर उनको बोलने नहीं दिया गया। तब मैंने कहा कि यह परम्परा चालू रही तो दोनों तरफ से चालू रहने की स्थिति हो सकती है और वैसी स्थिति में किसी के लिए भी सदन में बोलना मुश्किल होगा, जो उपयुक्त नहीं होगा। कोई धमकी की बात इसमें नहीं आती।

श्री विजयसिंह रावत : इसके अलावा और क्या धमकी हो सकती है ? यह क्या धमकी नहीं है ?

श्री पुखराज कालानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज ! आर्डर ! आर्डर !

मिस्टर दत्त ! (श्री पुखराज से) जल्दी खत्म करिये आप !

(श्री पुखराज कालानी आगे भी शोर-गुल में बोलते रहे। शोरगुल के कारण अश्रव्य)।

श्री लादूराम मुलानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज ! इस सदन की प्रतिष्ठा के नाम पर ! प्लीज ! प्लीज ! माननीय सदस्य ! शुरू करिये आप।

श्री पुखराज कालानी: मेरा वित्त मन्त्री महोदय को सुझाव है . . .

श्री श्रवणलाल : मेम्बर खड़ी हुई है वह कैसे बोल सकते हैं।

श्री विजयसिंह रावत : आसन खड़ा रहे और वह बोलते रहें, यह इस सदन की परम्परा के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष: आसन नहीं खड़ा है। आसन खड़ा होने के मानिन्द है।

श्री विजयसिंह रावत: यह नहीं हो सकता।

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। वैसे मैं सदन की सारी कार्यवाही को शांति से देख रहा था, न मेरी इसमें रुचि है और न दिलचस्पी। लेकिन उनको एक मिनट भी बोलने देने का मतलब होगा कि सदन का वातावरण और खराब हो। यह खड़े हो गये, यही अच्छा है। आपकी बात भी हो गई और इनकी बात भी हो गई।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं।

(शोरगुल)

मैं समाप्त कर रहा हूं ! मैं समाप्त कर कर रहा हूं। Does not fit as a soldier.

आर्डर ! आर्डर !

श्री पुखराज कालानी : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत वित्त मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि....

श्री लादूराम सुलानिया : On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष: आर्डर ! आर्डर!

श्री लादूराम सुलानिया : On a point of information.

श्री अध्यक्ष: इन्फोर्मेशन अभी दे देता हूं।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह ऐसी बात है कि शायद उससे सदन का वातावरण शांत हो जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: (श्री पुखराज से) शुरू रखिये।

श्री लादूराम सुलानिया: मैं एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा, इसलिए मुझे इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं....

श्री अध्यक्ष: शांतम् पापम्! शांतम् पापम्!

श्री लादूराम सुलानिया: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

(शोरगुल)

श्री नत्थीसिंह: अध्यक्ष महोदय, अब तो चार मिनट हो गये हैं।

श्री लादूराम सुलानिया: अध्यक्ष महोदय, मैं वातावरण को शांत करने के लिये कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर !

श्री लादूराम सुलानिया: अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट में अपनी बात रख देता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त नहीं कर पाये हैं। मैं विवश हूं आपके भाषण को रोकने में और मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण दें।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय वित्त मन्त्री !

श्री प्रद्युम्नसिंह : [XXXX]

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर ! एक्स्पंज एस्पपंज ।

(चीयर्स)

एक माननीय सदस्य : रूलिंग ।

श्री अध्यक्ष : मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण दें ।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री): माननीय अध्यक्ष, मैंने सदन के सामने 1967-68 का बजट जो पेश किया था उस पर सदन के माननीय 33 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । और इस पर 13 घन्टे तक इस सदन में बहस होती रही है ।

सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखे हैं उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा । अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और जो जो उन्होंने सुझाव दिये हैं उससे मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं ।

राजस्थान सरकार के इस लेखे-जोखे को जो 1967–68 में हम अपने इस राज्य में खर्च करने वाले हैं और इसके लिये साधन उपलब्ध करने वाले हैं उसमें बहुत से सुझाव दिये गये हैं और अलग-अलग माननीय सदस्यों ने इस बजट को अलग-अलग संज्ञाएं दी हैं । किसी ने इस बजट को समाजवादी बजट कहा है तो किसी ने इसको शहर वालों के पक्ष में बताया, और किसी ने गैर-समाजवादी कहा । अलग-अलग दृष्टिकोण अलग-अलग पार्टीज हैं उनके हैं और उनके नुमायन्दों ने अपने-अपने नुक्ते निगाहों से देखा है । हो सकता है कि विरोधी दल के नेता और उनकी तरफ से बोलने वाले माननीय सदस्यों द्वारा इस बजट के अन्दर खास तौर से योजना की ओर जो कदम उठाया गया है उसके लिये शायद वे इत्तहाद नहीं कर सके हों । हो सकता है कि हमारे यहां पर समाजवादी और साम्यवादी पार्टियां हैं उन्होंने इस बजट में अपनी नुक्ते निगाहों से देखना चाहा हो और शायद उनको मिला हो और वे देख न पाये हों । हो सकता है कि इधर से और उधर से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उससे मुझे बल मिला है और जब मैं आपको जवाब दूंगा और जब मैं यहां जवाब देने के लिये खड़ा हुआ हूं तो मैंने माननीय सदस्यों की सभी बातों पर पूरी तरह गौर किया है ।

सन् 1967-68 का बजट बनाने के लिये राज्य सरकार और उसके वित्त मन्त्री के सामने बहुत समस्याएं थीं । और आज की स्थिति में राज्य सरकार का बजट इस सिद्धांत पर बनाने की कोशिश की जाती है कि करों का भार राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए ज्यादा नहीं होना चाहिए, बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए, अकाल की वजह से और पैदावार में कमी होने की वजह से, और कई कारणों को देखते हुए और हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना और हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में जो कुछ भी हालत देश में गुजर रही है उन सब को मद्देनजर रखते हुए, यह उचित समझा गया कि घाटे का बजट नहीं बनाना चाहिए । इसलिये

[XXX] अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

(श्री मथुरादास माथुर)
मेरे सामने एक परिस्थिति थी और उसके साथ-साथ कर भी इस तरह नहीं लगाये जावें कि जिसका आम लोगों पर असर पड़े। यह दूसरी परिस्थिति मेरे सामने थी। साथ में तीसरी परिस्थिति यह थी कि विकास के कार्यों को जहां तक हो सके नहीं रोका जावे, क्योंकि उनको एकदम रोकना समाज के लिये हानिकारक होता। इसलिये उनको रखना जरूरी है और जो विकास कार्य कर रहे हैं उनको तीव्र चलाने की जरूरत थी। यदि मैं तीव्रता उनमें नहीं ला सकता तो योजना चले उनको पूरा करने की ओर कदम उठाना था। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह कोशिश की है। हो सकता है इससे अच्छा बजट हो सकता है। हो सकता है कि इधर से और उधर बैठने वालों को आवश्यकता हो, हो सकता है कि इसमें कुछ और रख सकते थे। अगर मेरे सामने योजनाओं को पूरी तरह से काट कर जिस प्रकार बजट पहले बनाया जाता था उस तरह बनाया जाता तो मैं बिना कर लगाये ही ऐसा कर सकता था। मगर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह बजट पेश किया है।

बजट में इधर और उधर बैठने वालों ने कहा है कि करों का भार बहुत है और इस बात को बहुत से माननीय सदस्यों ने दोहराया है अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 66–67 की स्टेट इन्कम अभी तैयार नहीं हुई है मगर जो भी 65–66 के तैयार हुए हैं उसमें पर-केपिटा 381 होती है वह सन् 66–67 में 370 और 375 के बीच के आंकड़े आवेंगे। अगर आप इन आंकड़ों को मान लें और फिर 66–67 में राजस्थान में पर-केपिटा स्टेट रेवेन्यू है उस पर गौर करें तो राजस्थान में करों का भार ज्यादा नहीं है। आप देखेंगे कि इसके मुकाबले में दूसरी रियासतों में करों का भार राजस्थान से ज्यादा है। अगर हमारे यहां की पर-केपिटा इन्कम जैसा मैंने कहा, कि आंकड़े पूरे नहीं हुए हैं फिर भी 370 और 375 के बीच में होगी। तो हमारे यहां राजस्थान में 5 परसेन्ट स्टेट टैक्स रेवेन्यू है। इस हिसाब से 19 या 20 रुपये समझ लीजिये। 370/-रु. में से 19 या 20 रुपये टैक्स के लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप दूसरी स्टेट से इसका मुकाबला करें तो आपको मालूम होगा....

श्री भैरोंसिंह : आप करेन्ट प्राइसेज से मुकाबला करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : दूसरी स्टेटों के बेसिक ईयर अलग-अलग हैं इसलिये करेन्ट प्राइसेज से मुकाबला करना होगा। इसलिये मैंने यह कहा है। इसलिये अगर मुकाबला किया जावे तो 16 प्रान्तों से हमारा राजस्थान है उसमें से 9 वें नम्बर पर आता है। कॉन्स्टेन्ट प्राइस का बेसिक ईयर अलग-अलग होते हैं इसलिये करेन्ट प्राइसेज पर ही कम्पेअर हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिये यह रखा है और यह कहा है कि टैक्स का भार बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा राजस्थान का नम्बर 9 पर आता है, महाराष्ट्र में केवल 38/-रु. है बंगाल में 27/-रु. है।

श्री भैरोंसिंह : यह आपने इन्डस्ट्रियल स्टेट का बताया है।

श्री नत्थीसिंह : यह आंकड़े.....

श्री रामकिशन : आप यह देख लीजिये। यह औद्योगिक क्षेत्र है। मगर यहां उद्योग नहीं है।

श्री जसराज (मिनाय) : पर केपिटा इन्कम बजट में तो आपने 239 बताई है और अब आप 370 बता रहे हो।

श्री मथुरादास माथुर : वह कॉन्स्टेन्ट प्राइस पर बताई गई है, यह करेंट प्राइस पर कह रहा हूं। कॉन्स्टेन्ट प्राइस के फीगर नहीं मिल सकते क्योंकि सब स्टेट्स के अलग अलग हैं।

श्री भैरोंसिंह : दूसरी स्टेट्स में ज्यादा है और राजस्थान में कम है तो पिक्चर तो वही आयेगी।

श्री मथुरादास माथुर: आप गौर से सुनें, आपने जो बातें कहीं हैं, उससे दूसरे आंकड़े आते हैं, भिन्न आंकडे आते हैं तो घबराने की बात नहीं है।

पंजाब का 27.52 है, मद्रास का 26 है, केरल का 22 है....

श्री भैरोंसिंह : बिहार का क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर: बिहार में हम से कम है। 16 स्टेट्स में हमारी 9वीं पोजीशन है इन्सिडेन्स आफ टैक्स पर केपिटा है उनमें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इनका बताइये।

श्री मथुरादास माथुर: दोनों तरह की स्टेट्स इन्डस्ट्रियल और नॉन-इन्डस्ट्रियल, के आंकड़े रख कर मैंने यह बताने की कोशिश की है कि जो यह धारणा है कि राजस्थान में टैक्स का हिस्सा ज्यादा है, माननीय सदस्यों की इस धारणा को दूर करने के लिये मुझे यह आंकड़े रखने पड़े।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने यह सुझाव रखा है कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू को बढाना चाहिये। मैं इससे सहमत हूं कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू को बढाना चाहिये, इस पर चिन्तन करना चाहिये, बल देना चाहिये और इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। नॉन-टैक्स रेवेन्यू के लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि स्टेट एन्टरप्राइज एक इसका हिस्सा है। जो हमारी स्टेट एन्टरप्राइजेज चलती है, हर स्टेट एन्टरप्राइज का अलग-अलग इतिहास है। इसके अलावा हमने स्टेट एन्टरप्राइज में लेदर फैक्टरी को चलाने की कोशिश की है, हमने स्टेट एन्टरप्राइज में फ्लोराइट के प्रोडक्शन की कोशिश की है, टंग्स्टन फैक्टरी को मेकेनाइज करने के प्रयत्न रखे हैं। सोडियम सल्फेट का 40 टन प्रति दिन प्रोडक्शन करने का प्रयत्न किया है, सोडियम क्लोराइट का प्रोडक्शन बढाया जाय, इस बात का प्रयत्न किया है। स्टेट एन्टरप्राइज को बढाने के लिये पैसे की जरूरत पडती है, हमारी योजना सीमित थी, हमारे पास धनराशि नहीं थी कि और स्टेट एन्टर-प्राइजेज को खोला जाय पर राजस्थान सरकार की नुक्ते निगाह है कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू को बढाया जाय, स्टेट एन्टरप्राइजेज को खोला जाय भारत में केवल यही एक ऐसी स्टेट है जहां स्टेट एन्टरप्राइजेज को चलाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। हमारे कई स्टेट एन्टरप्राइजेज चल रहे हैं। कहीं घाटा है कहीं मुनाफा है, अलग अलग स्थिति है। मैं निवेदन करूंगा मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी सरकार को स्टेट एन्टरप्राइजेज रखने के लिये सचित धन रिजर्व

(श्री मथुरादास माथुर)

देश में उपलब्ध नहीं हो सके हैं हमारी स्टेट के सर्विस ओपरेटर्स हैं उनको कार्माशियल स्टेट एन्टरप्राइजेज चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की ट्रेनिंग दी है, सरकार चाहती है कि इनको स्टेट एन्टरप्राइजेज चलाने की ट्रेनिंग दी जाय। जिससे कि धनराशि उपलब्ध होने पर स्टेट एन्टरप्राइजेज को खोलने की दिशा में प्रगति की जा सके। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह राज्य सरकार जागरूक है कि नान-टैक्स रेवेन्यू को बढाया जाय, जो सुझाव दिये हैं उनके लिये राज्य सरकार पहले से ही जागरूक है। यह कहना कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, सही नहीं है, हमारी सीलिंग को देखते हुए हमने इसके लिये प्रावधान रखे हैं। धनराशि जो इसके लिये आवश्यक है वह उपलब्ध नहीं होने के कारण जितना हम चाहते हैं, उतना नहीं कर सके हैं। पर मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम इस ओर जागरूक हैं, सतत प्रयत्नशील हैं, हमारी यह एक निर्धारित नीति है, हमारी सामर्थ्य के अनुसार इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं ज्यों ही हमें अधिक धनराशि उपलब्ध होगी हम इस दिशा में और अधिक स्टेट एन्टरप्राइजेज खोलने के के लिये उत्सुक हैं। पलाना में रशियन सहायता से थर्मल प्लान्ट तैयार पड़ा है पर उसके लिये एक बडी धनराशि की आवश्यकता है, जो हमें इस समय उपलब्ध नहीं है इसलिये थर्मल प्रोडक्शन बिजली का नहीं हो सकता, इस प्रकार हमारे पास कई योजनाएं तैयार हैं पर धनराशि की कमी के कारण नहीं बना सकते। इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस बजट में आप समाजवाद का आभास जरूर देखेंगे।

मैं निवेदन करूंगा कि नान-टैक्स रेवेन्यू बढाने के और भी कई साधन हैं फॉरेस्ट से हम अपनी नान-टैक्स रेवेन्यू को बढाते हैं तो उसके लिये माननीय सदस्य ने अभी विरोध किया। दूसरे कई सोर्सेज नान-टैक्स रेवेन्यू बढाने के हैं। इरिगेशन नान-टैक्स रेवेन्यू इरिगेशन चार्जेज कोई टैक्स नहीं है यह एक फीस है, जो हम सेवा करते हैं किसानों को पानी दे कर उसकी यह एक फीस है, यह कोई टैक्स नहीं है, जितना पैसा हमने यह साधन उपलब्ध कराने के लिये लगाया है, उसका ब्याज भी वसूल नहीं कर सकें तो काम नहीं चल सकता, उसको बढाते हैं तो सदन में उसके विरोध में आवाज उठाई जाती है। राज्य सरकार की तरफ से कई प्रकार के कन्सेशन्स हैं, उन कन्सेशन्स को बन्द कर देने से नान-टैक्स रेवेन्यू बढ सकती है, मेडिकल के कई प्रकार के कन्सेशन्स हैं, एक्स-रे मुफ्त करते हैं, उस कन्सेशन को वापिस लेते हैं तो उसका विरोध किया जाता है, एज्यूकेशन डिपार्टमेंट में कई प्रकार के कन्सेशन्स हैं, यूनिवर्सिटी में छोटे बड़े अमीर गरीब सभी पढते हैं उनसे फीस नहीं ली जाती, वह कन्सेशन्स यदि हम वापिस लेते हैं तो, उसके खिलाफ माननीय सदस्य आवाज उठाते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बात करना आसान है, उस दिशा में हम कदम उठाते हैं तो वही माननीय सदस्य जो नान टैक्स रेवेन्यू बढाने की बातें करते हैं, इसका विरोध करते हैं, सदन में उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि कन्सेशन्स को वापिस ले लिया। तो इन सारी परिस्थितियों में मैंने यह बजट रखा है, उस निगाह से इसे देखें, इसमें आपको समाजवाद का आभास मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि हमारे यहां माम

Page No. 107

(श्री मथुरादास माथुर)
प्लान एक्स्पेंडीचर बढता ही जाता है, उन्होंने पहली पंच साला योजना के आंकड़े रखे और दूसरी पंच साला योजना के आंकड़े रखे…

श्री भैरोंसिंह: परसेंटेज बढता है।

श्री मथुरादास माथुर: इसमें दो बातें हैं, एक तो यह कि कुछ प्लान एक्स्पेन्डीचर के आंकड़े नान-प्लान एक्स्पेन्डीचर में चले जाते हैं इस वजह से नान-प्लान एक्स्पेन्डीचर बढ जाता है दूसरा कारण यह है कि महंगाई की वजह से सर्विसेज को डीयरनैस अलाउन्स अधिक दिया गया है, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकारी नौकरों को अनाज खरीदने के लिये एडवान्स दिया जाता था, वह आपने नहीं दिया, मैं दूंगा जब हमारे पास धनराशि उपलब्ध होगी…

(श्री रामानन्द अग्रवाल बोलने के लिये खड़े हुए)

मुझे बोलने दिया जाय, आपको कोई भ्रम हो, कोई शंका हो तो आप बाद में पूछ लें।

अध्यक्ष महोदय, नान-प्लान एक्स्पेन्डीचर बढ रहा है, नान प्लान-एक्स्पेन्डीचर में कटौती होनी चाहिये, इस बात में दो राय नहीं हैं। जो सुझाव दिया है उसको मैं मानता हूं पर यह बात कहें कि बढता ही जाता है तो उसके लिये मैंने कहा कि प्लान एक्स्पेन्डीचर नान-प्लान एक्स्पेन्डीचर में चला जाता है और नान-प्लान एक्स्पेन्डीचर में सर्विसेज को डियरनैस अलाउन्स देने से वृद्धि हुई है, और आज की हालत में जिस तरह की स्थिति बन रही थी उसमें यह खर्चा बढ कर नान-प्लान एक्स्पेन्डीचर में ज्यादा खर्चा बढ गया। फिर भी हम राजस्थान में 37 प्रतिशत योजना पर खर्च करते हैं। टोटल बजट का। इसका मुकाबला अगर दूसरे राज्यों से करें तो यही आंकड़े मिलेंगे सिवा दो चार राज्यों के। आंध्र प्रदेश में 38 प्रतिशत है, पंजाब 38, उडीसा 34, महाराष्ट्र 35 मध्यप्रदेश 38 इस तरह प्लान एक्सपन्डीचर टोटल बजट का परसेन्टेज है। फिर भी आज 100 रुपए में से 37 रुपए हम योजना के लिये खर्च करते हैं। इस तरह हम दूसरे राज्यों से प्लान का खर्चा कम नहीं कर रहे हैं। रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और जयपुर से आने वाले मुखिया ने कहा…

श्री भैरोंसिंह: यह मुखिया कौन है।

श्री अध्यक्ष: मुख्य, सीनियर से मतलब है आपका।

श्री मथुरादास माथुर: जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया और रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि रेवेन्यू एक्स्पेन्डीचर के बारे में कि रेवेन्यू डिपोजिट्स में हाथ डाला जाता है, मैं उनके विचार से सहमत हूं लेकिन मेरी मजबूरी कहीं कहीं हो जाती है तब रेवेन्यू डिपोजिट्स में हाथ डाला जाता है। जब अकाल में ज्यादा खर्चा हो जाता है…

श्री भैरोंसिंह: या चुनाव नजदीक होता है।

श्री मथुरादास माथुर: या कोई परिस्थितियां हो जाती हैं तो हाथ डालने की कोशिश करते हैं। वरना आर्डिनेरिली फाईनेंसेज का यह अच्छा सिद्धांत है…

श्री रामकिशन: क्या हाथ डालना पार्लियामेन्टरी शब्द है?

श्री अध्यक्ष: एक्सेस।

Page No. 108

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आप में हाथ नहीं डाला है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की और खास तौर से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कि राज्य सरकार औद्योगीकरण की ओर कम ध्यान दे रही है। राजस्थान में जितना औद्योगीकरण होना चाहिए था वह नहीं हो पाया, यह बात उन्होंने कही। मुख्यमन्त्रीजी भी इस बात को कहते रहते हैं कि राजस्थान के औद्योगीकरण के लिये हमें तेजी से आगे बढना है। आप और हम इस बात को मानते हैं। राजस्थान में एग्रीकल्चरल की सप्लाई को इकानामी को बढाकर जब तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अन्दर नहीं जायेंगे तब तक टेक-आफ नहीं कर सकते। तीन योजनाएं समाप्त हो गई। हम समझते थे कि तीसरी योजना के अन्त तक टेक-आफ कर सकेंगे लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिरने की वजह से सरप्लस नहीं मिला। कई नेचुरल कारण हैं, कुछ नीतियों की वजह से भी हो सकते हैं लेकिन टोटल मिलाकर हम उद्योगों को बढा पायेंगे। इसलिये हम कोशिश करते हैं कि स्टेट सेक्टर में भी उद्योग हों। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उद्योग चालू होते हैं तो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को लीडरशिप की गुंजायश मिलती है, लेबर पोटेन्शल मिलता है। लेबर पोटेन्शल मिलता है तो उत्पादन बढता है तो सोसाइटी का ट्रांसफारमेशन होता है और हम समाजवाद की ओर आगे बढते हैं। जब कभी जमीन सस्ती दी जाती, किसी को बिना वाट बिना मुनाफे बिजली दी जाती है या और कोई सहयोग दिया जाता है तो इस पर ऐतराज उठाते हैं खास तौर से इन्हीं माननीय सदस्य की ओर से। इसलिये अगर हमें औद्योगीकरण की ओर बढना है तो हमें बाहर के लोगों को भी लाना पडेगा। जो राज्य हम से ज्यादा एडवान्स हैं, उनके पास बड़ा भाज औद्योगीकरण होता है, ...

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : आपको जिन उद्योगों में मुनाफा था जैसे रोड ट्रांस्पोर्ट उनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्स्प्लेन करें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो औद्योगिक उत्पादन की बात कर रहा हूं। रोड ट्रांस्पोर्ट कामर्स है, उद्योग नहीं। इस तरह की बात जब होती है तब औद्योगीकरण करने के लिये और एग्रेरियन इकोनामी से इंडस्ट्रियल इकोनामी बनाने के लिए जो बर्थ पैंग्स हैं, उन तकलीफों को उठाना पडेगा। आप उद्योग चाहते है लेकिन सुविधा देना नहीं चाहते, पूंजीपति के नाम से नफरत करते हैं। स्टेट सेक्टर में उद्योग खोलने के लिये पैसा नहीं है तो फिर कैसे काम होगा? मैंने अपनी समस्याएं रखी हैं और रास्ता निकाला है। मेरे और आपके विचार दो नहीं हैं। आप औद्योगीकरण चाहते हैं, स्टेट सेक्टर को बढाना चाहते हैं, समाजवाद चाहते हैं लेकिन उसके लिए प्रोसेस होगा, तकलीफें उठानी पडेंगी। उसके लिए तैयार नहीं। सिर्फ भाषण से समाजवाद थोडे ही आएगा?

श्री रामानन्द अग्रवाल : बैंकों का राष्ट्रीयकरण करिए।

श्री मथुरादास माथुर : उसके बाद हमारी सरकार की ओर से छोटे छोटे इन्वेस्टमेन्ट्स हुए हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। कुछ न कुछ बातें कहीं। इन इन्वेस्टमेन्टस का पूरा चित्र आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा।

(श्री मथुरादास माथुर)

इसमें बहुत सी इंवेस्टमेन्ट्स ऐसी हैं जो राजस्थान बनने से पहले की थीं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा में उन्होंने इंवेस्टमेन्ट्स कर दीं कहीं 50,000 कहीं 20,000। इन इंवेस्टमेन्ट्स को मैं तीन हिस्सों में रखता हूं। पहले तो जो स्टेट्यूटरी कारपोरेशन्स और स्टेट कंपनीज हैं उनके अन्दर आपको वह इन्टरेस्ट नहीं मिलेगा जैसे 9 प्रतिशत हर इंवेस्टमेन्ट्स पर नहीं मिलता क्योंकि सरकार को इंवेस्टमेन्ट के पीछे रिटर्न तो है लेकिन उसको लिमिट है, साथ साथ सोशलिस्ट पालिसी है। उदाहरण के लिये राजस्थान फाइनेंशियल कारपोरेशन के अन्दर 36 लाख इंवेस्ट किए। अब हमारे एग्रीमेन्ट के हिसाब से जो आर्डिनरी शेयर्स खरीदे थे उसका साढे तीन प्रतिशत हमको कारपोरेशन देता है। आज रुपया ब्याज पर दिया जाय तो 7 प्रतिशत ब्याज भी मिल सकता है मगर हमारी समाजवाद की नीति है।

श्री भैरोंसिंह : फाइनेंशियल कारपोरेशन को जो आप पैसा देते हैं और कारपोरेशन दूसरों को एडवान्स देती है उनके ब्याज में अंतर क्या है ?

श्री अध्यक्ष : जब तक माननीय वित्त मन्त्री अपना भाषण समाप्त न करें तब तक के लिये मैं समय की अवधि बढाता हूं।

श्री मथुरादास माथुर: फाइनेंशियल कारपोरेशन जो प्राइवेट पार्टीज को राजस्थान के औद्योगीकरण के लिये ऋण देती है उस पर 9 प्रतिशत ब्याज लेती है। हमको साढे तीन प्रतिशत मिलता है। हमको साढे तीन प्रतिशत देकर जो उनके पास में पैसा बचता है उनको वापस कैपीटलाइज करके इन्वेस्ट करते हैं। आज हमने 36 लाख इन्वेस्ट किया और दो करोड़ रुपया वितरित किए औद्योगिक विकास के लिये। ऐसी हालत में इसके पीछे समाजवाद की नीति है और रिटर्न ...

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने जांच की है कि फाइनेंशियल कारपोरेशन ने जिन लोगों को ऋण दिए हैं उनका प्रोपर यूटीलाइजेशन हुआ है ?

श्री मथुरादास माथुर: इस संस्था का अलग विधान है। मैं आपके सामने इस स्थिति में नहीं हूं कि बता सकूं कि जो रुपया उसने दिया है, उसका पूरा यूज हुआ या नहीं। मगर आप चाहते हैं तो इस पर जो हमारे डाइरक्टर्स हैं उनसे कहा जा सकता है कि इस चीज को देखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि यह कारपोरेशन मिनीमम डिवीडड की गारंटी देता है उस मिनीमम गारंटी को कारपोरेशन अपने रिसोर्सेज से पूरा नहीं कर सकता और आपको स्टेट रिसोर्सेज से मिनीमम गारंटी को मीट करने के लिये पैसा देना पडता है ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि शुरू-शुरू में यह कार्पोरेशन हुआ था राज्य सरकार ने इनिशियेटिव लेकर इसको खडा किया था। राज्य सरकार का ड्यूटी है, पब्लिक परपज के लिये है। जो इन्ट्रेस्ट आप देखना चाहते हैं वह इसमें नहीं

(श्री मथुरादास माथुर)

मिलेगा। हो सकता है सौ व्यक्तियों को लोन मिला हो और 90 ने उसका उपयोग किया हो या नहीं किया हो तो उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हो सकती है। इस इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन ने बहुत बड़े महत्व का कार्य किया है। इसी प्रकार वेयर हाउस कारपोरेशन और नेशनल कान्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन। हर एक राज्य ने हिस्से लिये हैं। हमने भी दस लाख रुपये के हिस्से लिये। बिगनिंग में ये कार्पोरेशन प्रोफिट नहीं दे सकते हैं। आगे जाकर ये प्रोफिट देते हैं। राजस्थान बनने के बाद में कांग्रेस सरकार ने जो इन्वेस्टमेन्ट किये हैं उसके पीछे सोशियल परपजेज हैं। उस को उसी रूप में आप देखेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कुछ डिविडेन्डस हुए हैं। कम्पनी लिक्विडेशन में गयी लेकिन हम को हर साल बजट में लाना पड़ता है। नये माननीय सदस्य सदन में आये हैं वे जब इसको देखते हैं तो इस प्रकार से कह देते हैं और हम को हर साल कहना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : बहुत कम है।

श्री मथुरादास माथुर : वरना तो घाटा अधिक हो जाता। 12.13 कम्पनी ने लिक्विडेशन में आयी है।

इसके बाद में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ इन्वेस्टमेन्ट ऐसे हैं जिनके हम को रिटर्न अच्छे मिले हैं। स्टेट एन्टरप्राइज के लिये निवेदन करूं। शुगर फैक्टरी के बारे में कहने की हैसियत में हूं। पहले घाटे में चलती थी। अब शुगर में और डिस्टीलेशन मे दोनों में मुनाफा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : एक साल में।

श्री मथुरादास माथुर : दूसरे वर्ष के लिये आडिट में बाद में आवेगा तब भी मुनाफा होगा। दो साल का तो बराबर मिलेगा। इसकी हिस्ट्री क्या है यह मैं बताना चाहूंगा। किसी सेठ की यह थी। हमारे मत्थे यह पड़ गयी। रिटर्न नहीं करती थी कुछ भी। उसको हमने जो घाटे में चलती थी मुनाफे में बदल दिया है। हाई टैंक है वह जरूर घाटे में है और वह मानता हूं मैं। उसको राज्य सरकार ने बन्द करने का फैसला कर लिया है। उसके अन्दर घाटा हुआ है उसको मैं मंजूर करता हूं। इसी तरह से हमारा इन्वेस्टमेन्ट स्टेट एन्टरप्राइज, सोडियम सल्फेट, सल्फेट, गंगानगर शुगर फैक्टरी में है पलाना कोलियारी बीकानेर को कारणवश चला नहीं पाते हैं वरना उसमें भी प्रोफिट था। आपको दुबारा कहने का मौका नहीं मिलेगा इसलिये यह निवेदन कर रहा हूं। यह इन्वेस्टमेन्ट की तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है।

श्री भैरोंसिंह : हाइटैंक को चलाने में अब तक कितना नुक्सान हुआ ?

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 13 लाख रुपया।

श्री मथुरादास माथुर : 13 लाख आंकड़े बता दिये। आगे नहीं चला रहे हैं और इसको बन्द कर रहे हैं। वाइन्डिंग अप में कुछ हुआ तो और बताऊंगा। इसमें घाटा हुआ है और इसलिये इसको बन्द करने का फैसला किया है।

सदन में यह धारणा चलती हो कि स्टेट सेक्टर के काम में घाटा ही होता है इसलिये

(श्री मथुरादास माथुर)
वे भाई जो स्टेट सेक्टर में विश्वास नहीं करते हैं खास तौर से उनके विश्वास के लिये कहना चाहता हूं कि हाई टैक के अलावा सब में मुनाफा हुआ है और सब मुनाफे में चल रही हैं मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे पास ट्रेन्ड अफसर नहीं हैं। पब्लिक सेक्टर का बिगनिंग है। बिगनिंग में कई बच्चों की मोर्टेलिटी हो जाती है।

जहां तक एरियर्स का सवाल है, लैंड रेवेन्यू के एरियर्स फेमीन के कारण बढ़ गये है। एक्साइज में जो एरियर्स दिखते हैं वह अजमेर के अन्दर और कुछ जगहों पर गारन्टी पूरी न होने के कारण दो साल से जो सवाल चल रहे हैं, राज्य सरकार ने उनको तय करने के लिये अफसरों को तैनात किया है। दोनों के पहलू सुन कर बतायेंगे। उनकी रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार बतायेगी और उनको क्लीयर अप करने की बात करेगी।

श्री नत्थीसिंह : राइट आफ तो नहीं करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जागीरदारों को कम्पन्सेशन दे दिया और लैंड रेवेन्यू उनसे काटा नहीं और एक करोड़ रुपया एरियर में खड़ा है और एक मंत्री महोदय आपकी कैबिनेट में है उनमें 49 हजार रुपया खड़ा है आडिट रिपोर्ट में क्या एक्शन लिया है आपने ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं कह रहा था होली की और आप दीवाली की बात कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लैंड रेवेन्यू में जुड़ रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं भी जानता हूं। एक करोड़ में बाकी है रेवेन्यू का। 50 लाख का बाकी है। हाई कोर्ट का स्टे आ गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाई कोर्ट का स्टे वाला 38 परसेन्ट होगा। एक करोड़ में से 40 लाख होगा।

श्री मथुरादास माथुर : अब रह गया। 60 लाख, आप मानते हैं। सौ एप्लीकेशन हैं एक में स्टे है तो हम उनको बाकी को स्टे कर देते हैं। आज उसको कर दें और कल घोटाला हो जाय फिर यह उचित नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने एम. एल. ए. के लिये तो क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट प्राप्त करना लाजमी रखा है जब तक वह नहीं आजाय तब तक आप तनख्वाह नहीं देते और जागीरदारों को क्लीयरेन्स सार्टिफिकेट बिना दिये ही उनको देते हो यह कहां का न्याय है ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य ने यह उत्साहपूर्वक चीज रखी है। मैं इसकी बारीकी में जाने की कोशिश करूंगा। हर एक विभाग के एरियर्स और उसके कारण के बारे में मैं तो इस वक्त नहीं कह सकता। या तो आप इसके लिये प्रश्न पूछ लीजिये और वाजिब तरीके से नहीं है तो उसको वसूल करेंगे। जब तक हाई कोर्ट से न रुक जाय और लीगल वसूली की डिफिकल्टी न हो तो एरियर्स के लिये हम पूरी कोशिश करेंगे।

श्री भरोंसिंह : एक्साइज में कोई हाई कोर्ट का स्टे नहीं आया है ?

श्री मथुरादास माथुर : लैंड रेवेन्यू, मर्चेन्ट टैक्स, सैल्स टैक्स।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक्साइज का तो हाई कोर्ट से स्टे नहीं हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : कार्यवाही चल रही है उसका फैसला होते ही कदम उठा लेंगे।

इसी प्रकार सैल्स टैक्स और दीगर में मैं खुद वित्त मंत्री के नाते भी चाहता हूं कि एरियर्स मिल जायं तो प्लान में सहूलियत मिलेगी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी रुपया वसूल हो।

श्री मथुरादास माथुर : मगर जब आंकडे देखते हैं तो इसकी वसूली नहीं होने के कई कारण हैं। डिटेल में जावेंगे तो मालूम होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इलेक्शन के वक्त ज्यादा खर्च करना पडता है।

श्री मथुरादास माथुर : आप तो एक ही आये हैं, क्या कहें आपको।

श्री नत्थीसिंह : कमिटमेन्ट पूरे करने होंगे।

श्री मथुरादास माथुर : आप इन बातों को बाद में ले लीजिये। प्रश्न में मत जाइये। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान गंगानगर शुगर फैक्टरी में डाइरेक्टर के बारे में खींचा। श्री फली हैं। अपना ट्रेड नहीं करते हैं इसलिये नहीं होना चाहिये। मैंने जांच की है। वे फोरिन लीकर की रम बनाते हैं। देशी लिकर नहीं बनाते। फिर भी कम्पनी ला के अनुसार अगर यह विरुद्ध पडती होगी तो हटा दिये जावेंगे। ला के विरुद्ध में नहीं होंगे तो रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने माही के बारे में बहुत जोरों से कहा। मुझे निवेदन करना है कि माही योजना हमारी योजना एक बहुत अच्छी योजना है इससे 32 मैगावाट बिजली पैदा होगी। गुजरात में चार लाख एकड जमीन सिंचित होगी और 6 लाख हमारे यहां होगी। अब कास्ट 29 करोड 56 लाखकी आवेगी जिसमें से 21 करोड हम देंगे, 8॥ करोड गुजरात का हिस्सा होगा। प्लानिंग कमीशन से इनीशियल स्टेज पर हम मिले थे। अब फाइनल स्टेज पर मामला है। क्लीयरेन्स वहां से मिलेगा। गुजरात सरकार ने भी इसमें तत्परता दिखाई है कि इसके लिये एक बोर्ड बना दिया जावे तो वे भी पार्टी सिपेट करेंगे इसमें। यह मिला जुला प्रोजेक्ट है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अभी तक प्लानिंग कमीशन से स्वीकृति नहीं आई है। न गुजरात ने अपना शेयर दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : वर्क शुरू हो चुका है। योजना मन्त्री की हैसियत से भी कहता हूं कि सेंक्शन मिल जावेगी, गुजरात भी अपना हिस्सा देगा। और वर्क चूंकि शुरू भी हो चुका है तो इसलिये किसी के बैक आउट कर जाने का तो सवाल ही नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एडवाइजरों ने क्या डिसीजन लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : यह एडवाइजरों से पूछें। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। एडवाइजर्स और दृष्टिकोण से देखते हैं। हम और दृष्टि से देखते हैं, हमारे सामने जनहित रहता है।

Page No. 113

(श्री मथुरादास माथुर)

राजस्थान कैनाल के बारे में हमारे जयपुर से आने वाले 'मुखियाजी' ने बहुत जोरों से कहा कि हमारा लिफ्ट इरिगेशन

श्री अध्यक्ष : हमारे 'मुख्य सदस्य' ऐसा कहें। इस शब्द को अवोइड ही करिये। अच्छा नहीं मालूम होता।

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान नहर से लिफ्ट इरिगेशन के बारे में जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की उसके लिये यह निवेदन करना है कि उनके कहने से ऐसा मालूम पडा कि नागौर तो ले जाया जा रहा है पर लूणकरणसर और बीकानेर में नहीं ले जाया जा रहा है। ओरिजीनल स्कीम में तो लूणकरणसर और बीकानेर में भी पानी देने की बात थी।

बीकानेर में तो पीने के पानी के लिये था और लूणकरणसर में 10.11 करोड का एस्टीमेट है वहां इरिगेशन भी होगा, बीकानेर का 16.8 करोड का एस्टीमेट है। लूणकरणसर का 1.3 लाख इरिगेटेड एरिया होगा। नागौर में 36 करोड 65 लाख का खर्चा होगा और इसके उपरान्त 7.14 लाख एकड जमीन सिंचाई में आवेगी।

श्री भैरोंसिंह : आपके गलत लिख दिये हैं आपको।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, ठीक है। इरिगेशन लूणकरणसर में 1.3 लाख का होगा। बीकानेर में 2.3 और नागौर में 7.14 लाख का होगा। यह स्कीम टैक्नीकली एग्जामिन हुई है। एप्रूवल हुई है। फाइनेन्शियल कमीशन से भी। राज्य सरकार ने सर्वे कराकर देखा है। क्योंकि वहां पानी की कमी है और जमीन बहुत है तो इससे लाभ होगा। अब इरिगेशन की रेट क्या होगी। नेगोशियेट करके कुछ करेंगे तो घाटा नहीं होने वाला है। इसलिये योजना विचाराधीन है। इस पर डिसीजन नहीं लिया है। इसलिये इस योजना को टैक्नीकली साउन्ड होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : अब तक के सर्वे के अनुसार क्या 98 लाख का घाटा नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने बताया। इसके बनने के बाद अगर मौजूदा इरिगेशन रेट रखी जावेगी तो मैंने बताया उसके हिसाब से 9 करोड का घाटा करीब होगा। राजस्थान नहर की लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई होगी 7.14 लाख एकड इसमें आबपाशी कर और स्टैण्डर्ड रेट वही रखी तो इसमें इरिगेशन रेवेन्यू में लौस होगा। वहां इसमें खर्चा ज्यादा होगा। आमदनी इस तरह से कम होगी। इसलिये इस पर विचार करने की आवश्यकता है। रेट हमें देखकर तै करनी होगी तो घाटा बच सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मगर यह बडे महत्व की योजना है। इस पर विचार चल रहा है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बीकानेर जोधपुर और जयपुर के महाराजाओं को पानी व बिजली देने का सवाल था। उन्होंने यह कहा कि यहां उनको एक लाख देने का फैसला हुआ। ये तीन ही राजा ऐसे हैं जिन्होंने वी. पी. मैनन की चिट्ठी के हिसाब से बिजली पानी मुफ्त देने

(श्री मथुरादास माथुर)

का फैसला हुआ था। पर कई बार सदन में सवाल उठने पर नेगोशियेट करके ते किया गया कि एक लाख राज्य सरकार दे देगी पानी बिजली के बजाय में और जितना बिल आवेगा वह चुका देंगे। और इसी को बजट में रखा। पर उसके बाद में बजट फाइनल में रखा तो लाख रुपया देना था जो बजट के मेमोरेण्डम में बताया था। बाद में निर्णय लिया कि तीन नहीं देंगे, बजट के मेमोरेण्डम और वाल्यूम दो को देखें तो मालूम होगा कि 2.60 कम कर दिया। इसलिये 12 लाख इनको देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। इसमें से कम करके 9.9 लाख बजट में बताया है। वाल्यूम नम्बर 2 को देखें तो इसलिये यह गलतफहमी न रहे कि हम कुछ गलत बात कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक पोइन्ट आप और क्लीयर करिये। यह एक लाख देकर जो निर्णय किया इससे पहले अब तक कितना खर्चा होता था और अब एक लाख देकर आप कितना लाभ बचा रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अब तो देने का सवाल ही नहीं है। न लाख देना है न देने हैं रेट के हिसाब से उनसे वसूल हो जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक लाख रुपया उनको नहीं देंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मुख्य मन्त्रीजी ने अपने भाषण के दौरान इस बात का एलान किया था कि राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि हमारे यहां पर सुपरएनुएशन की एज 55 वर्ष की जावे। माननीय सदस्यों ने, इधर और उधर बैठने वालों ने सुझाव दिया था। यह इसलिये किया जा रहा है कि हमारे नौजवान जो इन्जीनियरिंग पढ़कर आते हैं उनके लिये आगे नौकरी का रास्ता खुल जाता है और इसके साथ साथ इमीजियेटली बहुत सरप्लस हो जावेंगे जो अभी हमने पदों में कटौतियां की हैं, तो उनको भी लगाना होगा। खास तौर से तो इससे नौजवान बेकारों में नहीं जावेंगे, उनको स्थान मिलेगा। इसलिये यह फैसला किया है। इसको बहुत हेवी हार्ट से करना पड़ा।

श्री भैरोंसिंह : यह कब से लागू होगा आपका फैसला ?

श्री मथुरादास माथुर : आपस में सबसे बात करके इसे मन्जूर किया और इमीजिएटली लागू होगा, इमीजिएट इफेक्ट से यह लागू होगा।

श्री भैरोंसिंह : इसमें एक्सेप्शन तो नहीं देंगे। ऐसे बहुत से आपके चहेते 58 साल का फायदा नहीं उठा सकेंगे। जो 58 का लाभ उठा रहे हैं उनका क्या होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : They will be relieved immediately by one month's notice.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो 55 साल की एज से ऊपर चले गये हैं उनको फायदा अब तक तो मिल गया है।

श्री मथुरादास माथुर : फिर सुन लीजिये। 55 साल के बाद किसी को नहीं

(श्री मथुरादास माथुर)

रहने दिया जावेगा। तो इस तरह से यह 55 साल का फैसला किया है। और क्या? 55 के लोग जो हो गये हैं, 56, 57 या 58 में जो आज चल रहे हैं वे सभी जावेंगे। और यह फैसला राज्य सरकार की सेवाओं तक ही सीमित नहीं है। स्टेट फानेन्शियल कारपोरेशन, पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स और रजिस्टर्ड कम्पनीज एक्ट में जो आते हैं सरकार के नीचे वे सभी इसमें शामिल होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड?

श्री मथुरादास माथुर : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी आ जावेगा इसमें। जितने स्टेचुटरी बोर्डीज हैं वे भी आ जावेंगे जिनमें राजस्थान सरकार को अपोइन्टमेन्ट्स करने का अधिकार है जिनको सरकार कन्ट्रोल करती है उन सब पर लागू किया जावेगा यह निर्णय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसी पद विशेष को टैक्निकल कहकर तो रियायत नहीं की जावेगी?

श्री मथुरादास माथुर : आप मुझे पूरा कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, यह फैसला जो राज्य सरकार ने किया है और जो राज्य सरकार की स्टेचुटरी बाडीज, स्टेट कन्ट्रोल एन्टरप्राईज पर लागू किया जायेगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें जो परमानेन्ट गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स हैं उनको रूल्स के हिसाब से 3 महीने का नोटिस दिया जाता है उसके हिसाब से कानूनी कार्यवाही की जायेगी वर्ना हाईकोर्ट में रिटें होंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन कर रहा था कि यह फैसला हमारे यहां पर माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि हमारे यहां पर डाक्टर्स की कमी है और हमारे यहां पर इन्जीनियरिंग टीचर्स की कमी है, पोलीटेक्निक्स में टीचर्स होते हैं, इन्जीनियरिंग कालेज में टीचर्स होते हैं और आई. टी. आई. में टीचर्स होते हैं उनकी कमी होती है इसके लिए जब तक कमी पूरी होने के लिए फोर्थ प्लान पीरियड के लिए उन लोगों का रिटायरमेन्ट हम 58 रख रहे हैं। तो यह तीन केटेगरी हैं जिनके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 58 साल की रिटायरमेन्ट एज रख रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस फार्मूले को लागू करने से, इस प्रस्ताव को लागू करने से राजस्थान के अन्दर 400 गजेटेड आफिसर्स इस साल रिटायर होंगे और कुल 9 हजार आदमी दूसरे इससे रिटायर होंगे....

श्री विजयसिंह रावत : 20 वर्ष के बाद अब आपने मार्के की बात कही है।

श्री मथुरादास माथुर : तो अब तो सलाम कर लो।

श्री भरथीसिंह : सलाम के ही भूखे हैं क्या आप?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों ने अपने बजट भाषण पर बोलते हुए कई इकोनोमी की और कटौती की बातें कहीं और कई सुझाव भी दिये थे। उनके ऊपर राज्य सरकार ने चिन्तन किया है। मैं बीच में एक

(श्री मथुरादास माथुर) बात और कहूंगा और वह खास पोइन्ट है कि क्लास फोर सर्वेन्ट्स पर यह 55 साल वाली बात लागू नहीं होगी वह 60 साल तक रहेंगे।

अब तो समाजवादी बजट है ना रामानन्द जी ?

कुछ माननीय सदस्य : थोड़ा सा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मत्री चपरासियों में आते हैं जो 55 से भी ऊपर वाले बैठे हुए हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो गरीब नागरिक हैं। चपरासियों से भी ज्यादा गरीब हैं।

माननीय सदस्यों ने इकोनोमी के काफी सुझाव रखे और मैं माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके एक एक सुझाव को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह सुझाव इस ओर बैठने वाले और उस ओर बैठने वाले सदस्यों ने रखे थे कि हमारे यहां पर पंचायत समितियां जो 232 हैं वह बहुत ज्यादा हैं इसलिए इन पंचायत समितियों को कम किया जाये। राज्य सरकार ने इस पर काफी चिन्तन किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस विचारधारा पर राज्य सरकार ने बहुत गौर से चिन्तन किया है और वर्कआउट करने की कोशिश की है और हमने इसका फैसला किया है कि वन मैन कमीशन मुकर्रर किया जावेगा . . .

श्री भैरोंसिंह : जुडीशियल कमीशन।

श्री मथुरादास माथुर : आप तो हर जगह जुडीशियल के आदी हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : नहीं तो पक्षपात होगा। जैसे उदयपुर में पंचायत समितियां ज्यादा हैं.

श्री मथुरादास माथुर : आप तो कहते हैं जुडीशियल और मैं कहता हूं जुडीशल कमीशन होगा। एक वन मैन कमीशन मुकर्रर होगा और तहसील और पंचायत समितियां को-टर्मीनस रहेंगी।

श्री मत्थीसिंह : उसके लिए तो कमीशन का इन्तजार नहीं करना पड़ेगा।

श्री मथुरादास माथुर : आप कुछ तो सब्र रखिये।

श्री मत्थीसिंह : आप कहते हैं कि वन मैन कमीशन मुकर्रर होगा तो दूसरी बात यह है कि तहसील और पंचायतें को-टर्मीनस होंगी तो इसके लिए इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए वन मैन कमीशन का इन्तजार करेंगे या पहले ही कर देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य कुछ सब्र रख लेते तो सवाल पूछने की जरूरत नहीं होती। जैसा मैंने कहा कि वन मैन कमीशन मुकर्रर होगा और पंचायत समितियां और तहसीलें को-टर्मीनस होंगी और यह करीब एक लाख की पापुलेशन पर होंगी और तहसील और पंचायत समितियों का डी-लिमिटेशन का मामला कमीशन तय करेगा। इससे राज्य सरकार को 20 लाख रुपये की बचत होगी लेकिन इस साल नहीं अगली साल जब कि यह सब डिलिमिट हो जायें और चुनाव हो जायें। यह राज्य सरकार ने आपके सुझाव को माना है।

श्री अध्यक्ष : अवधि आपके बोलने की सीमा तक है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं, काफी मुद्दे उठाये गये और विभागीय मुद्दे छोटे मोटे माननीय सदस्यों ने उठाये···

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : छोटे मोटे माननीय सदस्यों ने ?

श्री मथुरादास माथुर : छोटे मोटे मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं। बड़े बड़े माननीय सदस्यों ने छोटे मोटे मुद्दे उठाये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन मुद्दों पर बजट पर अभी आगे भी बहस होगी और तब भी बोलने का अवसर मिलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं फिर भी कोई मेरे विभाग से संबंधित हो और दूसरे साथियों से हो तो उसका लिखित जवाब भेज दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके सामने उन प्रश्नों पर आता हूं जिनके ऊपर सदन के अन्दर काफी चर्चा हुई है। अतः अब मैं उन टैक्स के प्रस्तावों के बारे में निवेदन करूंगा। मैंने बजट पेश करते हुए इस सदन के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि इरिगेशन रेट्स के ऊपर 25 परसेन्ट की बढ़ोतरी की जाये। सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया था और यह सुझाव दिया कि इस स्कीज को वापिस ले लेना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर राज्य सरकार ने विचार किया है और माननीय सदस्यों की इच्छा के मुताबिक यह बढ़ोतरी वापिस ली जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सामने जिस वक्त बजट पेश किया था उस वक्त हमने लाइव स्टॉक के ऊपर सेल्स टैक्स लास्ट पोइन्ट के ऊपर लेने का फैसला किया था। हर एक मेले पर सेल्स टैक्स लेने का प्रस्ताव रखा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने यह सुझाव रखा कि यह वापिस ले लेना चाहिए तो उनकी इच्छा के अनुसार मैं यह कर भी वापिस लेता हूं। इन प्रस्तावों को वापिस लेने के बाद में माननीय अध्यक्ष, जो कुछ भी मैंने बजट के अन्दर रिसोर्सेज बताए थे उनमें 45 लाख की कमी हो जाएगी। मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो 45 लाख की जो कमी है उसको यों ही छोड़ कर डेफिशिट बजट आपके सामने प्रस्तुत करूं और दूसरा रास्ता यह है कि मैंने जो····

श्री हंसराज आर्य (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि सिंचाई पर जो पांच रुपये प्रति एकड़ की वृद्धि पिछले साल की थी वह भी वापिस ले ली गई है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने साफ कहा है। वह तो अगले साल की वृद्धि थी जो पहले ही लागू हो चुकी है। मैं तो इस साल जो 25 प्रतिशत की वृद्धि की है उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं। पांच रुपये की जो वृद्धि की गई थी वह तो पिछले साल ही लागू हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने दो ही रास्ते थे। एक तो यह कि बजट को डेफिशिट फाइनेंसिग में छोड़ देता जिसके

(श्री मथुरादास माथुर)
कि मैं पक्ष में नहीं हूं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने और कुछ प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टैक्सेज के प्रपोजल पेश नहीं कर सकते।

श्री हंसराज आर्य : सरचार्ज के बारे में क्या फरमाया है।

(कोई उत्तर नहीं)

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास में जब मैंने बजट पेश किया था आठ लाख का मुनाफा था, अब 45 लाख का घाटा होने जा रहा है तो कुल 37 लाख का नट घाटा रह जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूं, वे जैसा मैंने निवेदन किया कि डेफिसिट फाइनेंसिंग को अवोइड करने के लिए ही ये प्रपोजल रख रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कैसे रखेंगे आप ?

श्री मथुरादास माथुर : बिल पेश कर दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टैक्सेशन प्रपोजल्स को लीक आउट कैसे कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस स्टेज पर आप टैक्सेशन प्रपोजल कैसे रख सकते हैं जब कि उस पर हाउस ने डिबेट नहीं की, टैक्सेशन के प्रपोजल पहले ही रख दिए गए हैं, उन पर चर्चा हो चुकी तो अब फ्रेश प्रपोजल कैसे रख सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके लिए क्या आप बिल ला रहे हैं, या एप्रोप्रियेशन एक्ट में अमेन्डमेन्ट कर रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्त जो प्रस्ताव पेश कर रहा हूं उन्हें मैं सदन के सामने पेश कर रहा हूं और इसके बाद में जो एप्रोप्रियेशन बिल होगा मैं . . .

श्री भैरोंसिंह : अभी प्रपोजल पेश नहीं कर सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। इस स्टेज पर और किसी प्रकार के टैक्सेशन के प्रस्ताव नहीं रखे जा सकते। टैक्सों के अलावा यदि कोई खर्च में कमी करने की या और किसी तरह की बातें हों तो रख सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रशासनिक खर्च में कमी के सुझाव आ सकते हैं लेकिन टैक्सेशन के प्रपोजल तो जिस समय फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है उसी समय रख सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नए टैक्सों के प्रपोजल इस स्टेज पर नहीं रखे जा सकते।

मैं अध्यक्ष महोदय, चाहूंगा कि इस बात पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : आप भी कुछ आधार बताइए ताकि कुछ आधार मेरे सामने आयें तो मैं निर्णय कर सकूं।

श्री जसराज : On a point of order Sir.

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। पहला भी तो पाइन्ट आफ आर्डर ही है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि मंत्रियों का वेतन कम कर दिया जाय ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, नए टैक्स लगाने के पहले राज्यपाल महोदय की अनुमति लेनी पडती है खास तौर से और कुछ मामलों में भारत के राष्ट्रपति महोदय से भी अनुमति लेनी पडती है । मैं समझता हूं कि इस समय आफ दी हैड इस तरह से प्रपोजल आते हैं टैक्सेज के तो यह स्पष्ट है कि राज्यपाल महोदय की या राष्ट्रपति महोदय की अनुमति उन पर नहीं ली गई । इसके अलावा चूंकि टैक्सेज के प्रपोजल पहले नहीं आए, इसलिए उन पर बहस करने की, उन पर डिबेट करने की आवश्यकता रहेगी । मैं निवेदन करता हूं कि इसके साथ ही कि आज तक यह कहीं भी नहीं हुआ कि बजट डिबेट के कन्क्लूड करते समय इस तरह से नए टैक्सेज के प्रपोजल आए हों । इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को आदेश दें कि इस समय, जिस समय कि पांच दिन की बजट को डिबेट कन्क्लूड की जा रही है, नए टैक्सेज इण्ट्रोड्यूज नहीं कर सकते ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 207 (1) की ओर दिलाता हूं उसके अनुसार कोई भी इस प्रकार का फाइनेंशियल बिल सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व, टैक्सेज के प्रपोजल को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल महोदय की अनुमति उस सम्बन्ध में आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष : It is for the bill.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो राजस्थान टैक्सेज लॉज अमेन्डमेन्ट बिल, 1967 जो उस समय सदन में प्रस्तुत किया गया था, उसके सम्बन्ध में भी अन्त में लिखा है :–

"राज्यपाल महोदय प्रस्तुत विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किये जाने की सिफारिश करते हैं।"

यह जितने भी टैक्स लगाने की बातें हैं उसके सिलसिले में कोई टैक्सेशन का बिल इस सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर राजस्थान महोदय की सिफारिश की जरूरत होती है और इसलिये बिना राज्यपाल महोदय की सिफारिश के इस प्रकार से टैक्सेशन प्रपोजल पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि उसका प्रोविजनल कलेक्शन नहीं हो सकता । ऐसे प्रस्ताव तो वह कभी भी बजट के पास करते समय जब एप्रोप्रियेशन बिल को विचारार्थ लिया जाय या और भी किसी समय में अमेंडमेंट के फार्म में कभी भी पेश कर सकते हैं वित्त मन्त्री जी । इससे सरकार को कोई परेशानी भी नहीं होगी और कलेक्शन भी हो सकेगा ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ भी प्रस्ताव सदन में पेश कर रहा हूं और जब इसका बिल सदन के सामने पेश होगा तो पूरे तौर से उस वक्त जो कुछ भी फार्मेलिटी पूरी करनी होगी वह सब होगी । सरकार को पूरा अधिकार है कि सदन के सामने किसी वक्त भी कोई टैक्सेशन का प्रपोजल, कोई बिल के रूप में लाकर पेश कर सकती है । यह जो मौजूदा प्रस्ताव है उसके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लिए सपोटिंग बिल रख दिया जाएगा और उसकी जितनी फार्मेलिटीज कांस्टीट्यूशनली बनती हैं, उसके लिए जितने रूल्स में प्रोविजन हैं वे सब, पूरे होंगे। सरकार को यह अधिकार है वह जब चाहे तब ही आज, कल या दस दिन के बाद बजट सेशन के बाद कभी भी वे प्रपोजल लाकर टैक्सेशन प्रपोजल रख सकती है। और सदन उस पर विचार कर सकता है। सदन को अधिकार है कि वह उसे मंजूर करे या न करे, लेकिन प्रपोजल रखने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, यह कोई कानून या परम्परा के खिलाफ नहीं है। क्योंकि अब जो डेफिशिट फाईनेंसिंग बन गया है मैं उसकी पूर्ति करने जा रहा हूं, इसलिये यह कहना कि इस समय टैक्सेशन प्रपोजल रखने से लीकेज हो जाएगा तो सदन के अन्दर अनाउन्समेंट से तो लीकेज होना नहीं माना जा सकता। मैं जो कुछ प्रपोजल ला रहा हूं वे सदन में ला रहा हूं, उनके बाहर नहीं रख रहा हूं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा अधिकार है, सरकार को पूरा अधिकार है कि वह किसी भी स्टेज पर टैक्सेशन प्रपोजल बिल के द्वारा सदन के अन्दर रख सकती है।

श्री जसराज : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : एक व्यवस्था का प्रश्न पहले से ही मौजूद है, वह चल रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय इस बात को मानेंगे कि हर किस्म के टैक्स प्रपोजल नहीं रखे जा सकते जब तक कि उसका कारस्पोण्डिग लेजिस्लेशन और उसको इम्पलीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स न लिये जायं। जब किसी किस्म का टैक्सेशन लगाया जाता है तो उसको इम्पलीमेंट करने का प्रोग्राम पहले से होना चाहिये। माननीय वित्त मन्त्री जी इस समय जो टैक्सेशन के प्रपोजल रखने वाले हैं हम कह नहीं सकते कि वे किस प्रकार के प्रपोजल रखने वाले हैं लेकिन मान लीजिए यदि वे इस प्रकार के प्रपोजल हैं कि जिनका एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्पलीमेंटेशन इमीजियेटली जरूरी है और जितना कानूनी प्रवधान होना जरूरी है तो इस प्रकार के टैक्सेशन के प्रपोजल रखना बिना एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारी के तो उसे लीक करना ही होगा जिसका स्टेट की फाईनेंसेज पर बहुत बुरा असर, कुठाराघात होगा और उसे कभी उचित नहीं कहा जा सकता। माननीय मन्त्री जी कह सकते हैं कि उनके दूसरे ऐसे प्रपोजल हो सकते हैं कि जिनके लिए इमीजियेटली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने की आवश्यकता नहीं होगी तो ऐसे मदों में भी, अध्यक्ष महोदय, कम से कम एक केटेगरी तो टैक्स प्रपोजल्स की ऐसी है जिसके अन्दर ऐसे प्रपोजल आफ हैंड, बगैर एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मेजर्स को लिए पेश नहीं किए जा सकते हैं। अब, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की परम्परा है कि अगर माननीय मंत्रीजी को यह इजाजत दे दी जाय इस प्रकार के प्रपोजल लीक आउट करने की तो कह नहीं सकते कि माननीय मंत्रीजी की अपनी राय एक किस्म की हो सकती है लेकिन उसका इण्टरप्रिटेशन दूसरे तरीके का भी हो सकता है। इसलिए जब तक उस पर पूरी तरह से तमाम फार्मेलिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, लेजिस्लेटिव मेजर्स नहीं ले लिए जाय तो इस स्टेज पर उनको रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
और अगर इजाजत दी जाती है तो यह गलत परम्परा होगी। स्टेट फाइनेन्सेज पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।

श्री पी. के. चौधरी : मैं आपका ध्यान रूल 155 की तरफ आकर्षित करूंगा :

"Notwithstanding that a day has been allotted for other business under rule 142, 144 or 154, a motion or motions for leave to introduce o Bill or Bills may be made and a Bill or Bills may be introduced on such day before the House enters on the business for which the day has been allotted."

इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी भी समय यह फाइनेंशियल बिल लाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : It is for the Bill.

श्री विशम्भरनाथ जोशी : On a poit of order, Sir.

अभी विरोधी दल की ओर से यह आपत्ति उठाई गई कि माननीय वित्त मंत्रीजी अपनी बहस के जवाब के दौरान में आल्टरनेटिव सप्लीमेंट्री टैक्सेशन प्रपोजल इन्ट्रोड्यूज नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने इसके लिए किसी प्रोविजन की तरफ इशारा नहीं किया है। किसी प्रोवीजन के आधार पर इस प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई है। इसके विपरीत मैं यह निवेदन करता हूं कि बजट का जो प्रोसीजर है उसको रेगुलेट करने के लिये सेक्शन 138 से लेकर 153 तक का सेक्शन है। इनमें कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर आपकी आपत्ति आ सकती हो। ऑन दी अदर हैंड, आर्टिकल 149 है उसका जरा मुलाहिजा कर लिया जाय कि वह कहां तक इजाजत देता है। यह यहां तक इजाजत देता है कि in many parts the budget can be presented in the House. मैं पढ़ कर सुना देता हूं:—

Nothing hereinbefore contained shall be deemed to prevent the presentation of the Budget to the House in two or more parts and when such presentation takes place each part shall with in accordance with these rules as if it were the Budget.

यहां तक अनुमति है तो कोई रुकावट नहीं रह सकती है। बहुत स्पष्ट है कि आप आल्टरनेटिव या सप्लीमेन्ट्री प्रपोजल्स ला सकते हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव 199 में आ रहा है। यह कहां से इर्रिलेवेन्ट पढ़ रहे हैं।

श्री बी. एन. जोशी : आपकी समझ में नहीं आता है इसलिए इर्रिलेवेन्ट हो गया है।

श्री मथरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस विषय को लेकर कोई वाद-विवाद नहीं होगा, बल्कि कई माननीय सदस्य इस बात को सोचते हैं और मेरे लिए कोई अन्तर नहीं पड़ता है। मैं आज रखने वाला था वह 4 दिन बाद रखूंगा। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस चर्चा में ज्यादा न पड़ कर आपसे यह निवेदन करता हूं कि और सदन के माननीय सदस्यों को कि जो यह इस वक्त

(श्री मथुरादास माथुर)

37 लाख का डेफिसिट का गेप रह गया है इसके ऊपर नये प्रोपोजल्स को लाकर इसी अधिवेशन में इसको पूरा कर लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और, श्री भैरोंसिंह That is alright.

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सुझावों के साथ में और जो कुछ भी मेरे बजट-प्रस्तावों के सिलसिले में माननीय सदस्यों की ओर से उठने वाले जो मुद्दे हैं उनका मैंने जवाब देने की कोशिश की है। मैं फिर से माननीय सदस्यों का बहुत 2 आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सहयोग दिया।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5 बज कर 42 मिनिट पर दिनांक 7 जून, 1967 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)।

परिशिष्ट 1

(कृपया प्रश्न संख्या 265 का उत्तर देखिये)

इस वर्ष राज्य के अधिकतर जिलों में अकाल की स्थिति है। राज्य के जिलों की तीन वर्षों के गारन्टी के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

क्र. सं.	नाम जिला	वृहत् गारन्टी वर्ष		
		1965-66	1966-67	1967-68
	जयपुर खण्ड—			
1.	जयपुर	7388151	7572753	7928258
2.	अजमेर	6724102	.6875470	7590329
3.	अलवर—भरतपुर ..	2490884	2754721	2970090
4.	झुन्झुनू—सीकर ..	3653175	3264977	3471260
5.	टौंक—सवाई माधोपुर	6272672	3431191	2998997
		23528984	23899019	24958924
	बीकानेर खण्ड—			
6.	बीकानेर—चूरू ..	2418623	3052349	2859430
7.	गंगानगर ..	9996736	9942848	9388725
8.	जोधपुर—जैसलमेर	3042476	3439090	3652461
9.	जालोर-सिरोही बाड़मेर	2933884	4101788	4083571
10.	नागौर—पाली ..	4514411	4855610	5267247
		22906130	25391613	25241463
	उदयपुर-खण्ड—			
11.	उदयपुर—डूंगरपुर ..	5138915	5650920	5893246
12.	चितौड़—बांसवाड़ा	4654003	5879188	5855808

परिशिष्ट 1

13.	भीलवाड़ा ..	2642843	2832055	3079963
14.	कोटा-बूंदी-झालावाड़	7613213	2850655	3907123
		20048974	23722818	24466140
	कुल योग ..	66484088	73013530	74676527

परिशिष्ट संख्या 2

(कृपया प्रश्न संख्या 269 का उत्तर देखिये)

सुकेत मलावर लिंक रोड पर व्यय किये गये धन की सूची

	दिनांक	रु.
श्री मुल्कराज ठेकेदार	22-2-60	3,500)
	18-3-60	1,000)
	26-4-60	1,000)
श्री जोन प्रन्सिस ठेकेदार	25-5-61	1,000)
	7-8-61	500)
	26-12-61	500)
	27-12-61	500)
	31-1-63	500)
	योग	8,500)

परिशिष्ट 3

(कृपया प्रश्न संख्या 271 का उत्तर देखिये)

पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की सूची का विवरण पत्र पंचायत समिति शाहबाद (कोटा)।

क्रम संख्या नाम ग्राम	नाम कार्य	कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि	वर्ष	चुकाई गई राशि	उपयोग की गई राशि प्रमाण-पत्र के आधार पर	बकाया राशि जिनके प्रमाण-पत्र बाकी हैं।
1. मिसाई	सड़क मगुरावता से मिसाई ..	1	11000	61–62	6750	4500	2250
2. बीजखेड़ाडांग	पुलिया व सड़क बीजखेड़ाडांग	2	11000	61–62	6750	4500	2250
3. कस्बा नोनेरा	सड़क बूढ़ा नोनेरा से कस्बा नोनेरा	1	11000	61-62	4500	2250	2250
4. बाल्दा	सड़क बाल्दा से पेनावदा ..	1	11000 2000 ——— 13000	61-62	10000	10000	..
5. रेलावन	पुलिया रेलावन से अटरुरी कलां रास्ते पर	2	11000 250 ——— 11250	61-62	11250	9500	1750
6. नवरावदा	पुलिया नदी विलासी	1	11000	61-62	6750	4500	2250
7. महोदरा	सड़क समरानियां से महोदरा ..	1	11000	61-62	2250	..	2250

8.	शाहवाद	खरंजा शाहवाद	1	11000	61-62	4500	4500	..
9.	करवरी कलां	करवरी कलां रपट	1	15000	61-62	13500	11250	2250
10.	दीगोदपार	सड़क खरंजा	1	10000	61-62	2250	..	2250
11.	सेवनी	खरंजा व सड़क रेलावन पदमपुरा ..	2	5000	61-62	2250	..	2250
12.	वमनगांव	सड़क मझारी से वमन गांव ..	1	10000	61-62	2250	..	2250
13.	गरडा	सड़क गरडा से सोतावाड़ी ..	1	15000	61-62	2250	..	2250
14.	शुभखरा	सड़क मुगावली से शुभखरा व देवरी से मोयल	2	5000 5000				
				10000	61-62	4500	2250	2250
15.	बीलखेड़ा माल	सड़क व पुलिया देवरी से बीलखेड़ा माल	2	15000	61-62	6750	4500	2250
16.	रायपुर	सड़क राजपुर से बैंठा	1	11000	61-62	6750	4500	2250
17.	खटका	खटका, देवरी सड़क	1	11000	61-62	5550	2775	2775
18.	देवरी	पुलिया खरंजा तथा मुख्य सड़क तक पक्का रोड	3	15000	61-62	6750	4500	2250
		योग ..	25	207250	105550	30300	69525	36025

परिशिष्ट 4

(कृपया प्रश्न संख्या 273 का उत्तर देखिये)

Statement Showing the Income and Expenditure on the seed Multiplication Farms of Pali District (Rajasthan).

S. No. 1	Year 2	Surava-ta Farm. Expend. 3	Income 4	Profit 5	Loss 6	Hemawas Farm. Expend. 7	Income 8	Profit 9	Loss 10	Sumerpur farm Expend. 11	Income 12	Profit 13	Loss 14	Remarks 15
1.	1964-65	18077.81	22974. 86	4901.05	Nil	19347.74	24024.09	4676.62	Nil	32205.14	50577.31	18372.17	Nil	
2.	1965-66	26865.70	22667.32	Nil.	4197.88	24343.94	33694.82	9350.88	Nil.	45050.40	54108.97	9058.57	Nil.	
3.	1966-67	32041.03	35186.76	35186.76	Nil.	29480.00	40000.00	10520	Nil.	..	..	..	..	

NOTE:—(1) The Surava-ta Farm was taken over by the Department from the Panchayat Samiti in 1963-64.

(2) The Hemawas farm was taken over by the Agriculture Department on 12-8-64.

(3) The Sumerpur Farm was established by the Agriculture Department w. e. f. Rabi 1963-64.

Sd/- for Director of Agriculture,
Rajasthan, Jaipur.

[redacted]

परिशिष्ट 5

(कृपया प्रश्न संख्या 274 का उत्तर देखिये)

कोटा नगर के तीन वर्ष के शराब के ठेकों का विवरण--

वर्ष	रकम	लाईसेन्सी प्राप्त करने वाले का नाम
1965-66 ..	16,20,000	श्री भैरूंलाल श्री गोपीलाल श्री सुरेन्द्र प्रताप श्रीमती कंचन बाई
1966-67 ..	23,00,000	श्री सुरेन्द्र प्रताप श्री भैरूंलाल श्री बालूराम
1967-68 ..	23,00,000	श्री भैरूंलाल श्री बालूराम श्री सुरेन्द्र प्रताप

[redacted]

परिशिष्ट 6

(कृपया प्रश्न संख्या 278 का उत्तर देखिये)

ग्राम पंचायत अमरपुरा राठान पंचायत समिति सूरतगढ़ के अधीनस्थ गांवों की सूची :—

क्र. सं.	पंचायत केन्द्र		अधीनस्थ गांव	प्रत्येक गांव की पंचायत मु. से दूरी
1.	अमरपुरा राठान	1.	भागसर खुर्द	10 किलो मीटर
		2.	डींगवाला	5 ,,
		3.	अहमदपुरा	6 ,,
		4.	लढाणा	6 ,,
		5.	श्री रामसर	11 ,,
		6.	निहालपुरा	1 ,,
		7.	पीली बंगा	13 ,,
		8.	कालीबंगा	17 ,,
		9.	जदीदवीड दुलमानी	10 ,,
		10.	अमरपुरा राठान	मुख्यालय

(श्री कृषि मंत्री)

(2) अनावर्तक व्यय : लगभग 2.0 लाख रुपये।

योग:—2 लाख 25 हजार रुपये हर एक फार्म पर खर्च होने की सम्भावना है।

(घ) हर एक फार्म करीब 100 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किये जावेंगे।

(2) उक्त फार्मों पर मुख्यतया अधिक उत्पादन देने वाले शंकर अथवा नीचे दिये जा रहे उन्नत बीज तैयार किये जावेंगे।

लालसोट (जयपुर) : बाजरा, मक्का, गेहूं।

बनास क्षेत्र (सिरोही) : बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूं।

टोंक : बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूं।

सरपंच, ग्राम पंचायत संसड़ा को पंचायत का चार्ज

282. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत संसड़ा, तहसील मेड़ता के चुनाव में श्री पेमाराम, सरपंच निर्वाचित हुआ था ? यदि हां, तो इस सरपंच को पंचायत का चार्ज कब दिलवाया गया और चार्ज दिलवाने में यदि विलम्ब हुआ तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। चार्ज अभी तक नहीं दिया है। मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

हिन्डोली व नैनवा पंचायत समिति के अधीन प्राथमिक पाठशालाएं

282. **श्री केसरीसिंह** (हिन्डोली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी की तहसील हिण्डोली व नैनवा की पंचायत समिति के अधीन कितनी प्राथमिक पाठशालायें हैं ?

(2) इन दोनों तहसीलों में ऐसी कौन कौन सी पाठशालायें हैं जहां पर चार या पांच से अधिक छात्र नहीं पढ़ते हैं और यह संख्या कितने वर्षों से चल रही है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति हिण्डोली में 98 व नैनवा में 79।

(2) पंचायत समिति, हिन्डोली की बड़गांव पाठशाला छात्रों की संख्या जुलाई 66 से 4 ही है।

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

लाडनूं पंचायत समिति क्षेत्र में पीने के पानी हेतु टांकों का निर्माण

279. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं):— क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडनूं ने गत वर्ष पीने के पानी के सार्वजनिक टांकों के निर्माण हेतु पंचायतों को रुपये दिये थे, जिनमें से कुछ सरपंचों ने उक्त टांकों को सार्वजनिक स्थानों पर न बनाकर अपने निजी खेतों में या अपने रिश्तेदारों के निजी खेतों में व्यक्तिगत उपयोग के लिये बनाये हैं जो किसी भी गांव के नजदीक नहीं हैं?

(2) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से सरपंच हैं, और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी नहीं। टांके सभी सार्वजनिक पयोग के लिये बनाये गये। पंचायत रताऊ अतिरिक्त अन्य सभी पंचायतों में टांके सार्वजनिक स्थानों पर बनाये गये। रताऊ में भी जिस जमीन पर टांका बनाया गया वो खातेदार के बख्शीश कर देने से सार्वजनिक हो गई।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

उन्नत बीज हेतु फार्म्स

280. **श्री रावतराम छापर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार उन्नत बीज उत्पादन के नये फार्म्स चालू करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कितने और ये फार्म्स कहां कहां चालू किये जायेंगे तथा उन पर कितना खर्च होने का अनुमान है और ये फार्म्स कितने एकड़ के होंगे?

(2) उक्त फार्मों में कौन कौन से उन्नत बीज तैयार किये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1967-68 में 3 (तीन) बीज उत्पादक फार्म चालू करने की योजना है।—

(क) लालसोट, जिला जयपुर

(ख) बनास क्षेत्र, जिला सिरोही

(ग) जिला टौंक के लिये क्षेत्र का चुनाव किया जा रहा है।

हर एक फार्म पर निम्न प्रकार से खर्चा होगा :—

(1) आवर्तक व्यय : लगभग 25 हजार रुपये।

परिशिष्ट 8

(कृपया प्रश्न संख्या 255 का उत्तर देखिये)

सम्वत् 2024 में बीस साल अवधि बन्दोबस्त समाप्त होने पर या उन इलाकों का मेजर पोरशन ड्यू हो जाता है, उनकी सूची-पत्र :—

क्र.सं.	नाम तहसील	सं. ग्राम
1	2	3
	जिला अजमेर—	
1.	अजमेर	215
2.	केकड़ी	199
3.	ब्यावर	333
4.	सरवाड़	86
		833
	जिला अलवर—	
5.	किशनगढ़	224
6.	तिजारा	152
7.	मंडावर	133
		509
	जिला उदयपुर—	
8.	आमेट	138
9.	नाथद्वारा	202
		340
	जिला चित्तौड़गढ़—	
10.	छोटी सादड़ी	142
11.	प्रतापगढ़	530
12.	बड़ी सादड़ी	142
13.	भदेसर	163
		977
	जिला चूरू—	
14.	रतनगढ़	95
		95
	जिला जयपुर—	
15.	चाकसू	281
16.	दौसा	228
17.	बांदीकुई	168
18.	लालसोट	200
19.	सिकराय	135
		1012

1	2	3	1	2	3
जिला झालावाड़—			33.	बागीडोरा	259
			34.	बांसवाड़ा	325
20.	गंगधार	192			1067
21.	झालरापाटन	377	**जिला बीकानेर—**		
22.	पचपहाड़	143	35.	कोलायत	184
		712	36.	नोखा	124
जिला झुन्झुनू—			37.	बीकानेर	182
23.	उदयपुर वाटी	138			490
24.	चिड़ावा	168	**जिला भरतपुर—**		
25.	झुन्झुनू	208	38.	कामा	259
		514	39.	डीग	123
जिला टोंक—			40.	बयाना	175
26.	उनियारा	222	41.	वैर	155
27.	टोड़ारायसिंह	216	42.	भरतपुर	301
28.	देवली	166	43.	रूपवास	160
		493	44.	नगर	172
जिला पाली—					1345
29.	खारची	221	**जिला भीलवाड़ा—**		
30.	सोजत	107	45.	बनेड़ा	95
		229	46.	भीलवाड़ा	125
जिला बांसवाड़ा—			47.	मांडल	164
31.	गढी	167	48.	सहाड़ा	97
32.	घाटोल	316			488

1	2	3	1	2	3
	जिला सवाई माधोपुर--			**जिला सिरोही--**	
49.	खडार	126	58.	सिरोही आबूरोड	86
50.	गंगापुर	118	59.	पिंडवाड़ा	100
51.	टोडाभीम	144			186
52.	नादौती	82		**जिला सीकर--**	
53.	बामनवास	152	60.	फतहपुर	114
54.	मलारना डूंगर	182	61.	लक्ष्मणगढ़	145
55.	महुआ	150	62.	सीकर	147
56.	सवाई माधोपुर	185			406
57.	हिन्डौन	126			
		1261		कुल योग ..	10957

सम्वत् 2024 में तीस वर्षीय अवधि बन्दोबस्त मानकर चलने पर अवधि समाप्त होने या जिन इलाकों का मेजर पोरशन डयू हो चुका है, उनकी सूची पत्र :—

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम जिला	तादाद ग्राम	क्र.सं.	नाम तहसील	नाम जिला	तादाद ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
1.	किशनगढ	अलवर	224	7.	मदेसर	चित्तौड़गढ़	163
2.	तिजारा	,,	152				
3.	मंडावर	,,	133				305
			509				
				8.	दहेला	भीलवाडा	95
4.	आमेट	उदयपुर	138	9.	भीलवाडा	,,	132
5.	नाथद्वारा	,,	202	10.	सहाडा	,,	97
			340				124
						कुल योग ..	2478
6.	छोटी सादडी	चित्तौड़गढ़	142				

परिशिष्ट 9

(कृपया प्रश्न संख्या 266 का उत्तर देखिये)

क्र. सं.	नाम गांव व तहसील	रकबा जो आबादी में परिवर्तन किया गया	किसको भूमि का अधिपत्य दिया गया
1	2	3	4
1.	भीनमाल	13 बिस्वा (आयुर्वेदिक औषधालय के लिये)	नगर पालिका, भीनमाल
2.	जूना फलासिया तहसील आहोर	13 बीघा 17 बिस्वा	ग्राम पंचायत पावटा
3.	झाक तहसील भीनमाल	18 बीघा 13 बिस्वा	ग्राम पंचायत पूनगकलां
4.	बादनवाडी तहसील आहोर	42 बीघा	ग्राम पंचायत बादनवाडी
5.	तवाव तहसील भीनमाल	32 बीघा 9 बिस्वा	,, तवाब
6.	थूर तहसील भीनमाल	65 बीघा	,, थूर
7.	पूरण तहसील भीनमाल	1 बीघा	,, पूरण
8.	पूनग कलां तहसील भीनमाल	17 बीघा 5 बिस्वा	,, पूनगकलां
9.	पूनग खुर्द तहसील भीनमाल	2 बीघा 15 बिस्वा	,, पूनगकलां
10.	सांचोर तहसील सांचोर	490000 वर्ग फीट	अधिशाषी अभियन्ता, प्रोजेक्ट, साचोर (उनके गंग हट कार्यालय आदि बनाने के लिये डिफेन्स रोड बाबत।)
11.	आदरवाडा तहसील भीनमाल	5 बीघा 8 बिस्वा	ग्राम पंचायत आजोदर
12.	सांचोर तहसील सांचोर	2 बीघा 11 बिस्वा	ग्राम पंचायत सांचोर
13.	बारलावास तहसील जालोर	10 बीघा 2 बिस्वा	नगरपालिका उपरला मेडा
14.	माहिलावासा तहसील जालोर	1 बीघा 8 बिस्वा	नगरपालिका उपरला मेडा
15.	मेडा उपरला तहसील	60 बीघा	नगरपालिका मेडा उपरला
16.	मेटाला तहसील जालोर	18 बीघा 6 बिस्वा	नगरपालिका मेडा उपरला
17.	नागरी तहसील जालोर	40 बीघा 7 बिस्वा	ग्राम पंचायत नागरी

1	2	3	4
18.	हाडेतर तहसील सांचोर	1 बीघा	ग्राम पंचायत हाडेतर
19.	करवाडा तहसील आहोर	10 बिस्वा	,, करवाडा
20.	सायला तहसील जालोर	18 बीघा 7 बिस्वा	,, सायला
21.	कवला तहसील आहोर	27 बीघा 12 बिस्वा	,, कवला
22.	संखवाली तहसील आहोर	3 बीघा 11 बिस्वा	,, सांखवाली
23.	पालडी सोलंकियान तहसील सांचोर	30 बीघा 5 बिस्वा	,, धमाणा
24.	मालवाडा तहसील भीनमाल	10 बिस्वा	,, मालवाडा
25.	केशवना तहसील जालोर	15 बीघा	,, केशवना
26.	चोराऊ तहसील जालोर	18 बीघा 17 बिस्वा	,, चोराऊ
27.	आहोर तहसील आहोर	15 बिस्वा	तहसील पंचायत आहोर
28.	सायला तहसील जालोर	18 बीघा 7 बिस्वा	ग्राम पंचायत सायला

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, 6 जून, 1967)

स्कम्भ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
1	2	3	4
3	4	somplot	some plot
5	शीर्ष	(बृज सुन्दर शर्मा)	(श्री बृज सुन्दर शर्मा)
5	अंतिम से 8	बिजय सिह	विजयसिंह
6	अंतिम से 3	परसरम	परसराम
6	अंतिम से 10	इफेक्हेड	इफेक्टेड
7	अंतिम से 12	आती	अभी
9	15	किनेत	कितने
13	2	कमी	कभी
13	4	रधनाथ	रघुनाथ
16	अंतिम से 9	पटिक्यूलर	पर्टिक्यूलर
17	10	परसर	परसराम
18	2, 5, 8	अनुपस्थिति	अनुपस्थित
22	3	गामीण	ग्रामीण
22	5, 6	(श्री रामसिंह द्वारा पूछा गया)	258. श्री रावतराम (छापर)
		258. श्री रावतराम (छापर)	(श्री रामसिंह द्वारा पूछा गया):
23	5	अनुपस्थिति	अनुपस्थित
23	9	(शरगढ़)	(शेरगढ़)
45	अंतिम से 7	सवी-	सूची
50	अंतिम से 8	बजसुन्दर	बृजसुन्दर
50	अंतिम से 5	डरह	तरह
51	10	भेरोंसिंह	भैरोंसिंह
53	7	खतसिंह	खेतसिंह
54	6	ठका	ठेका
63	शीर्ष	प्रनोत्तर	प्रश्नोत्तर
63	2	तपसील	तहसील
65	अंतिम से 5	बिट्ठल	बिट्ठल
67	अंतिम से 7	मंडवा	मूंडवा

1	2	3	4
69	अंतिम	की	का
71	शीर्ष, 11	खतूरिया	कथूरिया
72	अंतिम से 7	स्थगित	स्थगन
72	अंतिम से 6	अवलम्बनीय	अविलम्बनीय
73	10	या कि	या
75	1	लन्ड	लेम्ड
76	20	आकषण	आकर्षण
79	6	ही उत्पादन	उत्पादन
80	10	आशय	आशय
82	1	रिटनर्स	रिटर्न्स
83	10	एम्मीवास	एम्बीवास
83	अंतिम से 6	लिए मन्त्री	लिए वित्त मंत्री
84	अंतिम से 3	दर्गालाल	दुर्गालाल
92	अंतिम	है	हो
97	10	निविरोध	निर्विरोध
97	22	palicy	policy
97	अंतिम से 3	जार	हजार
99	6	यहोदय	महोदय
101	4	अभिभाज्य	अविभाज्य
109	अंतिम से 9	hindeed	hindled
110	17	deggs	eggs
112	15	स्वतंत्री	स्वतंत्र
120	1	श्री पी. क. चौधरी	श्री पी. के. चौधरी
120	20	It is	श्री पी. के. चौधरी : It is
136	17	लादुराम	लादूराम
138	अंतिम से 6	दो	दो
145	अंतिम	अज	आज
153	19	उपा यक्ष	उपाध्यक्ष
155	शीर्षक	विाद–ववाद	वाद विवाद
160	19	किसा	किसानों
162	अंतिम	मजबरियों	मजबूरियों
163	शीर्ष	(श्री नत्थी सिस)	(श्री नत्थी सिंह)
175	अंतिम से 3	आक्षप	आक्षेप
180	3	भरोंसिंह	भैरोंसिंह

Page No. 141

1	2	3	4
180	अंतिम से 11	n a	On a
190	3	मलचन्द	मूलचन्द
190	10	सेट वल	से टेबल
190	अंतिम से 10	अ ग्र वाल	अग्रवाल
191	5	ग्रोर	ग्रोर
204	9	सुनालिया	सुलानिया
211	शीर्षक	सायान्य	सामान्य
213	5	श्री मथुरादास माथर	श्री मथुरादास माथुर
214	8	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिह
215	अंतिम से 8	ग्रोरा	ग्रोर
220	9	उसके	उसको
220	14	सल्फेट	--
220	21	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिह
222	अंतिम से 2	,,	,,
223	17	श्री माथरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
223	20	श्री मथरादास माथुर	,,
228	अंतिम से 8	श्री मथुरादास माथर	,,
230	अंतिम से 12	ग्रापन	ग्रापने
230	अंतिम से 9	भूल	भूखे
235	9	मरे	मेरे
235	12	नट	नैट
236	6	इसक	इसके
239	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री मथुरादास माथुर)
240	11	प्र वधान	प्रावधान
241	9	lcave	leave
241	10	o Bill	of Bill
242	अंतिम से 10	श्री मथरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
243	6	भैरूंसिह	भैरोंसिह
251	3	लाईसैन्सी	लाईसैन्स
252	2	ग्रधोनदथ	ग्रधीनस्थ